राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का १२वां दिवस [संख्या ६

१७५४] [१७५५

शुक्रवार, १५ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक म०पू० ११–७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को सुविधा देने के नियमों का आधार

२४८. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को सुविधा देने हेतु नियम किस आधार पर बनाए गए हैं ?

(ख) क्या सरकार उनमें संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सच है कि देश में स्वतन्त्रता लाने वाले व्यक्तियों को जो आजकल राजस्थान में रह रहे हैं राजस्थान सरकार राजनैतिक पीड़ित नहीं मान रही है ?

(घ) क्या यह सच है कि आई. एन. ए. वालों को यह कह कर राजनैतिक पीड़ित नहीं माना जा रहा है कि उन्होंने राजस्थान में कोई कार्य स्वतन्त्रता के लिये नहीं किया ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : राजनैतिक पीड़ित की परिभाषा राजस्थान राजनैतिक सहायता नियम, १९५६ के नियम २ (३) में दी हुई है ।

(ख) जो व्यक्ति राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम, १९५६ के अन्तर्गत राजनैतिक पीड़ित की परिभाषा में नहीं आते हैं उनको राजनैतिक पीड़ित नहीं माना जाता ।

(ग) वर्तमान राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम, १९५६ के अनुसार वे व्यक्ति जिन्होंने ७ अप्रेल, सन् १९४९ के पूर्व संधि–पत्रान्तर्गत राज्य में राजनैतिक आन्दोलन में भाग लिया है, राजनैतिक पीड़ित माने जाते हैं ।

(घ) नहीं ।

(न) नियमों के अन्तर्गत आने वाले सब व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा रही है । सरकार नियमों में कुछ संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ।

डा० चन्द्रकला : क्या राजनैतिक पीड़ितों में उन लोगों के परिवार सम्मलित हैं जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सारी बातें परिभाषा में लिखी हुई हैं ।

Page No.2

श्री भैरोंसिंह : ये नियम किस आधार पर बनाये गये ? प्रश्न यह है, इसका उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजनैतिक पीड़ित किन को कहा जा सकता है, सही माने में, उनको आधार माना है ।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर सही माने में राजनैतिक पीड़ित कहा जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आधार जो है वह परिभाषा को पढ़ने से मालूम हो जायगा, किस किस परिस्थिति में, देश में किस किस तरह के आन्दोलन हुए हैं और वास्तव में उन लोगों की क्षति हुई है, जिसके कारण उनको मदद देना आवश्यक हो ।

श्री भैरोंसिंह : इस परिभाषा को निश्चित करने में कौन सी बातों को आधार माना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो पढ़ने से मालूम हो जायगा कि आधार किसको माना है ।

श्री भैरोंसिंह : जो परिभाषा है, उसका आधार समझ में नहीं आता, इसीलिए प्रश्न किया गया है । परिभाषा को निश्चित् करने में सरकार का क्या आधार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस परिभाषा में जो शब्द यूज़ किये गये हैं, उनको पढ़ें तो इस परिभाषा का आधार मालूम हो जायगा कि किन लोगों को कवर करने की मन्शा है ।

श्री भैरोंसिंह : शब्दों से अर्थ मालूम होता है, सरकार की नीयत मालूम नहीं होती, नीयत किस आधार पर मुकर्रर की गई है, इसके लिए प्रश्न पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : स्वतन्त्रता के संग्राम में जिनको नुकसान हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : सन् १९४७ से १९५० तक नुकसान चला आ रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राज्यों में करीब करीब चलता रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार हो गई, उनमें जो पीड़ित हैं क्या उन सब को स्वतन्त्रता संग्राम के पीड़ित माना जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि देशी राज्यों में, देशी रियासतों में कुछ लोगों से झगड़ा चलता था, जागीरदारों से झगड़ा चल रहा था, रियासतों में कुछ झगड़े चल रहे थे, उसमें कुछ लोगों को नुकसान हुआ है, उनको कवर किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि सन् १९५० तक देश में आजादी नहीं आई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आजादी तो आ-गई थी, पर कुछ तत्वों के लिए आजादी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई है ।

श्री भैरोंसिंह : सन् १९५० तक कुछ क्षेत्र में आजादी नहीं आई, वे कौन कौन से क्षेत्र हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर अलग अलग नाम पेश करने लगूं तो काफी लम्बी लिस्ट हो जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है । देश में सन् १९४७ में आजादी आई और माननीय मंत्री जी

Page No.3

(श्री भैरोंसिंह)

कहते हैं कि सन् १६५० तक आजादी कुछ क्षेत्रों में नहीं आई। राजस्थान में कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनमें आजादी नहीं आई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें आपका क्षेत्र भी है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : ये कहते हैं कि उसमें आपका क्षेत्र भी है।

श्री भैरोंसिंह : I take strong exception to it, Sir. मेरे क्षेत्र से माननीय मंत्री जी का क्या मतलब है, क्या मुझे आजादी नहीं मिली, क्या जिस क्षेत्र का मैं बाशिन्दा हूं, उसे आजादी नहीं मिली, क्या हिन्दुस्तान के किसी भाग को आजादी नहीं मिली ? मंत्री महोदय स्पष्ट शब्दों में यह बात सदन में रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष यह लम्बी-चौड़ी कन्ट्रोवर्सी हो गई है, इसका प्रश्न से कुछ सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कन्ट्रोवर्सी बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो रिलेवेन्ट चीज थी, वह रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम चितलवाना, तहसील सांचोर से बलोत्तरा जाने वाली सड़क पर पत्थर आदि की चोरी

२४६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गांव चितलवाना, तहसील सांचोर, से बलोत्तरा जाने वाली सड़क पर नदी का बहाव रोकने के लिये पत्थर की छीपें व लोहे की बड़ी बड़ी मोरियां रखवाई गई थीं ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस काम को शुरू नहीं करवाया गया और उपरोक्त सामान चुरा लिया गया और उस पर महकमे की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

(३) क्या उपरोक्त सामान की चोरी में महकमा मुताल्लिका के कर्मचारियों की साजिश है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) कोई चोरी की सूचना नहीं है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : वह सामान वहां पड़ा हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सामान इस महकमे का नहीं था। वह सामान ठेकेदार का था, जो उसे काम में लेने वाला था। उसने सामान की चोरी की कोई सूचना नहीं दी। वह सामान वहां पड़ा हुआ है या नहीं, यह नहीं कह सकता।

श्री लक्ष्मीचन्द : वह काम पूरा हुआ या नहीं ? ठेका जिस काम के लिए दिया गया था, वह काम पूरा हुआ या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह काम पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

बाल मंदिर, सिरोही में क्वालिफाइड स्टाफ की कमी

२५०. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state :

(a) Is the Government aware that qualified staff in Bal Mandir at Sirohi is not adequate ?

(b) If so, will the Government appoint the qualified staff early ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (अ) स्कूल की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए मौजूदा स्टाफ पूर्ण तथा योग्य है।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोहब्बतसिंह : इस संस्था में कितने बालक पढ़ते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २१.

श्री मोहब्बतसिंह : यह संख्या गलत है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गलत नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : I challenge it, Sir.

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आगे पूछें।

(हंसी)

श्री मोहब्बतसिंह : इस संस्था में कितने अध्यापक व अध्यापिकायें हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ४ अध्यापिकायें हैं।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या पांच बालकों पर एक अध्यापिका है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप हिसाब लगा लीजिये, वैसे सवा पांच होता है।

श्री मोहब्बतसिंह : इस संस्था में २१ बालक हैं या १२१ हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २१ हैं।

श्री मोहब्बतसिंह : उनसे ट्युशन फीस कितनी ली जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मोहब्बतसिंह : यह अलग से प्रश्न नहीं है, इस संस्था से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : संस्था के कई अंग होते हैं, मास्टर कितने हैं, किसने एम्प्लॉय किया, वे कब अपॉइन्ट हुए, कब नहीं हुए।

श्री मोहब्बतसिंह : मैंने उनकी क्वालिफिकेशन्स के बारे में पूछा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई अनुपूरक प्रश्न हो, तो पूछें।

डा० चन्द्रकला : २१ बालकों पर चार अध्यापिकायें किस आधार पर नियुक्त की गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मांग जो आपके सामने पड़ी हुई है, उसमें है कि इनकी संख्या कम है।

श्री मोहब्बतसिंह : वह मांग इसलिए है कि विद्यार्थियों की संख्या २१ नहीं है, ज्यादा संख्या है। आपकी सूचना गलत है, इसलिए मांग ज्यादा के लिए हुई है, कितनी अध्यापिकायें और कितने अध्यापक काम कर रहे हैं ?

Page No.5

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुल चार हैं, तीन अध्यापिकायें हैं और एक अध्यापक है।

श्री मोहब्बतसिंह : आपने चार अध्यापिकायें फर्मायी थीं ?

डा० चन्द्रकला : सरकार की बाल मंदिरों में शिक्षक रखने की क्या नीति है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

श्री मोहब्बतसिंह : मोन्टेसरी स्कूल में किस क्वालिफिकेशन के शिक्षक होना लाजमी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें यह रखा कि हैड मिस्ट्रेस होनी चाहिए जो २५०-५०० की ग्रेड की हो और........

श्री अध्यक्ष : सारी क्वालिफिकेशन्स हैं आपके पास ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सारी क्वालिफिकेशन्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर आप उत्तर दे दीजिये कि नहीं हैं।

श्री मोहब्बतसिंह : इसका प्रश्न से सम्बन्ध है। एडीकेट स्टाफ एडीकेट क्वालिफिकेशन का है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एड्युकेट क्वालिफिकेशन का स्टाफ नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : सरकार जब बालकों से १० रुपया फीस लेती है, तो क्या जल्दी से जल्दी एड्युकेट क्वालिफिकेशन के स्टाफ को भेजने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें ऐसा है कि हैड मिस्ट्रेस के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख दिया गया है कि क्वालिफाइड हैडमिस्ट्रेस भेज दे। इस संस्था में बालकों की संख्या २१ है, इसलिए मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो अन्य टीचर्स हैं वे बी० ए० हैं और मोन्टेसरी ट्रेन्ड हैं, जिनको काफी समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २५१।

चक ५१ आर० बी० के मुरब्बा नं० ४५ के मालिक से वसूल किये नजराने की दर

२५१. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) चक ५१ आर० बी० के मुरब्बा नम्बर ४५ के मालिक के किता नम्बर २१ व २२ का नजराना किस दर (रेट) से वसूल किया गया है ?

(ख) यदि यह नजराना नहरी दर से वसूल किया गया है तो आज तक उसको पानी न दिये जाने का क्या कारण है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) नजराना नहरी दर से वसूल किया गया है।

(ख) चूंकि यह रकबा नहरी कागजात के मुताबिक बारानी है, इसलिए इसको पानी नहीं दिया गया।

श्रीमती सतवन्तकौर : इस जिले में पानी नहीं मिल रहा है, जब जिन्होंने नजराना नहरी रेट पर अदा किया है, उनको पानी वहां पर मिल रहा है ?

श्री भीखाभाई : पानी लेने के लिए प्रार्थना-पत्र देना चाहिए केनाल डिवीज़न में।

Page No.6

सिरोही जिले में कंकड़ की सड़क बनाने से अप-व्यय की संभावना

२५२. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for public works be pleased to state.

Is the Government aware that construction of gravel roads in Sirohi district would be entire waste in view of the existing geographical factors there? If so, what action is proposed to be taken?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): Yes, fair weather road will be constructed.

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में ऐसी बात है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने ऐसी रिकमन्डेशन करके भेजी है कि ग्रेवल रोड इस डिस्ट्रिक्ट में बनाना बेकार रहेगा, ज्योग्राफिकल कन्डीशन ऐसी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी डेवलपमेंट कमेटी की रिकमेन्डेशन हमारे पास नहीं आई है, फिर भी ग्रेवल रोड्स ऐसे जिले में बेकार हैं जहां पर पानी काफी बहाव से बहता हो, ऐसी जगह ग्रेवल रोड कम टिकती हैं, फिर भी जो कुछ पैसा एवेलेबल है, उसमें कुछ ग्रेवल रोड और फेअर वेदर रोड बनाना मुमकिन है ।

श्री मोहब्बतसिंह : ग्रेवल रोड बनाना क्या जरूरी है ? अगर पैसा है, तो उससे ब्रिज क्यों नहीं बनाई जा सकती ? पैसे को वेस्ट क्यों करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पैसे का वेस्ट नहीं कहा जा सकता। इन रोड्स का ड्युरेशन और टाइम उतना नहीं होगा, जितना दूसरी रोड्स का होता है । उस एरिया में कुछ समय के लिए ऐसी रोड्स बनाना जरूरी है, यह समझ कर प्रोवीजन किया है ।

राजस्थान में जिप्सम के निर्यात से आमदनी

२५३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में जिप्सम कहाँ कहाँ निकलता है ?

(२) सन १९५० व ५१ से अब तक प्रतिवर्ष वहां से कितना खनिज निर्यात किया गया और उससे सरकार को कितनी आमदनी हुई ?

उप खनिज मंत्री (श्री खिबचन्द धारीवाल): (१) राजस्थान में जिप्सम निम्न स्थानों में निकलता है :

१. जामसर, जिला बीकानेर

२. बदवासी, जिला नागौर

३. कवास, जिला बाड़मेर

४. उत्तरलाई, जिला बाड़मेर

(२) सन् १९५१ से अब तक इन स्थानों से जिस मात्रा में इस खनिज का निर्यात हुआ और उससे जो आमदनी हुई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १-देखिये)

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न में पूछा था कि सन् १९५०-५१ से अब तक प्रति वर्ष वहां से कितना खनिज निर्यात किया गया और राजस्थान में जिप्सम कहां कहां निकलती है ? माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये उससे ऐसा लगता है कि या तो पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए या भाषा को समझने की गलती से ऐसा उत्तर दिया गया ?

Page No.7

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर आपकी भाषा में कुछ गलती है, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन भाषा है कि 'राजस्थान में जिप्सम कहाँ कहां निकलता है', वह मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपने पूछा कि १९५०-५१ से अब तक प्रतिवर्ष खनिज ...

श्री तनसिंह : वहां से कितना ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्रतिवर्ष वहां से कितना खनिज निर्यात किया गया और सरकार को इससे कितनी आमदनी हुई इसके आंकड़े दे दिये गये हैं।

श्री तनसिंह : मैंने निवेदन यह किया था कि "वहां से" का मतलब राजस्थान से नहीं है, कोई मैं राजस्थान से बाहर बैठकर यह प्रश्न नहीं पूछ रहा, फिर मेरा मतलब होता कि यहां से कितना खनिज निर्यात हुआ है। मेरा मतलब इस प्रश्न से है कि जहां जहां से निकलता है, वहां के आंकड़े बतायें, अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं, तो बाद में सप्लाई कर दें ; यह बात दूसरी है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आंकड़े तो आपको सप्लाई कर दिये हैं कि ५१-५२ से लेकर ५६ तक इतना निर्यात हुआ और आमदनी हुई।

श्री तनसिंह : मैं जानना चाहता था कि बाड़मेर से कवास और उत्तरलाई से कितना जिप्सम निर्यात हुआ, उन आंकड़ों की मुझे जरूरत है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो बाद में पेश कर दूंगा।

श्री तनसिंह : ५१-५२ में निर्यात हुआ है, लगभग तिगुनी है जब कि आमदनी हुई है, ५१-५२ में आमदनी हुई है वह आधी है। तो आमदनी आधी क्यों है जब कि निर्यात तिगुना हुआ है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ५१-५२ में जो आमदनी कम हुई है उसका कारण मैं जानकारी प्राप्त करके ही बता सकता हूं।

श्री तनसिंह : क्या यह भी जानकारी में है कि ५१ से ५६ तक उत्पादन ६ या ७ गुना हुआ है और आमदनी केवल तीन-चार गुनी ही हुई है, जो उत्पादन के रेशों से बहुत कम है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका कारण तो यह है कि रेट्स में कभी कमी हो जाती है कभी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब रेट्स ज्यादा हों तो ज्यादा आमदनी हो जाती है और कम रेट्स हों तो कम आमदनी होती है, रेट्स में कमी-ज्यादा होती ही रहती है।

श्री तनसिंह : तो क्या यही रेट्स में कमी और अधिकता का आर्ग्युमेंट ५१-५२ के सिलसिले में भी लागू होता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ५१-५२ के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर लूं तब तक नहीं बता सकता।

प्रश्न संख्या २५४

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २५५

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

Page No.8

पुलिस विभाग द्वारा साइन्स लेबोरेटरी और फोटोग्राफिक सेक्शन खोलने के लिए सामान का क्रय

२५६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पुलिस विभाग में एक साइन्स लबोरेटरी और फोटोग्राफिक सेक्शन खोलने के लिये ३४०००) रुपये का सामान मार्च, ५३ में खरीदा गया था ?

(२) क्या यह सही है कि १२५००) रु० के लगभग की रसीद का भुगतान ३१-३-५३ को बताया गया जब कि वास्तव में रुपया अक्टूबर, ५३ में दिया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि इसके लिये न तो टेंडर मांगे गये और न मंजूरी ही ली गई ?

(४) यह खरीद कब और किसके हुक्म से हुई ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) रुपये ३३,७८२-११-० के मूल्य का सामान खरीदा गया था।

(२) जी हां।

(३) रुपये ११,०८७-१०-० के मूल्य के सामान के लिए टेन्डर मांगे गये थे। किन्तु सारा सामान टोंक स्टूडियोज़ से खरीदा गया था। बाकी सामान की खरीद के लिये जिसकी कीमत रु० २२,६९५-० थी, टेन्डर नहीं मांगे गये। सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली गई।

(४) सामान सप्लाई करने के आर्डर, उस समय के असिस्टेन्ट आई० जी० पी० (सी० आई० डी०) श्री आर० एच० रे के हस्ताक्षरों से जारी किये गये थे। निम्नलिखित फर्मों से यह सामान खरीदा गया :

साइन्टीफिक इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली,

इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली,

टाक स्टूडियोज़, जयपुर।

श्री तनसिंह : टेन्डर क्यों नहीं इन्वाइट किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अफसरों की गलती की वजह से, कार्यवाही की जा रही है।

श्री तनसिंह : कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार्जेज़ दिये गये हैं उनको।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है कि दो अफसरों को केवल वार्निंग दे कर छोड़ दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, मेरे पास चार्जेज़ मौजूद हैं।

श्री तनसिंह : चार्जेज़ दिये होंगे, पर मेरी इन्फोर्मेशन है कि सिर्फ वार्निंग देकर दो अफसरों को छोड़ दिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, आर० एच० रे को चार्ज शीट दी गई है।

श्री तनसिंह : सदन की मेज पर रखी हुई पी० एस० सी० की मीटिंग्स की रिपोर्ट मौजूद है उसके आधार पर कह सकता हूं कि दो को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप उसमें देखिये कि श्री आर० एच० रे का भी नाम उनमें है कि नहीं, जिनको कि वार्निंग दे कर छोड़ दिया गया है ?

श्री भैरोंसिंह : ३१-३-५३ को कागजों में रकम का आना बता दिया है मगर भुगतान किया गया है अक्टूबर, ५३ में, तो यह रकम किसके पास रही ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर जानकारी किस बात की दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस बात की मांगी गई ।

श्री भैरोंसिंह : साफ पूछा गया है कि रसीद का भुगतान ३१-३-५३ को बताया गया जब कि वास्तव में रुपया अक्टूबर में दिया गया ? यह ५ महीने बाद पेमेंट क्यों हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बात यह है कि यह एड़वान्सेज़ ड्रॉ कर लेते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, डेफिनेट इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन यह है कि ड्रॉ मार्च में कर लिये और अक्टूबर में पेमेंट क्यों किया गया ?

श्री भैरोंसिंह : क्या इसके लिये सजा सम्बन्धि अधिकारी को दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार्जशीट दे रखा है ।

श्री भैरोंसिंह : इस मामले का नहीं दे रखा होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस सारे मामले की चार्जशीट दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह : ६ महीने बाद एक्च्युअल पेमेंट हुआ, क्या इस बात की चार्जशीट दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हाँ, यह भी चार्ज में शामिल है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बीकानेर में जिला विकास समिति की सिफारिश पर नये स्कूल

२५७. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार नये स्कूल जिला विकास समिति की सिफारिश पर ही खोलती है ? अगर हां, तो बीकानेर जिले में कितनी प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलें बिना जिला विकास समिति की सिफारिश के खोली गईं ?

(२) क्या उपरोक्त स्थानों पर मिडिल स्कूलों के लिये उपयुक्त भवन उपलब्ध हैं ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां, केवल २ मिडिल स्कूलें जिला विकास समिति से प्रस्ताव न आने पर खोली गईं ।

(२) जी हां ।

सहकारी विभाग में दो रजिस्ट्रारों की नियुक्ति

२५८. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बताने कृपा करेंगे :

(श्री तनसिंह)

(१) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में दो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार क्रमशः नवम्बर, १९५१ व जुलाई, १९५३ को नियुक्त किए गए ?

(२) उनके क्या नाम हैं और उन्हें किस अधिकारी ने नियुक्त किया था ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थानों का अभी तक जन सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन नहीं कराया गया ? यदि कराया गया, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) नवम्बर, १९५१ में कोई नहीं और जुलाई १९५३ में १।

(२) श्री गंगाप्रसाद माथुर की नियुक्ति अस्थाई सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, सरकारी आज्ञा नियुक्ति विभाग, राजस्थान द्वारा उनके पत्र क्रमांक ४।१६। अपॉइन्टमेंट (अ) ५३ दिनांक ३०–६–५३ से की गई थी।

(३) यह सही है कि श्री गंगाप्रसाद के स्थान का जन सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन नहीं कराया गया था। उसकी वजह यह है कि श्री गंगाप्रसाद एक निरीक्षक के पद पर कार्य करते थे और उनको इस स्थान पर, अस्थाई लगाने की सहमति जन सेवा आयोग द्वारा समय समय पर सरकार द्वारा प्राप्त होती रही थी।

श्री तनसिंह : आपको अनुमति तो प्राप्त होती रहती थी पर पोस्ट एडवर्टाइज़ कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई, कोशिश क्यों नहीं की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : कुछ रूल्स बनाने में देर थी।

श्री तनसिंह : क्या सभी रूल्स गवर्नमेंट के बनाने में देर थी या इसी बारे में देर थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : असिस्टेन्ट सहकारी रजिस्ट्रार के न्यू अपॉइन्टमेंट के लिये क्या रूल्स हैं, उसमें देर लगी। फाइनेलाइज हो रहे हैं, डाइरेक्ट रिपोर्ट करने का कोटा है नहीं।

श्री तनसिंह : क्या यह माना जाय कि उनकी नियुक्ति की गई वह बिना रूल्स के की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, इन्टर डिपार्टमेंट प्रोमोशन के रूल्स मौजूद हैं और ट्रान्स्फर कर प्रोमोशन कर सकते हैं।

श्री तनसिंह : माननीय उप मंत्री ने कहा कि नवम्बर, १९५१ में कोई नहीं और जुलाई, ५३ में एक और पी० एस० सी० ने लिखा है कि "Two candidates were appointed as Assistant Registrar, Co-operative Societies, one in November, 1951 and the other in July, 1953 and they continued in their appointment upto the close of the year and in the year under report no steps were taken to advertise the posts through the Commission." मैं यह जानना चाहता हूं कि पी०एस०सी० ने यह कहा है कि नवम्बर, ५१ में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की कोई नियुक्ति नहीं की गई और जुलाई, ५३ में एक की नियुक्ति की गई तो स्थिति कहां है और कैसे है ? कौनसी सूचना सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने सूचना दी है वह सही है।

श्री तनसिंह : जन-सेवा आयोग ने जो दी है वह गलत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हो सकता है।

श्री तनसिंह : दुनियाँ की सब गलत और आपकी सही ...

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन। प्रश्न संख्या २५६।

श्री भैरोंसिंह : On a point of privilege, Sir, अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट, राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में प्रस्तुत की है और उसमें जिन बातों का उल्लेख किया गया है वह सही है। मगर अभी डिप्टी मिनिस्टर जो उत्तर दे रहे हैं वह उसके अनुसार नहीं है। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि वे इस संबन्ध में अपना निर्णय दें कि जो जवाब डिप्टी मिनिस्टर ने दिया है वह सही है या जो चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया वह सही था। यह सदन के प्रिविलेज का प्रश्न है। इसलिये जिसने गलत बात कही है उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाए।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई निर्णय देने का प्रश्न नहीं है।

श्री तनसिंह : यह रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर ने हाउस में पेश की है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय डिप्टी मिनिस्टर ने जो बात कही है वह सही हो सकती है और चीफ मिनिस्टर ने कही वह गलत हो सकती है, मगर वास्तव में सही बात कौनसी है ?

श्री अध्यक्ष : आपने एक बात बताई है और अब वे उसको वेरीफाई कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझें कि जो जवाब दिया गया है बिना वेरिफिकेशन के दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो आपको जवाब दिया है वह अपनी सूचना के आधार पर दिया है।

श्री जगदीशप्रसाद : अधिकृत सूचना के आधार पर कहा है, वह अधिकृत सूचना कौनसी है ?

श्री अध्यक्ष : Let him have time to verify his own information.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अधिकृत रूप से नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : अभी जो इन्फोर्मेशन है उस पर कहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इन्फोर्मेशन सही हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न १५ दिन पहले दिये जाते हैं और सारी इन्फोर्मेशन लेकर उसका उत्तर दिया जाता है। यह कैसे मान लिया जाए कि अन्-ओथेन्टीकली उत्तर दे दिया गया है। अगर अन्‌ओथेन्टीकली दे दिया हो तो यह कह दें।

श्री अध्यक्ष : That is authoritative but there could be certain lapses and bonafide mistakes.

श्री भैरोंसिंह : यह स्वीकार करें। गलती हो सकती है। स्वीकार तो करें।

श्री अध्यक्ष : He will look into it.

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ कर सुनाया उसमें दो लिखा है और हमारे पास इन्फोर्मेशन है, उसमें एक है।

श्री भैरोंसिंह : अभी आप यह कह दें कि यह स्टेटमेंट ओथेन्टेटिव नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : We will look into that.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सख्या २५६।

बीकानेर पॉवर हाउस की बिजली उत्पादन की क्षमता

२५६. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या मंत्री, बिजली विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर पॉवर हाउस की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है एवं वहां की मांग कितनी है तथा मांग को पूरा करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर से सन् १९५१ से ५६ तक कई डीज़ल इन्जिन बाहर ले जाये गये हैं ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) बीकानेर बिजलीघर की इन्स्टाल्ड केपेसिटी ८५७० कि० वाट स्टीम एण्ड ५७७ कि० वाट डीज़ल।

डीरेटेड केपेसिटी ६६५० कि० वा० स्टीम एन्ड ४५० कि० वा० डीज़ल अफेक्टिव केपेसिटी (फर्म) ४००० कि० वा० स्टीम और २०० कि० वा० डीज़ल और ज्यादा से ज्यादा मांग ३२५० कि० वा० है। इस मांग को पूरा करने के लिये भाखरा-नांगल योजना से विद्युत प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(२) हां।

श्री भीमसेन : भाखरा-नांगल से कब तक बिजली प्राप्त हो जाएगी ?

श्री भीखाभाई : इस सम्बन्ध में कई प्रकार की डिफिकल्टीज़ हमारे सामने आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तारीख बता दें।

श्री भीखाभाई : तारीख तो नहीं बताई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील लालसोट के पत्थर व बजरी आदि का ठेका

२६०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील लालसोट के पत्थर व बजरी आदि का ठेका सन् ५४–५५, ५५–५६, ५६–५७ का किसको दिया गया था ?

(२) क्या उक्त ठेकों की रकम ठेकेदारों में अब तक बाकी है ?

(३) यदि हां, तो क्यों और वह कब तक वसूल हो जायगी ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) ५४–५५, ५५–५६ और ५६–५७ की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) हां, कुछ में।

Page No.13

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(३) ठेकेदारों ने मांगने पर भी रकम जमा नहीं की। पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही जारी है और आशा है कि रकम शीघ्र ही वसूल हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य : ठेकेदारों से रकम वसूल करने की कार्यवाही की गई और अब तक रकम वसूल नहीं हो पाई, इसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि पी. डी. आर. में केसेज़ दिये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : यदि सूची बड़ी नहीं हो तो सदन में पढ़कर सुनाने की माननीय मंत्री महोदय कृपा करेंगे ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि किन-किन ठेकेदारों में रकम बाकी है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सूची वैसे तो सदन की मेज पर रख दी गई है और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

१९५४-५५

नाम	किस्म ठेका	रकम
१. हजारीलाल	इमारती पत्थर	१६०
२. हरसहाय	,,	६०
३. कल्याणसहाय	,,	२५
४. जगदीशप्रसाद	,,	३२०

इस तरह से सूची बहुत लम्बी है अगर आप चाहें तो पढ़कर सुना सकता हूं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि जिन लोगों में यह रकम बाकी है उन लोगों के लाइसेन्सेज रिन्यु क्यों किये गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, कुछ के लाइसेन्सेज़ रिन्यु किये गये। इसकी वजह यह है कि कोई भी रकम बाकी होती है तो उसकी वसूली की कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस शख्स में सरकार के रुपये बकाया हों उसके लाइसेन्सेज़ रिन्यु नहीं किये जा सकते और न सरकार को करने चाहिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रकम, जो बकाया निकलती है यदि वह बहुत ज्यादा हो तो सरकार को अधिकार है, पर अगर मामूली रकम हो जैसे १० रु० या २० रु० या ४० रु० तो ऐसी हालत में रिन्यु कर देती है।

श्री भैरोंसिंह : इस रिन्युवल में कन्डीशन है कि जिसमें सरकार की रकम बकाया हो उसका लाइसेन्स रिन्यु नहीं किया जावे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सरकार के डिस्क्रीशन पर है। सरकार चाहे तो कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नियम में किसी प्रकार का डिस्क्रीशन यूज़ करने का अधिकार सरकार को नहीं होता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : होता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

इस वर्ष शिक्षण एवं अन्य शुल्कों में हुई वृद्धि

२६१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(क) इस वर्ष शिक्षण एवं अन्य शुल्कों में कितनी वृद्धि शुरू में की गई थी ? पुराने एवं बढ़े हुए शुल्कों की एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) उपरोक्त शुरू में बढ़ाये हुए शुल्कों से कितनी वार्षिक आय की संभावना थी ?

(ग) इन बढ़ाये हुये शुल्कों में से कितना कितना किस प्रकार कम किया गया तथा अब कितनी वार्षिक आय होने की संभावना है ?

(घ) छात्रों एवं सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार फीस वसूल करने के संबंध में जो नियम बनाये गये हों या जो विभागीय आदेश दिये गये हों उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) करीबन ११ लाख।

(ग) जिन विद्यार्थियों के माता-पिता अथवा संरक्षक आय कर से मुक्त हैं उनसे वही पुरानी फीस ली जायगी। आय कर देने वालों के प्रथम दो बच्चों से नई फीस तथा बाद के बच्चों से वही पुरानी फीस ली जायगी। लड़कियों के लिये फीस कॉलेज तक माफ है। वर्ष के बीच में लाभ तथा हानि का मालूम होना संभव नहीं है।

(घ) इसकी प्रतिलिपि सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, प्रथम और बाद के बच्चों का क्या तात्पर्य है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह जन्म से ताल्लुक रखता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कितनी कॉलेजों में पुरानी और कितनी कॉलेजों में नई शुल्क लागू है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सभी जगह लागू है। जहां पर बढ़ोत्तरी हुई है वहां पर ली जाती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ट्यूशन फीस में अन्तर है। किन किन कॉलेजों में बढ़ी हुई ट्यूशन फीस ली जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारी तरफ से बढ़ी हुई फीस लेने का कोई सवाल नहीं था। विद्यार्थियों और कॉलेजों के प्रिन्सीपलों ने आपस में तय कर लिया होगा। थोड़ा बहुत-ज्यादा वे ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : विद्यार्थियों और दूसरे किन किन के बीच में आपस में बात-चीत हुई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लड़कों और प्रिन्सीपलों के बीच में। यदि कहीं लड़के अच्छा गेम खेलना चाहते हों तो उनको कुछ फीस ज्यादा देनी है। अगर आप खेल नहीं खेलें और केवल कबड्डी ही खेलना चाहते हैं तो कम देना होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या खेलना-कूदना लड़कों की मर्जी पर ही है और सरकार की तरफ से कोई इसके लिये व्यवस्था नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार की तरफ से कोई बन्दिश नहीं है कि लड़का खास खेल खेले, लेकिन हमारा जो स्तर है उससे नीचे नहीं जा सकते।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह फीस जो बढ़ाई हैं वे क्या गवर्नमेंट के आदेश से बढ़ाई हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गवर्नमेंट के आदेश से।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह फीस घटाई तो किन किन कॉलेजों में....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब घटाई थीं तब विद्यार्थियों को कह दिया गया था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : खास खास जगहों के नाम बताये जावेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह आपका बिल्कुल अलग प्रश्न है।

दौसा से लालसोट जाने वाली सड़क की मरम्मत तथा डामर पटकने का ठेका

२६२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) दौसा से लालसोट जाने वाली सड़क का कौन से मील से कौन से मील तक का मरम्मत तथा डामर पटकने का ठेका किन किन ठेकेदारों को कब कब दिया गया ?

(२) ठेकों की अवधि पूर्ण हो गई या नहीं ?

(३) यदि हो गई है तो अब तक कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो पाया है ?

(४) जिन ठेकेदारों का कार्य पूरा नहीं हुआ और अवधि समाप्त हो गई है उनके प्रति क्या कार्यवाही की गई ?

(५) उपरोक्त काम कब तक पूरा होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची संलग्न है।

(२) सामान एकत्रित करने की अवधि पूर्ण हो चुकी है।

(३) मुख्यतया मजदूरों की कमी के कारण। जो पहाड़ पर मिट्टी व चीप वगैरह तोड़ते हैं।

(४) व (५) ठेकेदारों को बराबर नोटिस दिये जा रहे हैं, अन्तिम कार्यवाही व पेनल्टी लगाना कार्य समाप्त होने पर नियमानुसार किया जावेगा। मील २,३,५ तथा १८ मील मरम्मत कराई जा चुकी है, मील २० से २३ की रोड़ी कुटाई का कार्य आज तक जारी है उम्मीद की जाती है कि इस वर्ष के अन्त तक ७ मील की डामर पूरी की जा चुकेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दौसा से लालसोट की सड़क कितने समय में बनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : दौसा से लालसोट की सड़क कितने में बनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैंने सारी उसी रोड की प्रोग्रेस बताई थी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : इस काम को चलते कितना टाइम हो गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ सुनाई नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : कितने साल से यह काम चल रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काम की होने की तो अलग अलग तारीख हैं। अलग अलग मीलों की बनी सड़क की अलग अलग तारीख हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह कार्य पूरा नहीं होने का कारण मजदूर न मिलने का था तो यह मजदूर न मिलने की दिक्कत सरकार को है या ठेकेदारों को भी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मजदूर नहीं मिलने की दिक्कत तो ठेकेदारों को भी महसूस हुई है और इन्जीनियर्स को भी महसूस हुई है। इन्जीनियर्स जिनके कैलोबोरेशन में काम देते हैं उनको भी यह दिक्कत महसूस हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस चीज की जांच सरकार ने कभी कराई है कि मजदूरों की वास्तव में कमी है या वेजेज़ की कमी के कारण मजदूर नहीं मिलते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच कराने की सरकार को आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि मजदूरों की वेजेज़ में कमी के कारण ही मजदूर नहीं मिलते हैं और उनको सही-सही वेजेज नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो यहां सही वेजेज रेगुलेट करने का सवाल नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इस विषय में बात–चीत करके इसको करवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह !

धौलपुर उप जिले में जिप्सम की प्राप्ति

२६३. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या उद्योग-व्यापार मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर उप–जिला में क्या जिप्सम प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उसके बारे में क्या-क्या जानकारी प्राप्त कर ली है ?

(ख) क्या डांग क्षेत्र के खनिज पदार्थों की खोज के बारे में सरकार निरीक्षण करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक।

उप-उद्योग व व्यापार मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) धौलपुर उप-जिले के काथुमरी नामक गांव के पास में जिप्सम के एक छोटे से जमाव का पाया जाना डाक्टर हेरन की अपनी रिपोर्ट में दिया गया है, यह जमाव बहुत छोटा है, उसकी कोई आर्थिक उपयोगिता नहीं बताई गई।

(ख) खनिज सर्वेक्षण राजस्थान की हर तहसील में करने का कार्यक्रम है और डांग क्षेत्र में भी सर्वेक्षण किया जायगा, लेकिन कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

श्री बहादुरसिंह : गवर्नमेंट नहीं निकालना चाहती तो क्या लोग निजी तौर पर निकाल सकते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अर्ज किया है कि आर्थिक स्थिति ऐसी है और आर्थिक दृष्टि से निकाला नहीं जा सकता था। गवर्नमेंट के निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पूछने का मतलब यह है कि पर्सनल इनवेस्टमेंट करके कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिए गवर्नमेंट से लीज़ लेनी पड़ेगी तभी निकाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट लीज़ दे देगी क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां। यह सोचते हुए कि आर्थिक दृष्टि से भी मैं उसको निकालूंगा तो दे देगी। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बिना सोचे-समझे सरकार लीज़ नहीं देगी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सोचना और समझना तो लीज़ वाले के लिए है।

श्री अध्यक्ष : जिप्सम पर तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कन्ट्रोल रहता होगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फर्टीलाइज़र्स वगैरह के लिए आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया भी इन्टेरेस्टेड होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इन्टरेस्टेड होती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जांच सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने करवाई थी या प्रॉविन्शियल गवर्नमेंट ने ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो स्टेट के जमाने में ही हुआ था और फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : धौलपुर स्टेट ने करवाया था उसके बाद में राजस्थान गवर्नमेंट मौन रही।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

राहुवास बंध के टूटने के कारणों की जांच

२६४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राहुवास बन्ध पर कुल कितनी धन-राशि व्यय हुई थी और किस की गलती से गत वर्ष इस बन्ध की उफरा टूटी ?

(ख) क्या इस बंध के टूटने के कारणों की जांच की गई ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकाला और यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) टूटे हुए बंध को सरकार कब तक ठीक करवायेगी ?

(घ) उपरोक्त बंध के बनने से काश्त की कितनी भूमि जलमग्न है तथा गांव के आस-पास की कितनी मवेशी दलदल में फंसकर मरी ?

(ङ) क्या यह सही है कि सरकार को इस बन्ध से कोई लाभ नहीं हुआ ? यदि हुआ तो कितना और कैसे ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) राहुवास बंध को बनाने में ३,२६,५५४ रु० की धनराशि व्यय हुई है। बंध की उफरा टूटने में किसी की गलती नहीं थी।

(ख) हां, अतिवृष्टि के कारण टूटा था, इसलिए जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) काश्त के योग्य कोई भूमि जलमग्न नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मवेशी के मरने की कोई घटना नहीं हुई।

(ङ) इस बंध के निर्माण से यद्यपि कोई खास सिंचाई नहीं हुई फिर भी बांध से पानी

(श्री भीखाभाई)

आने से आसपास के कुओं में पानी प्राप्त हुआ जिससे जनता को लाभ हुआ ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित: क्या यह बात सही है कि यह बांध नीचे में है और जमीन ऊंची है ?

श्री भीखाभाई : क्या ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: बांध गड्ढे में बना दिया और जमीन ऊंची है इससे सिंचाई नहीं हो सकती ?

श्री अध्यक्ष: कुओं मे पानी हो रहा है ।

श्री भैरोंसिंह: बांध छोटे कद का है और पेटा ज्यादा है ।

(हंसी)

इससे कितनी सिंचाई हुई ?

श्री भीखाभाई: सिंचाई तो ५० एकड़ जमीन की पहले हुई है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: जब बांध बांधा गया था तो क्या उससे सिंचाई करने का कोई टारगेट था ?

श्री भीखाभाई : था ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: कितने का था ?

श्री भीखाभाई : १०० एकड़ का ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित: आज तक इस बांध से कितनी आमदनी हुई ?

श्री भीखाभाई: I am sorry. I have given wrong information,

वह १५०० एकड़ का अन्दाजा था ।

श्री भैरोंसिंह : आप इसको और तस्दीक करके बताइये ।

श्री भीखाभाई : हां, असर्टेन करके ही बता रहा हूं ।

श्री जनार्दनराय नागर: यह प्रोजेक्ट माइनर इर्रिगेशन का था या मेजर का और उसका रिटर्न क्या है ?

श्री भीखाभाई: इसके रिटर्न की बात नहीं है । यह जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया था वह जयपुर स्टेट बनाने वाली थी और चूंकि इसमें काम काफी कर दिया गया था इस कारण इस बंध को सन् १९५२ में समाप्त किया गया ।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, किसी स्टेट ने कोई प्रोजेक्ट स्वीकार कर दिया था तो क्या राजस्थान गवर्नमेंट भी उसके लिए बाध्य है ? हम जानना चाहते हैं कि जयपुर स्टेट या किसी भी स्टेट ने कोई बांध मंजूर किया तो सरकार ने उसको क्यों लिया जब कि उसका रिटर्न ठीक नहीं था ?

श्री अध्यक्ष: शायद तभी टूट गया होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा: जिस समय यह बांध जयपुर स्टेट ने बांधा था तो इसको माइनर इर्रीगेशन मुकर्रर किया कि इससे साढ़े सात पर्सेन्ट रिटर्न होना चाहिए । यह उस समय कम्पलीट नहीं हो सका था और राजस्थान गवर्नमेन्ट ने इसको इसलिए किया था कि वहां के लोगों की मांग थी कि इससे कुओं में पानी बढ़ जायेगा । इसलिए यह स्कीम चालू की गई थी । राजस्थान जिस समय बना था उस समय काम बहुत कम बाकी रह गया था । अगर नहीं करते तो जो पैसा उस समय तक लग चुका था वह

Page No.19

(श्री नाथूराम मिर्धा)

फिजूल जाता। इस कारण से यह काम करना जरूरी था।

श्री भैरोंसिंह : इस बांध के टूटने के संबंध में किस अधिकारी ने जांच की ?

श्री भीखाभाई: एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने।

प्रश्न संख्या २६५

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित) श्री ज्ञानचन्द मोदी !

पंचवर्षीय योजना में पशु उन्नति में व्यय

२६६. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

पशु उन्नति का सरकारी मापदण्ड क्या है तथा इस कार्य में गत पंचवर्षीय योजना में क्या प्रगति हुई और कितना व्यय हुआ? की पशु कितने औसत खर्च हुआ ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : प्रत्येक पशु को प्रत्येक नस्ल के समान बना दिया जाय।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पशु उन्नति के कार्य में निम्नलिखित प्रगति हुई :

(१) ५० नये पशु चिकित्सालय खोले गए।

(२) ५९ पशु चिकित्सालय के भवन बनाये गये।

(३) २ पशु चिकित्सालय के भवनों का पूर्ण रूप से सुधार किया गया।

(४) ६ टीके लगाने के केन्द्र स्थापित किये गये।

(५) ६ पशु चल चिकित्सालय खोले गए।

(६) बायलोजीकल प्रोडेक्ट लेबोरेटरी स्थापित की गई।

(७) ३ पशु सुधारक केन्द्रों को फिर से आधुनिक ढंग पर सुधारा गया, तथा उनके भवनों का निर्माण किया गया। इन केन्द्रों के लिए नये ढंग के औजार खरीदे गए। इसके अतिरिक्त २१७ अच्छी नस्ल के बछड़े, सांड लिये गये तथा उनका वितरण किया गया, ४४ भैंसे (सांड) तथा ३० अच्छी नस्ल के बकरों का भी वितरण किया गया जिससे कि राज्य के पशुओं की नस्लों का सुधार किया जा सके। १४२ अच्छी नस्ल की दूध देने वाली गायें भी इन केन्द्रों में रखी गई। ४८ छोटे बछड़े सांड बनाने के लिए रखे गए।

(८) बीकानेर में एक पशु चिकित्सा तथा पशु पालन महा विद्यालय खोला गया जहां पर छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं।

(९) ५ गौशालाओं को आधुनिक ढंग के स्तर पर लाने के लिए सरकार ने सहायता दी।

(१०) ४ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गए वहां पर कृत्रिम रीति से गर्भाधान किया जाता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल व्यय १४,००,००० रुपये हुआ।

(श्री दौलतराम सारण)

उपरोक्त व्यय के हिसाब से फी पशु पर नये पैसे पड़े ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या सरकार को यह मालूम है कि जो सरकारी सांड जगह जगह पर रखे गए हैं वह पूरी सर्विस नहीं दे रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार के ध्यान में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : बीकानेर में पशु-शिक्षा विद्यालय क्यों खोला गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान के विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा देने के लिए ।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या यह सही है कि वहां के पढ़े हुए लोगों को नौकरी नहीं मिलती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर मिलेगी ।

श्री मोतीलाल चौधरी : वहां से जो लड़के अभी ट्रेनिंग पाकर आये हैं वह बिना नौकरी बैठे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी १५ दिन पहले तो आये ही हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह गर्भादान केन्द्र किस किस जगह खोले गए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आप इसमें विशेष रुचि रखते हैं तो यह अलग से प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री जनार्दनराय नागर: अध्यक्ष महोदय, यहां जो कृत्रिम शब्द प्रयोग किया गया है वह मुझे जंचता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : शब्द इनको दूसरा बता दीजिये, बात जो है सो तो है ही ।

श्री जनार्दनराय नागर : यह जो अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है वह ठीक नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन का मतलब है कृत्रिम गर्भाधान ।

डा० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस संबन्ध में प्राइवेट सलाह-मशविरा कर लिया जाय ।

श्री जनार्दनराय नागर : गर्भाधान का सवाल सरकार ने उठाया है तो हम यह जानना चाहते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है ?

प्रश्न संख्या २६७

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

(अनुपस्थित)

किशनगढ़ इन्स्पेक्ट्रेट के मातहत मिडिल ग्रेड के अध्यापकों को हायर ग्रेड देने के सम्बन्ध में

२६८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षामंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(१) क्या यह सही है कि मार्च सन् १९५६ में किशनगढ़ इन्स्पेक्टर के मातहत मिडिल ग्रेड के अध्यापकों को हायर ग्रेड देने के संबन्ध में इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की तरफ से एक आज्ञा जारी की गई थी परन्तु अब उक्त आज्ञा केन्सिल कर दी गई है ?

(२) यदि हां, तो क्यों?

(३) ऐसे कौन कौन सीनियर अध्यापक हैं जिनको कई वर्षों से हायर ग्रेड नहीं दिया गया ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) जी हां।

(२) मिडिल ग्रेड के जिन अध्यापकों को प्रमोशन दिये गये थे उन अध्यापकों के विरुद्ध अनेक रिप्रेज़ेन्टेशन्स प्राप्त हुऐ कि उनसे सीनियर अध्यापक रह गये हैं तथा जुनियर अध्यापकों को प्रमोशन दे दिया गया है ऐसे तमाम रिप्रेज़ेन्टेशन पर विचार किया जाने तक के लिये उक्त प्रमोशन आदेश को रोक दिया गया।

(३) केवल वे ही कुछ सीनियर अध्यापक ग्रेड प्रमोशन से वंचित रह रहे हैं जिन्होंने बिना विभागीय आज्ञा के उच्च योग्यता प्राप्त कर ली।

जुलाई-अगस्त के विद्यार्थी आन्दोलन में पुलिस द्वारा अतिरिक्त व्यय

२६६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जुलाई-अगस्त के छात्र आन्दोलन के संबन्ध में पुलिस को कितना अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) :

२२१५२ रु. ५५ नये पैसे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जो खर्चा हुआ है क्या इसके अन्दर वह खर्चा भी शामिल है जो एक बुढ़िया को कम्पेन्सेशन की तौर पर दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें शामिल नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : लड़के की आंख निकल गई थी क्या उसका कम्पेन्सेशन भी शामिल है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता. खर्चे संबन्धी और कम्पेन्सेशन संबन्धी मामले दोनों अलग अलग हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या पुलिस अधिकारियों को दिया गया मुआवजा भी इसमें सम्मिलित है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मुआवजा दिया भी गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है।

किशनगढ़ होस्पिटल की सड़क की मरम्मत संबंधी

२७०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि यज्ञनारायण होस्पिटल, किशनगढ़ में हॉस्पिटल तक पहुंचने की सड़क की हालत खराब होने से मरीजों को लेकर तांगे में वहां तक नहीं पहुंच सकते ?

(२) उक्त सड़क की मरम्मत कराने के लिये जनता ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में कब कब आवेदन-पत्र प्रेषित किये ?

(३) उक्त सड़क की मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) पहुंच सकते हैं।

Page No.22

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) जनता द्वारा प्रेषित किया हुआ कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला।

(३) मरम्मत होती रहती है।

ग्राम तुरतीपुरा, तहसील बयाना में प्राइमरी स्कूल का अभाव

२७१. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम तुरतीपुरा, तहसील बयाना के निवासियों ने एक प्राईमरी स्कूल की मांग की थी और एस. डी. आई. बयाना ने भी गवर्नमेंन्ट को यह रिकमेन्ड किया था कि यहां एक स्कूल खोल दिया जाए ?

(२) यदि हां, तो उस पर गवर्नमेंन्ट ने कब और क्या स्टेप लिया ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जी हां।

(२) अभी यह प्रश्न विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या २७२

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल, (अनुपस्थित)

रूपवास से धोलपुर व सेवला-बरेठा सड़क आदि के टेंडर

२७३. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Public Works be pleased to state:

(a) When were the tenders for the Rupbas-Dholpur Road, Sewar-Ucchain Road and Sewla-Baretha Road invited ?

(b) In which years were they to be completed and when they may be expected to be completed now ?

(c) Did these Roads form part of the First Five-Year Plan ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(a) Tenders were invited in the years noted below.

1. Rupbas-Dholpur Road 1954-55
2. Sewar-Ucchain Road- 1956-57
3. Sewla-Baretha Road- 1956-57

(b) They were due for completion and they are expected to be completed as shown below:-

	Due	Expected
1. Rupbas-Dholpur Road	1955-56	1958-59
2. Sewar-Ucchain Road	1957-58	1958-59
3. Sewla-Baretha Road-	1956-57	1957-58

(c) These roads except Rupbas-Dholpur Road do not form part of the First Plan.

जस्साखेड़ा भीम तहसील से बगड़ तक नेशनल हाई वे के अन्तर्गत किसानों की बेदखली

२७४. श्री फतहसिंह (श्री मोहनसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीम तहसील के जस्साखेड़ा गांव से बगड़ गांव तक नेशनल हाई वे स्कीम के अन्तर्गत कितने किसानों की कुल कितने बीघे

Page No.23

(श्री फतहसिंह)

काश्त की जमीन सड़क को चौड़ी अथवा सीधी करने के लिये प्राप्त की गई ?

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्र में काश्त की भूमि का अभाव है और इस प्रकार किसानों के बेदखल किये जाने से वहां की जनता में व्यापक असन्तोष है ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि इस हाई वे पर काम करने वाले सैंकड़ों मजदूरों का करीब २७०००रु० जयपुर के एक ठेकेदार द्वारा चुकाना बाकी है ? यह चुकारा कब तक हो जायेगा और क्या इस ठेकेदार के विरुद्ध सरकार कोई कठोर कानूनी कार्यवाही करेगी ?

(घ) क्या इस हाई वे का काम करीब करीब १२ महीनों से बन्द है ? अगर हां, तो यह काम फिर से कब तक चालू कर दिया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ५४२ किसानों की ५६७ बीघा जमीन काश्त की और बिला-काश्त ।

(ख) जहां तक इस विभाग को विदित है, इस क्षेत्र में इतना कोई अभाव नहीं है और न जनता में ऐसा कोई व्यापक असन्तोष है ।

(ग) विदित है ; बाकी चुकारे की रकमों के बारे में ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता है । मजदूरों का पैसा ठेकेदारों से चुकाने की कार्यवाही चालू है, ठेके की शर्तों में कोई कानूनी कार्यवाही करने का कोई प्रोवीज़न नहीं है ।

(घ) ८ माह से बन्द है; टेन्डरों की स्वीकृति के पश्चात् ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : भविष्य में मजदूरों और ठेकेदारों के बीच पैसे के मामलों में अक्सर झगड़े हुआ ही करते हैं, क्या उसके निराकरण का कोई उपाय गवर्नमेन्ट सोच रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : झगड़े जहां होते हैं निपटाने की कोशिश की जाती है और जहां तक पेमेन्ट का सवाल है इस बारे में गवर्नमेन्ट यह सोच रही है कि टेन्डर्स के अन्दर भी कुछ इस प्रकार की शर्तें डाली जाय ।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वहां पर कोई असन्तोष नहीं, यह किस आधार पर मालूम किया कि असन्तोष नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप लोगों के मापदंड से ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या जिनसे जमीन छुड़ाई गई उनको कम्पेन्सेशन दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दे रहे हैं ।

श्री मोहरसिंह : जिन किसानों से जमीन ली गई है क्या उन्होंने दूसरी जमीन देने के लिये मांग की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५४२ किसानों से ५६७ बीघा जमीन ली है । मेरे खयाल में वहां कोई खास जमीन की कमी नहीं फिर भी यह मामला रेवेन्यू विभाग से संबन्धित है, जमीन वगैरह दिलाने का काम उस विभाग का है अत: उस विभाग को इस बारे में एप्रोच किया जाय ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या वास्तव में वहां असन्तोष है, आप हमारे इस मापदंड को स्वीकार करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका संबन्ध इस प्रश्न से नहीं है ।

श्री मनोहर कोठारी : मैं भीम के बारे में जानता हूँ, क्योंकि वहां अक्सर मैं आया जाया करता हूँ।

किशनगढ़ पॉवर हाउस के चौकीदारों की ड्यूटी का समय

२७५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या मंत्री बिजली विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ पॉवर हाउस के चौकीदारों से प्रति दिन कितने घंटे की ड्यूटी ली जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि चौकीदारों से ८ घंटे की ड्यूटी लेने के आदेश की सन् १९५६ से तामील शुरू हो गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश की अवहेलना की जाकर अब ज्यादा समय के लिये ड्यूटी ली जाती है ?

(४) यदि हां, तो कितने कितने घंटे की दिन और रात में ड्यूटी ली जाती है ?

(५) उक्त ड्यूटी किस अधिकारी की आज्ञा से ली जाती है ?

(६) किशनगढ़ पॉवर हाउस के चौकीदारों ने इस संबन्ध में कितने आवेदन-पत्र चीफ इन्जीनियर के पास प्रेषित किए हैं ?

(७) उक्त आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वायत शासन मंत्री, विद्युत मंत्री की अनुपस्थिति में)

(१) १२ घंटे प्रति दिन।

(२) इस विभाग का ऐसा कोई आदेश नहीं है। हमेशा इतनी ही ड्यूटी ली जाती है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) छः घंटा सुबह और छः घंटा शाम को ली जाती है।

(५) सर्विस रूल्स के तहत सदा से यही प्रणाली रही है कि १२ घंटे ड्यूटी ली जाय।

(६) दो आवेदन-पत्र इस विषय में प्राप्त हुए थे।

(७) विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र : मैंने प्रश्न यह पूछा था कि किस अधिकारी की आज्ञा से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान सर्विस रूल्स हैं उनके मुताबिक ली जाती है।

श्री सतीशचन्द्र : क्या बारह घंटे लेना सर्विस रूल्स में प्रोवाइडेड है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ८ घंटे भी लेना सर्विस रूल्स में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र : यह जो बारह घंटा ड्यूटी ली जाती है क्या उसको कम करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या उनको अलाउन्स दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तनखा दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : हमारी सरकार जब नौकरी ज्यादा लेती है तो क्या उनको अलाउन्स दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तनखा इसी हिसाब से निर्धारित है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसे आवेदन-पत्र सरकार के समक्ष कब आये थे ?

Page No.25

श्री नाथूराम मिर्धा : जब से आप लोगों ने सिखाना शुरू किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी हाल ही में आये हैं, तारीख की जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उस आवेदन-पत्र में तारीख नहीं या डेट ऑफ रिसीट नहीं है ?

कोयले के आयात के लिए डिपो-होल्डर्स के चयन का आधार

२७६. **श्री फतहसिंह** (बूंदी) : Will the Industries Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that the quota of coal and coke allotted by the Assistant Director of Industries and Commerce, Jaipur under the various industrial heads, is imported through some local depot holders ? If so, on what basis were these depot holders selected ?

(b) Whether any tenders were invited from the various local dealers for this undertaking ? If not, why ?

(c) Is it also a fact that some time back the Director was asked by the Government to allot the Industrial quota directly to the industrial concerns and to stop the prevalent practice ? If so, why has this direction not been followed and what action has been taken against the Director for disregard fo this directions ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (a) Yes, except that in the present allotment of coal/coke under any of the industrial classes is not made in favour of Assistant Director of Industries and Commerce, Jaipur. However, some quota of coal/coke under M. I. S. class has been allotted to the Assistant Director, Industries and Commerce, Jaipur amd permit issued in his favour in order to facilitate the work and give relief to cottage and small industries to meet their petty demand of less than one wagon load of coal/coke. This coal coke is imported through one of the holders who is selected on the basis of past performances.

(b) It was not considered necessary to invite fresh tenders. There are coal depot holders already appointed (after calling tenders) by the Government at Jaipur. The Assistant Director, Industries and Commerce, Jaipur, has arranged import of this coal/coke through one of them on the same terms and conditions as has already been decided.

(c) Yes. The Director of Industries and Commerce, Jaipur, was asked to allot industrial quota of coal/coke directly to the industrial concerns and after that, no allotment of coal/coke under industrial clauses has been made in favour of the Assistant Director of Industries and Commerce, Jaipur.

(d) Question does not arise.

श्री पी. के. चौधरी : What are the names of those firms through

(श्री पी० के० चौधरी)

whom this quota is imported on account of the past performances ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : These names are not with me, but I will be able to furnish the same to you or you can get the information from me latter on.

श्री पी. के. चौधरी : What are the names ?

श्री सतीशचन्द्र : क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर शहर में कोल वितरण करने के लिए कोई कोल एडवाइजरी कमेटी बनाई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा ? Please repeat it again.

श्री अध्यक्ष : कोई कोल एडवाइजरी कमेटी बनाई है जयपुर शहर में कोल वितरण करने के लिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is concerned with industries. So far as the Industries are concerned, there is no such Advisory Committee. There may be such committee with respect to the coal/coke which is being given for other uses.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the depot holders through whom this quota is distributed, they disburse them to other persons than the small scale industries for whom the coal is intended to be given.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : These depot holders in fact can not distribute any kind of quota which is allotted or allocated for industrial purposes because they are given that quota and the persons for whom this quota is given, they take permits and get it. So there is no question of disbursing it to any other persons because he cannot possibly give it to any other person.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कन्ज़्यूमर को कोल देने के लिये परमिट व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : He is only concernede with industries.

Question No. 257.

श्री पी. के. चौधरी : I am putting a question about industries.

श्री अध्यक्ष : Next. Shri Sribhan Singh.

फ्लेट रेट बेसिस पर बिजली चार्जेज

२७७. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Power be pleased to state:

(a) In which of the Covenanting States charges for consumption of electricity are on a flat rate basis ?

(b) What are the reasons for not introducing metre system there in these areas ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) डूंगरपुर, झालावाड़ भरतपुर, शाहपुरा तथा करौली ।

(ख) डाइरेक्टर करेन्ट मीटर के प्रोक्योरमेन्ट तथा मेन्टीनेन्स की कठिनाइयों और

(श्री भीखाभाई)

ए० सी० के बदले जाने के पश्चात् उनके इस्तेमाल की कठिनाइयों के कारण ।

श्री भानसिंह : और यह मीटर सिस्टम इन्ट्रोड्यूस न करने से गवर्नमेन्ट को कितना लौस हुआ ?

श्री भीखाभाई : इसका अन्दाज नहीं है । अगर इन्फोर्मेशन चाहें तो भेजी जा सकती है बाद में ।

श्री अध्यक्ष : लौस हुआ तो है ?

श्री भीखाभाई : कह नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा न कि अन्दाज नहीं है ; यानि हुआ तो है ।

भीम पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. के अभद्र व्यवहार से जनता में क्षोभ

२७८. **श्री फतहसिंह** (बूंदी) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भीम पुलिस स्टेशन के वर्तमान एस. एच. ओ. कभी सर्विस से पदच्युत (सस्पेन्ड) रह चुके हैं ? अगर हां, तो किस आरोप में और कितने समय तक ?

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि उक्त एस. एच. ओ. के अभद्र व्यवहार से भीम पुलिस स्टेशन की जनता में बड़ा असन्तोष है और क्या सरकार इसकी किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच करावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) वर्तमान एस. एच. ओ. नारायणसिंह खेड़ा के दूधिया गांव में २००) रुपया घूस लेने के आरोप में स्स्पेन्ड रह चुका है ।

(ख) इस तरह की कोई शिकायत नहीं है इसलिये जांच का प्रश्न नहीं होता ।

श्री फतहसिंह : क्या ४ सितम्बर को अथून ग्राम में, जो भीम तहसील के अन्तर्गत लगता है, शांतिप्रकाश की हत्या हुई थी उस सम्बन्ध में उसका हाथ नहीं था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है ; जो थी वह मैंने दे दी ।

श्री अध्यक्ष : इस दूसरे इन्सीडेन्ट के बारे में जानकारी है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: जिस बारे में सस्पेन्ड रह चुका था वह बात तो मेरे पास है।

श्री फतहसिंह : लोग उससे जिस बात से अप्रसन्न हैं उसमें यह कारण भी नहीं है क्या जो मैंने पूछा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: नहीं इस बारे में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : होम मिनिस्टर साहब के स्थान पर वे जवाब दे रहे हैं तो क्या पोर्ट फोलियो चेन्ज हो गया है इनका ?

श्री अध्यक्ष: यह तो जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो ठीक है । पर मैंने ऐसे समझा कि यह चूंकि होम मिनिस्टर साहब से सम्बन्धित था और ये जवाब दे रहे हैं, तो शायद है, हमें इत्तला न हो और पोर्टफोलियो चेन्ज हो गया हो ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

नदियों की बजरी खनिज में शामिल

२७९. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री लक्ष्मी चन्द)

(क) क्या नदियों की बजरी को जो चूने और सीमेन्ट के साथ मिलाई जाती है, खनिज पदार्थों में शामिल किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो यह कब से ?

(ग) भिन्न-भिन्न जिलों में इससे गत वर्ष कितनी-कितनी आमदनी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(घ) क्या यह सच है कि जालौर जिले में आज तक इस तरह के ठेके अब से पहले कभी नहीं दिये गये थे ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि अभी तहसील जालौर व आहोर में बजरी का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किसे व कितने-कितने रुपयों में ?

(च) क्या यह भी सच है कि इन ठेकेदारों के जुल्मों की जनता ने शिकायत की ?

(छ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) हां।

(ख) सन् १६५५ से जब से राजस्थान अप्रधान खनिज नियम लागू हैं।

(ग) गत वर्ष की आमदनी की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) हां।

(ङ) श्री नरसाराम को तहसील जालौर का ६१) में तथा तहसील आहोर में श्री नाथूराम को ५१) में वार्षिक बजरी का ठेका दिया गया है।

(च) कुछ रिप्रेज़ेन्टेशन प्राप्त हुए हैं।

(छ) जांच की कार्यवाही की जारही है।

श्री लक्ष्मीचन्द : ये रिप्रेज़ेन्टेशन किस तारीख को प्राप्त हुए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सूचना तो मेरे पास नहीं है। आपने तारीख के लिये पूछा भी नहीं, नहीं तो यह भी बता देता।

श्री भैरोंसिंह : इन ठेकों को नीलाम नहीं किया गया था, क्या यह सही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ये सब नीलाम किये गये हैं क्योंकि रॉयल्टी के सब ठेके नीलाम किये जाते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : जनता से यह कितना टैक्स वसूल करते हैं, क्या इस पर भी सरकार का नियंत्रण है या जिस तरह से वे एक्सप्लोइट करें उस तरह से करने की गुंजाइश सरकार इन्हें देती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रॉयल्टी कलेक्ट करने का अधिकार कन्ट्राक्टर को है। वे कितनी वसूल कर सकते हैं, इसकी एक टर्म होती है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं जानना चाहूँगा कि जहां ६१) का ठेका दिया गया है वहां ठेकेदार जनता से कितना मुनाफा प्राप्त करता है वर्ष में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह हिसाब सरकार नहीं रखती।

श्री अध्यक्ष : उदयपुर डिवीजन में १४४) रुपया वसूल किया गया।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं कहना चाहता हूं कि ठेकेदारी सिस्टम से जनता का बड़ा शोषण होता है। जो ठेके होते हैं उनकी रकम में और जो ठेकेदार जनता से वसूली करते हैं उनमें कोई तालमेल नहीं होता है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लक्ष्मीचन्द : ये ठेके किन-किन तारीखों को नीलाम हुए थे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी सूची मेरे पास नहीं है।

श्री तनसिंह : कोई बोली लगाने वाले भी आये थे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आये बगैर तो कैसे होता।

श्री भैरोंसिंह : होता या नहीं होता या कैसे होता, कैसे नहीं होता यह नहीं पूछना है हमें, हम तो यह जानना चाहते हैं कि जो नीलाम हुआ वह तथ्यों पर आप कह रहे हैं या क्योंकि नीलाम हुआ करते हैं इसलिये जनरल बात के हिसाब से कह रहे हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर आपकी सूचना यह है तो मैं इस बारे में मालूम करके जवाब दूँगा।

श्री भैरोंसिंह : आप सदन को क्या सूचना दे रहे हैं इस बारे में? नीलाम हुआ या नहीं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक मुझे मालूम हुआ है, ये नीलाम हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सूचना आपको अभी-अभी सदन में मिली या लिखी हुई है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका जवाब देने की जरूरत नहीं।

(घंटी)

१२. ८ म० प०

अल्पकाल सूचना प्रश्न

श्री अध्यक्ष : एक अल्पकालीन सूचना प्रश्न है मेरे खयाल से वह वितरित हो चुका है। आप जवाब दीजिये।

जन सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति संख्या १० (६) के अन्तर्गत परीक्षा

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जन सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या १० के मद में सं० ६ के अनुसार जन सम्पर्क विभाग में ३४ कर्मचारियों को लिये जाने की सूचना प्रकाशित हुई है?

(ख) क्या यह सही है कि ता० १७।११ ५७ को २८० के लगभग उम्मीदवारों की जन सेवा आयोग परीक्षा ले रहा है?

(ग) क्या यह सही है कि उन २८० में २५ कर्मचारी पहले से ही इस विभाग में नौकरी पर हैं और उनमें से ६ व्यक्ति मर्जर के बाद के हैं जो सन् १९५४ में नियुक्ति किये गये हैं और ये जन सेवा आयोग के नियमों के विरुद्ध अभी तक नौकरी पर रहे?

(घ) क्या उपरोक्त ६ कर्मचारियों को सरकार ने लिखित परीक्षा के बन्धन से मुक्त कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) यह सही है।

(ख) यह सही है कि १७।११।५७ से जनसेवा आयोग परीक्षा ले रहा है, पर यह नहीं मालूम कि कितने अधिकारियों की परीक्षा ले रहा है।

Page No.30

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ग) जैसा कहा गया है, उम्मीदवारों की संख्या की पूरी जानकारी नहीं है। जन सम्पर्क कार्यालय में ऐसे कर्मचारी हैं जो मर्जर के बाद के भी हैं और कुछ सन् १९५४ में भी नियुक्त हुए हैं। पर इनमें से कोई भी जन सेवा आयोग के नियमों के विरुद्ध नौकरी में नहीं है।

(घ) उपरोक्त कर्मचारियों को सरकार ने मुक्त नहीं किया है। वास्तव में सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं हैं, न जानकारी ही है कि कितनों को मुक्त किया जा रहा है या कितनों की परीक्षा हो रही है। अगर इसकी जानकारी किसी को है तो जन सेवा आयोग को ही है।

श्री अनूपसिंह : क्या यह आपको ठीक तरह से मालूम है कि किसी को एग्ज़ेम्प्ट नहीं किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : न सरकार की इस बारे में जन सेवा आयोग से कोई लिखा-पढ़ी ही हुई है और न इस तरह से सरकार एग्ज़ेम्प्शन दे सकती है।

श्री अनूपसिंह : तो क्या सरकार ने जन सेवा आयोग को इन ६ आदमियों के लिये यह लिखा था कि इनको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जावे क्योंकि ये पहले से ही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं।

श्री पी. के. चौधरी : How many of these 34 are Gazetted posts ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Of the 34 posts for which the question was asked, I do not know how many are Gazetted.

श्री पी. के. चौधरी : Do they include any gazetted posts or not ?

श्री अध्यक्ष : There is some information which has come to my office and it might clarify the situation.

"Requisitions were sent to the Public Service Commission giving all details including qualifications of the posts. In respect of possible relaxation in the case of those applicants who are already in Government service it was stated that relaxation will only be with regard to academic qualifications and age. There has been no suggestion of the Government to the Public Service Commission in respect of any screening which the Commission may do before interviewing the applicants."

श्री अनूपसिंह : तो इसमें ऑनरेड अपोइन्टेड हैं, प्री मर्जर हैं और प्रोस्ट मर्जर हैं, उनके लिए कोई क्वालिफाइंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्वालिफाइंग टेस्ट का सम्बन्ध पी. एस. सी. से है।

श्री अध्यक्ष : आपने तो कोई क्वालिफाइंग टेस्ट प्रेस्क्राइब नहीं किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : Government did not prescribe any qualifying test. They only said these would be the age and qualifications and they were to be relaxed.

श्री अनूपसिंह : जिस वक्त एडवर्टी-

Page No.31

(श्री अनूपसिंह)

इज़मेन्ट किया गया था तो उसमें था कि क्वालिफाई ंग टेस्ट लिया जावेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is for the P. S. C. to decide.

श्री पी. के. चौधरी : On what date was the P. S. C. advised to advertise it ? These posts ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १७–११–५७ को पी. एस. सी, परीक्षा ले रही है ।

श्री अध्यक्ष : सब से पहले पी. एस. सी. को कब लिखा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : काफी अर्सा हो गया है ।

श्री पी. के. चौधरी : Since when these posts were operating ?

कब से इस पोस्ट को ओपरेट किया गया था यानि जो पोस्ट्स हैं उनको कब एडवर्टाइज़ किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने कोई एडवर्टाइज़मेन्ट नहीं किया, पी. एस. सी. ने किया ।

श्री पी. के. चौधरी : Since when the Government is operating these posts ?

नौकरी में कब से काम कर रहे हैं लोग-बाग ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ६ आदमी ५४ से काम कर रहे हैं । यह सवाल पूछा गया है जिसके बारे में अर्ज किया ।

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that some of the posts areoperating since the last six or seven years ?

श्री अध्यक्ष : Which posts do you mean ?

श्री पी. के. चौधरी : The post for which advertisements .has been sent.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I do not know the exact date from which these posts are being operated and when the requisition was sent, but some of the persons have been appointed in 1954.

श्री भैरोंसिंह : सरकार द्वारा क्वालिफिकेशन्स निर्धारित की गई थीं, तो क्या उसमें यह उल्लेख था कि experienced hands will be given preference ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो अलग सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : That you can see with reference to the notice issued.

श्री भैरोंसिंह : यह तो इसी पर डिपेन्ड करता है ।

श्री अध्यक्ष : How does it ?

श्री भैरोंसिंह : अगर सरकार ने क्वालिफकेशन्स प्रेस्काइब की हैं तो पी. एस. सी. उससे उनको मुक्त कर सकती है और अगर नहीं किया है तो पी. एस. सी. के स्कोप के बिओन्ड की यह बात है कि किसी को उस स्कोप मे रखे और किसी को नहीं ?

श्री अध्यक्ष : किसी को नहीं किया ।

श्री भैरोंसिंह : एक को तो उससे मुक्त

(श्री भैरोंसिंह)

कर दें और दूसरे को नहीं करें, यह तो एक्सपीरिन्स्ड की बात है।

श्री अध्यक्ष : अगर इसमें एक्सपीरियेन्स प्रेस्क्राइब करते हैं तब तो पी. एस. सी के ऊपर यह निर्भर रहता कि वह चाहे जैसा करे। इस तरह की कन्डीशन्स थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब नहीं कीं। The only thing was that he should be a graduate and then so and so age.

श्री भैरोंसिंह : एक्सपीरियेन्स हैन्ड को प्रिफरेन्स दिया जावेगा तो क्या उस सम्बन्ध में पी. एस. सी. को रेफर किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You can see the gazette. गजट में मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : आप ही बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपके पास कॉपी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास कॉपी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : He does not have that information.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that except D. P. .S. posts, all the posts in the D. P. .S. that are gazetted posts have been advertised ?

श्री अध्यक्ष : That is another question. Nothing to do with this.

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

सन् ५५-५६ व ५६-५ में मंत्रियों एवं उप मंत्रियों का डी. ए., टी. ए आदि पर व्यय राशि

१. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) १९५५-५६ तथा ५६-५७ में राजस्थान के प्रत्येक मंत्री तथा उपमंत्री पर टी. ए., डी. ए. तथा टेलीफोन का पृथक २ कितना खर्च हुआ ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) संलग्न पत्रावली में प्रत्येक मन्त्री तथा उप मन्त्री पर सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में हुए टी. ए., डी. ए. का विवरण दिया है, कृपया उसका अवलोकन करें। इस मद पर मन्त्रियों उपमन्त्रियों द्वारा टेलीफोन पर किया गया कुल खर्चा ५५-५६ में ३६,३३२ रुपये १० आने व ५६-५७ में ३७,४७६ रुपये १३ आने हुआ। प्रत्येक मन्त्री व उपमन्त्री द्वारा टेलीफोन पर किये गये पृथक पृथक खर्चे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि मूल बिल तो पोस्ट एवम् टेलीग्राफ विभाग को व उनकी प्रतिलिपि महा लेखा पाल राजस्थान को भेज दी गई हैं। एक अप्रेल सन् १९५७ से एक रजिस्टर आरम्भ कर दिया गया है जिसके द्वारा प्रत्येक मन्त्री का खर्चा बतलाया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

बाड़मेर के पहाड़ से पत्थर निकालने का ठेका

२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(श्री तनसिंह)

(क) बाड़मेर के पहाड़ों से पत्थर निकालने का ठेका गत ५ वर्षों में किस किस को और कितने वर्षों के लिये दिया गया ?

(ख) उपरोक्त ठेकों में कितनी भूमि पर पत्थर निकालने का अधिकार ठेकेदार को दिया गया ?

(ग) ठेके की शर्तें क्या थीं ?

(घ) क्या यह सभी ठेके नीलाम किए गए थे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

खनिज व मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) बाड़मेर के पहाड़ में से पत्थर निकालने का ठेका श्री जेठानंद को तारीख १५-१-५४ से १४-१-५५ तक दिया गया था। १५-१-५४ से पहले कोई ठेका नहीं था। १५-१-५५ से रॉयल्टी कलेक्शन कन्ट्राक्ट दिया जा रहा है।

(ख) बाड़मेर के हदूद में समस्त खानों के क्षेत्रफल की भूमि पर।

(ग) यह ठेका राज्य जोधपुर के कानून के माफिक दिया गया था।

(घ) सभी ठेके नीलाम किये जाते हैं।

पुरेजात विभाग के अधीन राज्य के बाहर के मकान व अचल सम्पत्ति

३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) महकमा पुरेजात के अधीन राजस्थान के बाहर राजस्थान सरकार के कितने मकान व अचल सम्पत्ति हैं तथा वे कहां २ हैं और किस २ कौवेनेन्टिंग यूनिट से प्राप्त हुए हैं ?

(ख) रियासतों के विलीनीकरण के बाद इनसे अब तक प्रतिवर्ष कुल कितनी आमदनी सरकार को हुई और कितना खर्च हुआ ?

(ग) कितना बकाया लोगों पर चढ़ा हुआ है तथा वह कब से है और इस बकाया की वसूली के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

(घ) महकमा पुरेजात का वार्षिक खर्चा क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ग) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(घ) ४२,५०० रुपये।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

राज्य द्वारा चलाई जाने वाली बर्फ फैक्ट्रीज सम्बन्धी

४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) सरकार द्वारा कितनी बर्फ की फैक्ट्रीज चलाई जाती हैं ?

(ख) उपरोक्त फैक्ट्रियों में पूंजीगत लागत क्या है ?

(ग) सन् १९५१-५२ से अब तक प्रतिवर्ष किस २ फैक्ट्री से कितना लाभ या घाटा रहा ?

उद्योग व मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल

Page No.34

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सुखाड़िया) : (क) राजस्थान सरकार की निम्न ४ आइस फैक्ट्रियां हैं :

(१) आइस फैक्ट्री, जोधपुर

(२) ,, ,, बीकानेर

(३) ,, ,, टोंक

(४) ,, ,, डूंगरपुर

इनमें से सरकार द्वारा इस समय कोई फैक्ट्री नहीं चलाई जाती है।

(ख) उपरोक्त फैक्ट्रियों की लागत वेल्यूएशन कमेटी द्वारा २,८७,६४३ रु० १४ आ० ६ पा० निम्न प्रकार निर्धारित की गई है :

फैक्ट्री	रु०	आ०	पा०
(१) जोधपुर	८३,६४४	१३	३
(२) बीकानेर	३६,०६२	१	३
(३) टोंक	१,६४,५२५	०	०
(४) डूंगरपुर	११२	०	०
	२,८७,६४३ रु०	१४ आ०	६ पा०

(ग) सन् १६५१-५२ से इन फैक्ट्रियों में निम्न प्रकार का घाटा रहा :

	जोधपुर फैक्ट्री	बीकानेर	टोंक	डूंगरपुर
सन्		रु०	रु०	रु०
५१-५२.	३३,४१४ रु०	आंकड़े उपलब्ध	नहीं है	बन्द है
५२-५३.	३२,०२७ रु०	१३४६८.८.६	४२७.१.६	
५३-५४.	४६,५१० रु०	१०६४.६.०	६६७.३.३	
५४-५५.	२०,०५८.४.०	६५५७.०.०	८६१.७.६	
५५-५६.	१५,८८०.५.३	४०७२.०.०	५५४१.४.६	

१२. १४. म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न लिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

१. श्री नरपतिसिंह डि० न० ११३ दिनांक १४-११-५७ से ३०-११-५७ तक।

२. श्री रामकिशन भामू डि० नं० १३५ दिनांक १४-११-५७ से ३०-११-५७ तक।

२. श्री लच्छूराम डि० नं० ८१ दिनांक १५-११-५७ से २५-११-५७ तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

१२. १५. म० प०

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : Clause by clause consideration of the Rajasthan Secondary Education Bill, 1957. Clauses 27 to 30 were under discussion.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात यह है कि कल जो विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा गया था उसकी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

कोई तारीख नियत नहीं की गई है कि विशेषाधिकार समिति अमुक तारीख तक अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधान सभा के सत्र में ही वह रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाय।

श्री अध्यक्ष : They will do in due course. That has already been intimated to them.

(विराम)

अमेन्डमेन्ट्स मूव हो चुके हैं। क्या आप (श्री भैरोंसिंह खाचरियावास से) बोलना चाहते हैं मेन क्लॉज पर।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लाज़ २७ के विषय में इस सदन में कल से काफी चर्चा हो रही है। सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों की ऐसी मंशा है कि इस प्रकार का क्लॉज़ इस बिल में रखने की आवश्यकता नहीं है। कल जिस समय माननीय उप शिक्षा मंत्री महोदय की ओर से एक थोड़ा सा संकेत मिला था कि इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाय उस समय, मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय उप शिक्षा मत्री महोदय पर सदन की विचारधारा का कुछ प्रभाव था। उसी प्रकार का प्रभाव यदि आज भी रहता है तो मुझे उम्मीद है कि मनानीय उप शिक्षा मंत्री महोदय उस क्लॉज़ को हटाने के लिये तैयार होंगे। जैसी मुझे अब तक सूचना मिली है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कल कुछ प्राइवेट तौर पर ऐसा निर्णय लिया गया है कि इस क्लॉज़ को हटा दिया जावे। अगर माननीय उप शिक्षा मंत्री महोदय सदन को इस सम्बन्ध में सूचना दें तो मैं समझता हूं कि सदन में इस प्रकार से समय नहीं लगेगा और यदि ऐसी कोई सूचना नहीं आती है कि माननीय उप शिक्षा मंत्री महोदय अब तक इस क्लॉज को उसी रूप में रखने के लिये तैयार हैं तो, अध्यक्ष महोदय,....

श्री पूनमचंद बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब है कि कल का प्रभाव खत्म हो गया।

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ को रखने का प्रयोजन है कि जिस प्रकार के बोर्ड का हम निर्माण कर रहे है उसी प्रकार बोर्ड की कार्यवाही में सरकार का हस्तक्षेप हो। सरकार का हस्तक्षेप कई माने में हो सकता है। एक प्रकार के सरकार के हस्तक्षेप करने की ऊपर के क्लाजेज़ में व्यवस्था की गई है अगर सरकार की दृष्टि से विशेष प्रकार के संशोधन, विशेष प्रकार की कार्यवाही करने की मंशा हो तो सरकार इस प्रकार के आदेश बोर्ड को दे सकती है और बोर्ड को सरकार के उन आदेशों का पालन करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्यों ने ऐसा बताया है और इस विधेयक में भी ऐसी बातें देखने को मिली हैं कि जो बोर्ड का कम्पोजिशन होगा उसमें सरकारी अधिकारियों का बहुमत होगा। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर बोर्ड में सरकारी अधिकारियों का बहुमत है तो वैसी सूरत में सरकार के लिए फिर कौनसी ऐसी परिस्थितियां रह जाती हैं कि जिनके कारण सरकार को बोर्ड को सुपरसीड करने की आवश्यकता पड़े। लेकिन हमें माइन्यूटली

(श्री भैरोंसिंह)

इस विषय को देखना पड़ेगा। जैसा कि होता रहा है और अनुमान है कि जिस समय जो सरकारी अधिकारी अपने पद के कारण इस बोर्ड का सदस्य होगा वह स्वयम् अपनी इच्छा से सरकारी रीति—नीति का पालन करे और यदि उस बोर्ड का सदस्य रहते हुए सरकारी रीति—नीति का पालन नहीं करता हो इस व्यवस्था के द्वारा उनको हटा कर ऐसों को सरकार उन पदों पर सुशोभित करे जो सरकार की हां में हां मिला कर सरकारी मंशाओं को पूरा करे। यह इसमें स्पष्ट है कि सरकारी अधिकारियों को हटाने की व्यवस्था बहुत सी हैं। प्रश्न केवल इतना सा है कि इन्डिपेन्डेन्ट व्यूज़ के शिक्षा शास्त्रियों को इस प्रकार के बोर्ड में लेना चाहते हैं, उनका भविष्य किस प्रकार का हो? अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के पास होने का मतलब यह होगा कि सरकारी अधिकारियों को सरकार के पद से अलग करने का नहीं परन्तु स्वतन्त्र विचार-धारा तक इस प्रकार के शिक्षा शास्त्री जो हैं उनको हटाने की व्यवस्था किस प्रकार से हो, स्पष्ट रूप से उनको हटाने की व्यवस्था के लिए यह कानून है।

अब प्रश्न यह आता है कि जिस तरह भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने—लोग संदेह करते हैं, माननीय सदस्यों को संदेह है, उस संदेह के वातावरण उस संदेह के अनावरण की बात कही थी। मैं मानता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस सदन के सामने बातें रखकर सदन को निवेदन किया, इस तरफ या उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों को एक दूसरे की कार्यवाहियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। अलग २ विचार-धाराओं के सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि अलग अलग विचार-धाराओं के कारण एक दूसरे के प्रति संदेह हो, लेकिन एक ही विचार और परिस्थितियों के अनुसार आते हैं उन पर उधर बैठने वाले माननीय सदस्य संदेह कैसे कर सकते हैं? एक ही दल के नीचे काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के ऊपर स्वयं सरकार संदेह करती है तो ऐसा लगता है कि संदेह उनमें स्वयं में है। यदि सरकारी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ दल संदेह करे तो इसका मतलब यह है कि सरकार के और सरकारी कर्मचारियों के बीच असंतोष और अविश्वास की भावना है। यह अविश्वास और असंतोष की भावना कितने रूप में है, किसका किस के ऊपर अधिकार है, मैं कुछ नहीं कह सकता। आज तो उसका विस्तृत रूप नहीं लगता है कि हमारी सरकार के कर्णधार, हमारी सरकार को आदेश देने वाले कौन व्यक्ति हैं। आज हमारी सरकार नौकर-शाही के हाथों में खेल रही है। उससे सरकार को बचाने के फिक्र में ऐसा लगता है कि ऐसी बातें पनप रही हैं, सरकार पर अधिकार रखने वाले और सरकार के संबंध में नीति निर्धारित करने वाले जो लोग हैं उनमें आपस में एक संदेह का वातावरण बना है, लेकिन संदेह के वातावरण के निर्माण का स्थान यह विधेयक नहीं है। इस विधेयक का संबंध जनता से है, यह जनता के नैतिक स्तर को, जनता की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जनता को जो शिक्षा की व्यवस्था दी जा रही है, उससे है। इसके स्टेटमेंट्स ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को देखते हैं तो उससे पता लगता है कि सरकार इस प्रकार के बोर्ड को आटोनोमस बोडी बनाना चाहती है। यह सुझाव बड़ा सुन्दर है। आजकल सरकार के लिए विशेष रूप में प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार के बोर्ड का निर्माण करें। उस बोर्ड के निर्माण के लिए यह कानून है। उसके निर्माण के पूर्व वह व्यवस्था लागू नहीं होती है। उसका अभी काम प्रारम्भ नहीं हुआ है और काम प्रारम्भ होने से पहले सरकार उस पर संदेह करने लगे। मैं समझता हूँ कि काम प्रारम्भ होने के बाद, बोर्ड का निर्माण हो गया हो उसके बाद में सरकार आदेश दे और सरकारी आदेशों की तामील नहीं हो और तामील नहीं होने के बाद सरकार के सामने परिस्थितियां आती हैं तो बोर्ड को भंग करे, तो मैं समझता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है। इसका ही सवाल नहीं लेकिन राजस्थान सरकार के सब से बड़े व्यक्ति को भी संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है कि विधान सभा का सेशन नहीं चल रहा हो और कोई कानून नहीं बन सके तो राजस्थान सरकार एक ऑर्डिनेन्स इशू करे, और ऑर्डिनेन्स के द्वारा इमर्जेन्सी के संबंध में उस समय के लिए व्यवस्था करे। यदि बोर्ड का निर्माण इस कानून के द्वारा हो गया और उस कानून में उसको हटाने का प्रोवीजन नहीं है और सरकार के सामने वह समस्या पैदा हो गई हो कि इस बोर्ड को निश्चित रूप से भंग करना है तो उसकी कल्पना आज नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में व्यवस्था आज नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में संदेह करने की आज आवश्यकता नहीं है। जिस समय ऐसी परिस्थितियां हो जायं, उस समय ही इसका हल निकल सकता है। यदि आज इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि हम सरकार को एक ब्लेन्क पेपर पर अपने हस्ताक्षर करके देंगे।

उसमें तीन-चार बातें बताई गई हैं जिसमें एक इन्कम्पीटेन्सी है। यदि वह बोर्ड इन्कम्पीटेन्ट है, इन्कम्पीटेन्सी की परिभाषा हम डिक्शनेरी में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसी आदमी पर मामूली से मामूली इल्जाम लगायेंगे, समय पर नहीं आने का, समय पर दस्तखत नहीं करने का, इस तरह के आरोप लगाकर उसकी इन्कम्पीटेन्सी सिद्ध कर सकेंगे। एक इन्कम्पीटेन्सी बड़ी हो सकती है, लेकिन एक इन्कम्पीटेन्सी शब्द आ गया और आगे कहते हैं कि लगातार गलतियां करें, लेकिन गलती होगी कैसी? इन्कम्पीटेन्सी साबित करने के क्या नियम होंगे? क्या बोर्ड को आदेश दिये जायेंगे? क्या उससे एक्सप्लेनेशन लिया जायगा, क्या बोर्ड को इस तरह का अधिकार होगा कि जिन गलतियों के बारे में उसको भंग किया जा रहा है उनके बारे में वह डिफेन्स ले? उसको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। सरकार को केवल अधिकार है कि सरकार जिस समय चाहें बोर्ड को भंग कर दे।

इस विधेयक में आगे जो क्लॉजेज़ दिये हैं उनसे पता लगता है कि सरकार बोर्ड बनाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगी। एक तरफ तो यह बोर्ड सरकार के कानून के द्वारा बनेगा और ऑटोमेटिक बोडी की संज्ञा उसको दी जाने वाली है। यह बोर्ड राजस्थान की जनता की शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए निर्मित किया जा रहा है, उस बोर्ड को भंग किये जाने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जायगा। आज-कल जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये जाते हैं उनका सही स्वरूप तो खासतौर से अलग अलग विभागों के उन अध्यक्षों से पता लगता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के शिक्षा विभाग को ही लीजिये, हर साल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष बदला जाता है, यह बात नहीं है कि शिक्षा

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग का अध्यक्ष शिक्षा शास्त्री हो। वह इस बात के लिए नहीं है। वे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, इस बात के लिए नहीं है। आई. ए. एस, आर. ए. एस. और अन्य क्वालिफाइड व्यक्ति भी रह सकते हैं, लेकिन उनका समय-समय पर स्थानान्तर होता रहता है। उसका मतलब क्या विभागाध्यक्षों को बदलने का है? इसके लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन नही है कि कौन विभागाध्यक्ष हो सकता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का कौन हैड होगा, उसकी कोई नीति नहीं है, उसके संबंध में कोई डाइरेक्शन नहीं है, डाइरेक्ट ऑफ एजुकेशन एक मामूली सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है। डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकलचर एक मामूली सा एग्रिकलचर की टेकनीक से अनभिज्ञ एक मामूली सा व्यक्ति भी हो सकता है। लेबर कमिश्नर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको लेबर डिस्प्यूट के बारे में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हैं। आज इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। उस वातावरण में बोर्ड को भंग करने की बात कही जाती है। उन परिस्थितियों में बने हुए एडमिनिस्ट्रेटर को पॉवर्स दिये जायेंगे तो निश्चित रूप से संदेह होता है। जो शिक्षा शास्त्री बोर्ड का काम नहीं करना चाहेंगे, उस बोर्ड में निश्चित् करने से इन्कार करने पर सरकार की जो मन्शा होगी वह उस एडमिनिस्ट्रेटर से पूरी कराई जायगी। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वह अकेला आदमी होगा और सरकार की मर्जी का आदमी होगा। वह सरकार की हां में हां मिलाने वाला आदमी होगा। इसका मतलब यह है कि हम जो आटोनोमस बोडी बनाने की बात कहते हैं, शिक्षा में स्वतन्त्रता लाने की बात कहते हैं, उसके बारे में नीति–निर्धारित करके उसको कार्य रूप में परिणत कराना चाहते हैं, वह केवल कागजों में रहेगी और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव होने वाला नही है, ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि यहां जो स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह जो आटोनोमस वर्ड यूज़ किया गया है, उसको हटा दें। उसको जब हम सुपरसीड करने के पॉवर्स रखते हैं तो निश्चित् रूप से दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नीतियों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। इनमें कन्ट्राडिक्शन निश्चित रूप से मैं समझता हूं है। यदि हम डिक्शनेरी का मतलब लेते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन है, परिभाषा को देखते हैं तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है और नीति संबंधी बातों पर विचार करेंगे तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस प्रकार से कान्ट्राडिक्टरी मन्शा वाला कानून विधान सभा बनायेगी तो कोई उपयोगी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार कानून बनाने की आवश्यकता नहीं समझती है, बोर्ड को नियुक्त करके अपनी मर्जी के मुताबिक काम कराना चाहती है, डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन से आज जैसे काम कराना चाहती है उस तरह से कराना चाहती है। यही बात नहीं उसमें वह राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली की प्रेरणा से सरकार अपनी नीति निर्धारित करने में, असेम्बली का कॉन्फीडेन्स प्राप्त करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि एक तरफ तो वह असेम्बली का कॉन्फीडेन्स प्राप्त करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ असेम्बली की इस बात के लिए मन्जूरी लेने की कोशिश की गई है; जिसका निश्चित् रूप से मतलब यह है कि सरकार की निश्चित् रूप से दुरुपयोग करने की मन्शा है। इस प्रकार की शंका करके इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, इस प्रकार का विचार करेंगे तो वही बात हुई कि आसमान को रोकने वाला कौन है? हो सकता है कि आज सरकार के दिल

(श्री भैरोंसिंह)

में शंका है, लेकिन शंका के वातावरण की आवश्यकता है। वातावरण बनेगा या नहीं। उसके बाद ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यता होगी या नहीं ; हम इस प्रकार की गलत कल्पना करके कानून बनाने चलते हैं तो उसकी व्यवहारिक मन्शा पूरी नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो व्यवस्था है इसको हटाने के बारे में मैंने पहले भी इस सदन में अर्ज किया है वह सरकारी अधिकारी को हटाने के संबंध में नहीं आता है। उनके बारे में बोर्ड को सुपरसीड करने की बात नहीं कही जाती। केवल ऐसे आदमी जो या तो स्पेशली शिक्षा शास्त्री होने के नाते सदस्य हैं, शिक्षा शास्त्री कौन कहा जा सकता है इसकी क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब नहीं की गई है। हमारी राजस्थान सरकार का नियम है कि किसी भी व्यक्ति को यह कह कर कि यह इस विभाग का माहिर है इसलिये इसको इस विभाग का हेड ओफ डिपार्टमेन्ट बना दिया जाता है, उसी तरह से किसी को भी यह कह कर शिक्षा शास्त्री मान लिया जायगा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में माहिर है और निश्चित रूप से ऐसे ही आदमियों को इस बोर्ड का सदस्य बनाया जायगा। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि ऐसे आदमियों में से भी कोई एक दो आदमी स्वतंत्र विचार के मिल जाते हैं जिनकी सरकार से पटती नहीं और वे सरकार की हां में हां नहीं मिलाते। जब ऐसी परिस्थिति आ जावे कि ऐसे व्यक्ति जो सरकार की हां में हां नहीं मिलावें, इस बोर्ड में आ जावें तो उनको सुपरसीड कैसे किया जाय, यह पहले सोचा जाता है। जिन बोर्डों ने सरकार की जी हुजूरी नहीं की उनमें से कइयों को भंग किया गया है, जिन बोर्डों ने सरकार की हां में हां नहीं मिलाई उनको भंग किया गया है। इसी तरह से इस बोर्ड में राजस्थान की खुश किस्मती या बदकिस्मती से यदि एक दो व्यक्ति मेम्बर बन कर आ गये और उन्होंने सरकार की हां में हां नहीं मिलाई तो उनको हटाने की कोशिश की जायगी, उसकी व्यवस्था करने की बात को सरकार अपनी नजरों से ओझल नहीं कर सकती। राजस्थान विधान सभा में विरोधी दल कई बातें कहता है और विरोध करता है, सत्ता रूढ़ दल उसको नहीं मानता क्योंकि उनका बहुमत है। इसी तरह से इस बोर्ड में भी सरकार की हां में हां मिलाने वाले व्यक्तियों का बहुमत होगा और एक दो व्यक्ति हां में हां मिलाने वाले व्यक्ति नहीं आयेंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि एक दो व्यक्ति विपरीत बात कहते हैं तो भी उसका महत्व है। जब तक विचार धारा में समन्वय नहीं होगा तब तक शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की उन्नति होगी, मैं ऐसा नहीं मानता ; हम जो कहें उसी को सही मानें ऐसा नहीं हो सकता।

प्रजातन्त्र की कल दुहाई दी गई। मैं ताज्जुब करता हूं कि एक तरफ तो प्रजातन्त्र की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ प्रजातन्त्र के मुख्य अंग और सही मार्ग पर चलने वाली जो परंपरा है, विरोधी दल, उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं आज प्रजातन्त्र में विरोधी दल समाप्त हो जाय तो जिस तरह से निरंकुश शासन की बात मन्त्री जी कहते हैं कि पहले निरंकुश शासन था, तो वही व्यवस्था आज के शासन में भी होगी और इसको निरंकुश शासन कहेंगे। यदि इस दृष्टि से देखें तो स्वतन्त्र विचार वाले आदमियों की निश्चित रूप से

(श्री भैरोंसिंह)

आवश्यकता होती है। लेकिन न मालूम क्यों राजस्थान सरकार के समझ में नहीं आता और समझ में आता है तो स्पष्ट करने की हिम्मत नहीं होती। आज म्युनिसिपल एक्ट बनता है या पंचायत एक्ट बनता है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट बनता है या ये जो प्रजातन्त्र के बेसिक युनिट हैं उनके बारे में कोई कानून बनता है तब बेसिक धाराएं जो हैं उनको पास करने की सरकार को चिन्ता नहीं होती। सरकार को चिन्ता होती है इस बात की कि इस बोर्ड को भंग करने के अधिकार सरकार को अवश्य होने चाहिये और जब सरकार इस प्रकार के अधिकार लेती है तो हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा है और कई उदाहरण हैं कि इस प्रकार की सत्ता और अधिकारों का किस प्रकार से उपयोग हुआ है। इसका उपयोग अपनी पार्टी को जिताने में, उसको प्रोत्साहन देने में और उसको महत्व देने के लिये किया जाता है। किसी बोर्ड को भंग किया जाता है, तो किसी सदस्य को निष्कासित किया जाता है, तो किसी का जबर्दस्ती चालान किया जाता है। हम इन सब उदाहरणों से सबक ले सकते हैं। यदि शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के लिये जो बोर्ड बना रहे हैं उसके बारे में यदि राजस्थान सरकार को इस प्रकार के अधिकार दिये गये तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग होगा। राजस्थान म्युनिसिपल बिल सदन के सामने आ रहा है, उस समय मैं बताऊंगा कि हमने सरकार को, बोर्ड को सुपरसीड करने का जो अधिकार दिया है उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ और पंजायत एक्ट के अन्दर जो अधिकार दिये गये हैं उनका किस तरह से दुरुपयोग किया गया। इन बातों का इस समय जिक्र करने का प्रसंग नहीं है, इस समय के प्रसंग के बाहर की बातें हैं लेकिन उन बातों से हमें केवल सबक लेना है, शिक्षा लेनी है। जिन लोगों ने इससे सबक लिया है वे निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि राजस्थान सरकार को अधिकार दिया गया तो निश्चितरूप से उसका दुरुपयोग होगा। यह कहा जाता है कि सरकार को जो अधिकार दिये जाते हैं उनके बारे में सदेह क्यों किया जाता है कि उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं होगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमें इसका पिछले पांच साल का अनुभव है। राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों के विषय को लेकर, जो कि इस समय का विषय नहीं है, फिर भी उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ........

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, Sir, how these 'Pathya-pustaken' are relevant to this clause and the amendment ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पहले ही कह चुके हैं शायद आप सुन नहीं रहे थे।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) आप पर किस तरह संदेह किया जा सकता है, यह बात बताता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि संदेह की बात का यदि उल्लेख किया गया तो माननीय उप मन्त्री इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि सदन को कान्फिडेन्स में लाने के लिये सदन की याददानी करानी आवश्यक है। सदन उस तरफ के भाषणों को सुन कर, उनसे प्रभावित होकर कहीं यह न समझ ले कि सरकार पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि सरकार की कार्यवाहियों पर पूर्णतः संदेह नहीं किया जाय तो अधिकार देने से पहले सदन में

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरी दृष्टि से विवेचन करना होगा। संदेह गलत भी हो सकता है, हम यह नहीं कहते कि सही ही है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि सरकार के पिछले कारनामे सबक देने वाले हैं। यदि उनसे इस प्रकार की शिक्षा मिलती है कि सरकार पर संदेह करना आवश्यक नहीं है, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो सरकार को अधिकार दिलाने का पक्षपाती है। लेकिन हर प्रकार से सरकार पर संदेह किया जा सकता है। शिक्षा के विषय में भी संदेह करने की बात है। शिक्षा विभाग में जितनी बातें सरकार द्वारा हुईं वे केवल संदेह बताने वाली नहीं हैं बल्कि विवेचन करने लायक हैं और वे इस बात को बताती है कि व्यवस्था को चुनौती देकर मजबूत किया जाय और शिक्षा की सरकार की जो नीति है उसको दुरुस्त किया जाय। आज राजस्थान के विद्यार्थी बाजार में घूमते हैं पाठ्य पुस्तकों के लिये लेकिन उनको समय पर पुस्तकें नहीं मिलती हैं। आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री यह कह सकते हैं कि गलती की है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। यह राजस्थान की बदकिस्मती हैं कि बच्चों को किताबें नहीं मिलतीं। मुख्य मंत्री सदन में गलती मानते हैं। आप यदि प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले हैं तो सदन के सामने गलती को स्वीकार ही नहीं किया जाता बल्कि मुख्य मंत्री द्वारा त्याग पत्र दिया जाता। इन सारी बातों के होते हुए भी यह कहते है कि विरोधी दल संदेह करता है, प्रजातंत्र में विरोधी दल सरकार पर विश्वास नहीं करता है। आप पर किस तरह से विश्वास करे विरोधी दल? यदि विश्वास लायक आपका काम हो या विश्वास लायक आपकी नीति हो तो निश्चितरूप से विरोधी दल विश्वास करेगा। तो मैं कह रहा था कि ऐसी परिस्थिति में संदेह का वातावरण न विरोधी दल बनाता है और न जनता बल्कि सरकार स्वयं बनाती है। सरकार इस तरह के वातावरण का निर्माण करें और वह तभी हो सकता है जब सरकार अपनी नीयत साफ करे। यदि सरकार की नीयत साफ है तो पहले बोर्ड बनादे और उसका पूरी तरह से निर्माण करने के बाद यदि कोई परिस्थिति ऐसी आवे जिसके आधार पर उप मंत्री विश्वास दिला दें तो विरोधी दल इस बोर्ड को इस तरह से भंग करने की व्यवस्था करने का अधिकार दिलाने में उनका समर्थन करेगा लेकिन यदि सरकार कोरी कल्पना के आधार पर इस तरह की व्यवस्था बनावे तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि यह प्रजातंत्र का मखौल है, सरकार के प्रति संदेह करने की बात है। बोर्ड कौन कौन से काम करेगा जिसके कारण सरकार को संदेह हो सकता है? बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करेगा, उसमें किसी तरह के संदेह की बात नहीं हो सकती। एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट किस तरह से शाया होगा, उसका क्या तरीका होगा, कंडीशन्स किस तरह से प्रेस्क्राइब जायंगी इन सब बातों के लिये जो सरकार की नीति होगी उसका पूर्ण रूप से सरकार के प्रतिनिधि जो इस बोर्ड में उपस्थित होंगे वे पालन करेंगे। अब यदि सरकार के प्रतिनिधि उनकी नीति को ठीक ढंग से बोर्ड के सामने नहीं रख सकेंगे तो सरकार को अधिकार है कि हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट को अलग कर दे और उसके स्थान पर दूसरे आदमी को भेज दें या दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति करदें। ये सब बातें होते हुए भी यदि और अधिकार दिया जाता है तो संदेह इस बात का होता है कि हमारी सरकार के सत्तारूढ़ दल के नेता आजकल के राजवी यदि किसी को खुश करना चाहें, उसके मार्क्स बढ़वाना चाहते हों, या इस प्रकार का सिलेक्शन कर—

(श्री शतीसचन्द्र अग्रवाल)

वाना चाहते हों; जिसके द्वारा उस व्यक्ति की किसी स्थान पर नियुक्ति कर दी जाय, उसके लिए कोई एकेडेमिक क्वालिफिकेशन प्रेस-क्राइव कराना चाहते हों जिससे उसे वह स्थान मिले, ऐसी व्यवस्था कराने की नीयत करें और ऐसी व्यवस्था करने में लोगों का सहयोग न हो, तो बहुत मुमकिन है कि सरकार और बोर्ड के बीच तनावपूर्ण वातावरण बन जाय। यह हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि टैक्स्ट बुक सिलेक्शन कमेटी को सरकार के प्रतिनिधियों ने अपने हमदर्द की किताब के सिलेक्शन के लिए सिफारिशी चिट्ठी लिखी हैं, ऐसे सबूत मिले हैं कि जिस समय किताबों का सिलेक्शन हुआ, सरकारी प्रतिनिधियों से चिट्ठियां लिखवाई जाती थीं। तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब किसी विशेष छात्र को मार्क्स दिलवाना चाहें, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई क्वालिफिकेशन रखवाना चाहें, और ऐसे मामले बोर्ड में रखवाये जायं, ऐसी परिस्थिति अच्छी परिस्थिति नहीं हैं और ऐसी परिस्थितियों के कारण सरकार को विशेषाधिकार नहीं दे सकते, इस प्रकार के अधिकार देने में औचित्य नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इसे गहराई से देखें और गहराई से देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ऐसी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब प्रश्न आता है कि हर प्रान्त में ऐसे कानून बने हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे कानून बने हैं या नहीं बने हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है, अगर बने हैं तो राजस्थान विधान सभा के पास इस प्रकार के कानून आये नहीं है, जिन कानूनों के द्वारा हम इस बात का विश्वास कर सकें कि वाकई दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार के कानून बने हैं या नहीं और अगर बने हैं तो उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है या नहीं? ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है लेकिन वहां की परिस्थिति भिन्न हो सकती है, वहां ऐसी सिफारिशी चिट्ठी नहीं लिखी जाती हों। राजस्थान में ऐसी प्रक्रिया है, नियम तो है नहीं यह तो सरकारी व्यवस्था है प्राइवेट रूप से। जहां ऐसे कानून हैं, वहां की परिस्थिति भिन्न है, इसलिए जो कानून यहां बने, उसमें निश्चित रूप से भिन्न नीति अपनानी पड़ेगी। आप केवल दूसरे प्रान्तों की नकल करें और उसमें कोई अच्छा हुई हो, कोई बुराई भी हो, किसी एक्सपेरीमेंट के बाद ऐसा कानून बनाया हो, या हो सकता है दूसरे प्रान्तों में मजबूरी हो, मैं उस मजबूरी का विश्लेषण यहां नहीं कर सकता, उस मजबूरी के कारण इस प्रकार की व्यवस्था की हो, तो उसकी नकल करने की क्या आवश्यकता है? हमें अपने हृदय को साफ रखना है और हमें बोर्ड पर सन्देह नहीं करना है, बोर्ड की नीति पर सन्देह नहीं करना है, हमें एक एक्सपेरीमेंट करना है, तो उसके लिए बोर्ड को सुपरसीड करने की आवश्यकता है। एक्सपेरीमेंट बेसिस पर बोर्ड बनावें, उसके काम को देखें, अगर उसका काम संतोषजनक हो, तो ठीक है अगर संतोषजनक न हो, और परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, उसके लिए आप ऑर्डीनेन्स लायें, इस सदन को अपने कान्फीडेन्स में लें, और उसको पास कराके एक्ट में तरमीम करें और फिर बोर्ड को भंग करें, उससे, अध्यक्ष महोदय, सदन की इज्जत बढ़ेगी। अभी कानून बनाते समय अगर सरकार के विशेषाधिकार की व्यवस्था कर दें, और फिर बोर्ड को भंग किया जायगा, तो सदन के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। हो सकता है माननीय उपमंत्री कहें कि जिस समय बजट आवे, उस समय इस विषय पर

Page No.43

(श्री भैरोंसिंह)

विचार किया जा सकता है, बोर्ड के भंग करने पर विचार किया जा सकता है, किसी सदस्य द्वारा प्राइवेट रिजोल्यूशन रख कर इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन वह एक सीमित चीज होगी, पर्टीक्यूलर चीज पर विचार करने का सीमित क्षेत्र होगा। लेकिन जब सुपरसीड करने के अधिकार के सम्बन्ध में इस कानून में कोई संशोधन प्रस्तुत होता है, तो सदन के सब माननीय सदस्यों को, विशेषतः इस कार्यवाही को पुष्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन इस प्रकार के अधिकार लेने का मतलब होगा कि सदन को कान्फीडेन्स में लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सरकार स्वेच्छाचारिता से सदन को अंधेरे में रख कर बोर्ड को भंग करना चाहती है। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था करने से, इस सदन का अधिकार, इस बोर्ड को भंग करने के ऊपर विशेष चर्चा करने का बोर्ड को भंग करने की सरकारी चुनौती को स्वीकार करके, बोर्ड की एग्जिसटेन्स को साबित करने का सदन का अधिकार भंग होता है और सदन से एक ब्लैंक पेपर पर दस्तखत करवाया जाता है। ऐसी व्यवस्था होगी तो बोर्ड को इन्कोम्पीटेन्सी का सर्टीफिकेट देकर बोर्ड को सरकार भंग कर देगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में इस समय करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय, सुपरसेशन के कान्सीक्वेन्सेज हैं, बोर्ड का निर्माण है, ये रिलेवेन्ट क्लाजेज़ हैं, रिलेवेन्ट इस नाते से हैं कि मैंने बोर्ड के कम्पोज़ीशन का जिक्र कर दिया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, तो जो कान्सीक्वेन्सेज होंगे और उसके कारण जिस एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होगी, उसके कारण मुझे चिन्ता होती है कि ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं ?

मैं समझता हूं कि या तो एडमिनिस्ट्रेटर का पॉइन्ट, कम्पोज़ीशन का पॉइन्ट और सुपरसीड करने का पॉइन्ट, इन तीनों विषयों को साथ रख कर चर्चा करके इसके सम्बन्ध में नीति निर्धारित कर देते, कम्पोजीशन के बारे में अभी मामला अनिर्णीत है, कौन कौन इस बोर्ड में आयेगा, यह अभी सदन ने तय नहीं किया है और फिर बोर्ड के कॉन्सीक्वेन्सेज क्या होंगे, इस पर भी चर्चा नहीं हुई, कॉन्सीक्वेन्सेज़ के बारे में सदन अभी अनभिज्ञ है। इसके लिए व्यवस्था कानून में लिखी हुई है कि सरकार की एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करने की मन्शा है और इसको सरकार किस हद तक स्वीकार करेगी, उसका क्या आधार होगा, यह कुछ स्पष्ट नहीं है, इसका कानून से कोई दिग्दर्शन नहीं होता है। बोर्ड को सुपरसीड करने की बात को लेकर इस सदन की मोहर लगवायें, इससे अच्छा होगा कि खास तौर से अधिकारों को देने से पहले इन तीनों क्लॉजेज़ पर विचार करना चाहिये। बोर्ड के निर्माण होने की बात निश्चय होने के बाद उसको सुपरसीड करने की बात पर विचार करें, सुपरसीड करने की बात को तय करने के बाद कान्सीक्वेन्सेज़ क्या होंगे, इस पर विचार करने का मौका मिलता है। कॉन्सीक्वेन्सेज़ अगर ठीक न हुए, तो बोर्ड को भंग किया और बोर्ड को भंग करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होगी, अब प्रश्न रहता है एडमिनिस्ट्रेटर कितने दिन तक रहेगा—

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें लिखा है, माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं है।

Page No.44

श्री भैरोंसिंह : वह पढ़ लिया है, वही मैं आगे कहा रहा हूँ ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक साल बता दें ।

श्री भैरोंसिंह : वही मैं बता रहा हूँ। आपका तकाजा हो रहा है कि इसमें पीरियड है एक साल का । अब प्रश्न यह होता है....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पढ़ लें, कोई जल्दी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दें । अब प्रश्न यह आता है कि इतने समय तक एडमिनिस्ट्रेटर क्यों रहे ? दूसरे बोर्ड का निर्माण इतने समय में क्यों नहीं हो सकता ? दूसरे बोर्ड के निर्माण में कितनी देर लग सकती है, इसको दृष्टि में रख कर जो समय निर्धारित किया जाना चाहिए, उस समय का इस कानून में उल्लेख नहीं है यह उल्लेख होना चाहिए कि बोर्ड की दुबारा नियुक्ति जल्दी से जल्दी कितने समय में हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर को आप कितने समय तक रखेंगे, इसकी व्यवस्था कर दें । हो सकता है कि १५ दिन का समय लगे, सरकार इतनी कॉम्पीटेन्ट हो कि बोर्ड को सुपरसीड करने के बाद दुबारा बोर्ड की नियुक्ति २० दिन में कर दे, एक महीने में कर दे । लेकिन इतनी लम्बी मियाद रखने का अर्थ यह होता है कि हमें सन्देह होता है कि इतना लम्बा अर्सा रखने में सरकार की मन्शा क्या है ? क्या सरकार की यह मन्शा है कि जो काम बोर्ड न करे, वह एडमिनिस्ट्रेट के द्वारा करा ले । एडमिनिस्ट्रेटर की जो पॉवर्स होंगी वे लिमिटेड होंगी। हम मान सकते हैं कि जो बोर्ड की पॉवर्स हैं, वह एडमिनिस्ट्रेटर को पॉवर्स दे दें और एडमिनिस्ट्रेटर वे सब पॉवर्स इस्तेमाल कर सकता है जो बोर्ड के पास हैं, तो जो भी व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आता है, उससे जो सरकार चाहे, वह करा सकती है । इससे हमें सन्देह होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह भी हो सकता है कि बोर्ड जितनी कार्यवाही कर सके, वह व्यक्ति उन सब को खत्म कर दे । बोर्ड जो काम दो साल में करता है, उससे सरकार की जो नीति है, जो मन्शा है, वह पूर्ण नहीं होती हो, या इस नीति के विपरीत कोई सदस्य अपनी विचार धारा प्रस्तुत करता है या बोर्ड उस नीति को कार्यान्वित करने के लिए दूसरे नियम बनाता है, तो उस बोर्ड को भंग कर दिया इनकोम्पीटेन्सी का सर्टीफिकेट देकर और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया, जो कि सरकार की मर्जी का होगा उसकी पॉवर्स पर लिमिट नहीं है । तो जो बोर्ड ने अपने ढंग से नियम बनाये हैं, जो कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित की हो, उसमें क्या वह परिवर्तन नहीं कर सकता ? वह परिवर्तन कर सकता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर की पॉवर्स हैं, वह बोर्ड की पॉवर्स हैं । अब, अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगायें कि एक शिक्षा शास्त्रियों का बोर्ड एक तरफ और अकेला व्यक्ति एक तरफ जो शिक्षा शास्त्रियों ने निर्णय दिये हैं, उनके विपरीत वह कानून बनाये और उसकी व्यवस्था करे । इसके साथ ही यह भी मालूम नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर आइ. ए. एस. केडर का आदमी होगा । अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, जो सरकार की मर्जी का पात्र हो । कोई योग्य, क्वालिफाइड, शिक्षा शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटर होगा । इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई तहसीलदार को भी एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है । बोर्ड के मुकाबिले में बिना क्वालिफिकेशन निर्धारित किये आप एडमिनि-

(श्री भैरोंसिंह)

स्ट्रेटर बनाते हैं, क्या इससे बोर्ड की मन्शा पूरी होती है ? बोर्ड का काम करने की दूसरी नीति है, उसके कुछ फंक्शन्स हैं, लेकिन नहीं, इससे सरकार की एकाधिकार की मनोवृत्ति, रेजीमेन्टेशन आॅफ थोट की मनोवृत्ति है, उसका परिचय मिलता है ।

सरकार को चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में क्वालिफिकेशन्स प्रेस्काइब करें, इसमें बोर्ड की तौहीन नहीं होती है । इस तरह की रेस्ट्रिक्शन्स आयद करें और फिर भी सोचें कि इतना होते हुए भी बोर्ड को सुपरसेशन करने के अधिकार सरकार को मिलने चाहिये तो फिर करें । पर इसके विषय को कार्य रूप में परिणत करने वाली यह क्लॉज सदन पास करता है तो इस कानून के बनाने की कोई मंशा ही पूरी नहीं होती और अगर असंसदीय नहीं हो तो मैं यह कहूँगा कि कानून बनाने का एक प्रकार का ढोंग हमारे सामने आता है ।

हमें समय बर्बाद नहीं करना है, जनता की खरी कमाई के पैसे का सदुपयोग करना है और इसके लिये ऐसा कानून बनायें, केवल विधान सभा की छाप लगाने के लिये तो पूर्णतः सदन का विश्वास प्राप्त करना चाहिये । हम विरोधी दल के सदस्य ही केवल विरोध करें तो कह सकते हैं कि विरोधी दल के हैं इस लिये विरोध किया है पर उस तरफ बैठे हुए राजस्थान के कतिपय माने हुए अनुभवी सदस्यों ने इसका विरोध किया है, जिनको राजस्थान सरकार की रीति-नीति का ज्ञान है, जिनको वर्षों राजस्थान की सरकार को चलाने और सरकार के रूप में काम करने का तजुर्बा है, उन्होंने इसका विरोध किया है । पर जिनको सरकार के रूप में काम करने का तजुर्बा कुछ ही महीनों का है, वे कहते हैं कि सही नहीं हैं । हो सकता है मतभेद हो, पर इसके लिये भी कोन्फीडेन्स में लेने की आवश्यकता थी, उधर बैठे हुए सदस्यों को भी विश्वास में, कोन्फीडेन्स में लेने की आवश्यकता थी । केवल विरोधी दल के सदस्य ही नहीं राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री इसमें सन्देह प्रकट करते हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पुराने और अनुभवी काम करने वाले माननीय सदस्यों ने संदेश प्रकट किया है । हम संदेह प्रकट करते हैं, उस संदेह को नहीं मिटाना चाहते, हमें कोन्फीडेन्स में नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं पर जो उधर बैठे हुए हैं, उनके संदेह को तो दूर करें, आप अपने संदेह को तो दूर करें । पहले अपनी तरफ बैठे हुए सदस्यों का विश्वास तो प्राप्त करें । पर बदकिस्मती यह है कि विश्वास प्राप्त हुआ तो आजादी से नहीं, व्हिप से व्हिप इश्यू कर दिया कि इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, वाक आउट नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो पार्टी से एक्सपेल करने का नोटिस दिया जायगा । आज इस तरह की बातें सतारूढ़ दल की तरफ से को जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जहां यह प्रजातन्त्र की मखौल है वहां इस सदन और कानून का भी मखौल है । मैं माननीय उपमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको तजुर्बा नहीं है तो दूसरों के तजुर्बे से काम लें और उनको एक्सपीरियेंस नहीं है तो दूसरों से सलाह लें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय उपमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन तीनों क्लॉजेज को एक साथ तय करें । सदन में बैठ कर इन पर निर्णय करना संभव नहीं हो तो सदन के बाहर बैठ कर इनके बारे में निर्णय करें, नहीं तो यह तीनों चीजें एक दूसरी से

(श्री भैरोंसिंह)

इतनी इन्टररिलेटेड हैं कि इनको बिना विचारे पास किया गया तो इस कानून के बनाने का जो मकसद है वह पूरा नहीं होगा। इसलिये इनको डेफर कर दें। क्लाज ४ को तय करें, इसके बाद में इसके बारे में नीति निर्धारित करें और फिर इसे पास करें। अगर ऐसा नहीं करें तो सदन के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि इसका जितना हो सके घोर विरोध करें ताकि सरकार को पता चले कि जनमत इसके पक्ष में नही है।

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लाज २७ से लगा कर ३३ तक दो दिन से बहस चल रही है, उसमें मुख्य सुझाव यह है कि इन क्लाजेज को डिलीट कर दिया जाय और कल से मुझे बार बार कहा गया है कि उपमंत्री इस पर गहराई से विचार करें। मैं नम्र निवेदन कर दूं कि मैंने इस पर गहराई से विचार किया है और जितना गहरा गया हूँ मुझे विश्वास हो गया है कि इस कानून में ये क्लॉजेज़ रहने जरूरी हैं। कोई कानून या कानून के जरिये स्टेटुटरी बातें बनाते हैं तो उस कानून में ४ मुख्य अंग हुआ करते हैं। पहला वह अंग जिससे बिल का गठन किया जाता है, दूसरा वह अंग जिसके जरिये अधिकार दिये जाते हैं, तीसरा वह अंग जिससे अधिकारों को काम में लाने में कोई गलतियां हो गई हों, उनको सुधारने के लिये बन्धन और चौथा अंग, उसमें यह बताया जाता है कि जो अधिकार उनको दिये गये हैं उनको काम में नहीं ले, उन अधिकारों को काम में लाने में बारबार गलतियां करें तो क्या किया जाय ?

इन चार बातों में से पहले की जो तीन बातें हैं उनके बारे में कानून पास कर चुके हैं। यह क्लॉजेज़ हैं इस बारे में है कि अगर बोर्ड बार बार ये गलतियां करे तो क्या किया जाय ? आज राज्य कानून का हैं, एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति का राज्य था उस वक्त रख सकते थे कि कानून को पूरा नही करें ? तो जिस व्यक्ति का राज्य है, वह लिख दे तो कानून पूरा हो जाता है। पर इसके साथ यह शर्त थी की पंगु व्यक्ति राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। आज कानून का राज्य है तो पंगु कानून कभी पूर्ण कानून नहीं कहा जा सकता। अतः किसी संस्था के लिये कानून बनाये और उसे अधूरा छोड़ दें और उसमें यह नहीं रखें कि ऐसी ऐसी स्थितियां होंगी तो क्या किया जायगा तो ऐसा कानून पंगु कानून कहा जायगा।

इस क्लॉज में ३ संशोधन पेश किये हैं, एक तो यह कि २७ से ३३ तक के क्लाज डिलीट कर दें, दूसरा भी यह है कि क्लाज २७ से ३३ तक डिलीट कर दिये जायं, तीसरा संशोधन माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने पेश किया है कि क्लाज २७ को डिलीट कर दिया जाय।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन कानून की दृष्टि से ठीक नही है, क्लॉज़ २७ को डिलीट कर देते हैं तो बाकी २८ से ३३ तक के जो क्लॉज हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वे कोन्सीक्वेन्शियल हैं। इसको डिलीट कर देने के बाद में माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं, २८ से ३३ तक के क्लॉज को किस काम में लेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : वे तो कॉन्सीक्वेन्शियल क्लॉजेज हैं, इसके डिलीट किये जाने पर आप ही आप चले जायेंगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोन्सीक्वेन्शियल हैं, पर आपने तो इनके बारे में कोई संशोधन नहीं रखा न।

श्री भैरोंसिंह : यह तो समझने की बात है, इसके डिलीट करते ही वे अपने आप चली जायेंगे।

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): कानून में संशोधन करने का प्रश्न है, उसके बारे में अर्ज करता हूँ। इसके बारे में यह कहा गया कि इस बोर्ड में इतने सरकारी अधिकारी हैं जो सरकार के इशारे पर नाचने वाले हैं, उनके इस बोर्ड में रहते हुए इस बोर्ड को सुपरसेशन करने की कौन सी नौबत आयेगी ? इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बोर्ड का किसी सरकारी अधिकारी को सदस्य बनाया है तो हमने यह नहीं बनाया है कि बोर्ड में बैठने से पहले डाइरेक्टिव देंगे कि यह करना, वह करना। वहां जो जायगा वह शिक्षा के बारे में जो विचार रखता है वह स्वतन्त्रता के साथ व्यक्त करेगा।

तो इसलिये कह देना कि सरकार के हैं बोर्ड एक आटोनोमस बोडी है और उसका जो भी फैसला होगा वह पूर्णतया मान्य होगा और उसमें सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं आवेगी, जब तक कि परिस्थितियें कानून में लिखे के विपरीत न हो जावें।

इसके बाद में यह कहा गया कि विशेष कौनसी परिस्थितियें पैदा हो जावेंगी ? ऐसे कौन से कारण आ जावेंगे जिनसे कि सरकार को बोर्ड को सुपरसेशन करना होगा और यह भी कहा गया कि उन कारणों को कहा जाना चाहिये था। मैं यह निवेदन करूंगा कि कारण वही हैं जो एमर्जेन्सी का है। एमर्जेन्सी आखिर एमर्जेन्सी है। आखिर कौनसी ऐसी घटना हो जावेगी और कब हो जावेगी, यह कौन कह सकता है। इसलिए कानून में एमर्जेन्सी को मीट करने के लिये यह अधिकार रखा है। आज हम कानून बनाने जा रहे हैं। युनिवर्सिटी के एक्ट हैं इसी प्रकार बाहर भी इस तरह के बहुत से बोर्ड हैं और एक्ट हैं उन सब में इस प्रकार की धाराएं हैं। यहां तक कि इलाहाबाद जैसी पुरानी युनिवर्सिटी में भी ऐसी बात पैदा हो गई और वहां पर सुपरसीड करना पड़ा। इसलिये एमर्जेन्सी के जो कारण उत्पन्न हो सकते हैं वे कारण न तो आप बता सकते हैं और न मैं बता सकता हूं, यह तो परिस्थितियें ही बता सकती हैं। इसलिये उस समय पूछने के लिये कि अब हम इसमें क्या करें, ऐसी स्थिति पैदा न हो जावे, इससे बचने के लिये यह क्लॉज़ २७ और उसके आगे के क्लाज़ बनाये गये हैं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि सरकार ही जनतन्त्रवादी नहीं है और इसके पीछे जनता की राय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के अपनी राय प्रकट करने के भी तरीके हैं। यह नहीं कि किसी व्यक्ति ने कुछ भी कह दिया, किसी ने यह कह दिया कि सरकार खराब है तो उसका मतलब यह नहीं कि जनता ने कह दिया कि सरकार खराब है। जनता पांच वर्षों में एक दफा बोलती है और वह चुनावों के समय अपनी राय बतलाती है और आम चुनावों के नतीजे आप जानते हैं। पब्लिक ने चुनावों

Page No.48

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

में हमारे हक में अपना फैसला दिया है और हम पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। इसलिये आप यह नहीं कह सकते कि पब्लिक हमारे पीछे नहीं है।

१. २ म० प०

श्री भैरोंसिंह : आप सरकार की मदद से चुन कर आए हैं।

श्री पूनमचन्द : आप भी उसी चुनाव की पद्धति से यहां आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप सरकार के साधनों के उपयोग से पधारे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ २७ को यदि आप पढ़ें तो इसमें साफ लिखा है: 'If at any time in the opinion of the State Government, the Board is not competent to perform or persistenly makes default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act, or otherwise by law, or exceeds or abuses its powers, the State Government may by notification in the Rajasthan Gazette, publish an order superseding the Board (hereinafter referred to as the supersession order) and such order shall be in force for such period as may be specified in the order, and the State Government may by like notification extend such period from time to time;" यहां इसमें यह कहा गया है कि अगर राज्य सरकार की राय में बोर्ड इस कानून के द्वारा दिये गये अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करता है या अपने अधिकारों का बार बार दुरुपयोग करता है या जो काम उसके जिम्मे रखा है उसको करने में इनकोम्पीटेन्ट हो जाता है या परसिस्टेन्स होती है तो ऐसी हालत में यह ऑर्डर पास किया जा सकेगा और इस ऑर्डर को गजट में नोटिफाइ किया जावेगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आखिर इस एमर्जेन्सी के लिये तो हमें सोचना ही पड़ेगा। किसी ने यह नहीं कहा कि अगर इस तरह की एमर्जेन्सी पैदा हो जाती है तो इसके लिये क्या इलाज है?

श्री भैरोंसिंह : आप ऑर्डिनेन्स इश्यू करके कर सकते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें तो इसको न रख और फिर ऑर्डिनेन्स लाएं, इससे क्या सेन्स है? जब हम कानून बनाने जा रहे हैं तो इसको उस कानून में ही क्यों न रखा जावे बजाय इसके कि बाद में ऑर्डिनेन्स लाया जावे। यदि इसी कानून में इसको रखा जाता है तो राज्य सरकार के लिए ज्यादा अच्छा होता है। बनिस्पत इसके कि हम यहां पर बोर्ड पर कोई बन्धन नहीं रखें और बाद में उसके लिये ऑर्डिनेन्स पास करावें और बन्धन लावें। यह तो उससे भी बुरी परिस्थितियों का प्रश्न पैदा हो जाता है।

यदि कोई भी माननीय सदस्य यह कहते कि बोर्ड कितनी भी गलतियें करे तो करे, फिर भी सुपरसेशन नहीं करे तो मैं मानने के लिये तैयार था। मगर ऐसा किसी ने कहा नहीं। या तो वे यह राय देते या यह कहते कि ये ये गलतियें करते हुए भी उनको इस ऑर्डर से नहीं, गवर्नर के द्वारा या विधान सभा के द्वारा सजा दिलाई जावे तो मैं मान सकता था।

Page No.49

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

जब आप यह मानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में यह इलाज होना चाहिये और जरूरी है तो भी और सुझाव नहीं दिये गये और जब आपने कोई सुझाव नहीं दिये और यह सुझाव हैं तो इसके सिवाय मानने के कोई बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष, एक यह भी कहा गया कि यह कानून की तलवार है जो बोर्ड पर हमेशा लटकती रहेगी और बोर्ड के काम में सरकार बराबर बाधा डालेगी और अनुचित रूप से काम को कराने के लिये यह कानून रखा गया है। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कानून न हमारे कार्यकाल के के लिये केवल बनाया जा रहा है, यह तो बहुत दिनों तक चलता रहेगा। कानून की मंशा होती है कि वह ५० वर्ष, १०० वर्ष या २०० वर्ष रहे, इस अंदाज से कानून बना रहे हैं। यह भी निश्चित नहीं है कि हम यहां पर रहें हो। हो सकता है कल नहीं रहें और कोई भी दूसरा माननीय सदस्य आ सकता है। ऐसी हालत में यह कहना कि सरकार अपने फायदे की सोचती है, ऐसी बात नहीं है। यह तो जनतन्त्रवाद है, इसमें कोई भी आ सकता है। इसलिये यह क्लॉज़ इसी मंशा से रखा है, न कि किसी के खिलाफ पड़े इस मंशा से। कल यह हमारे खिलाफ भी पड़ सकता है और दूसरे लोग हमारे खिलाफ भी इन क्लॉजेज़ का दुरुपयोग करेंगे, यह बात तो हम भी विचार सकते हैं। हमारा विचार यह है कि हम पूर्ण कानून दें ताकि बोर्ड की कार्यवाही किसी भी वक्त बन्द न हो जावे, इसलिये यह तलवार रखी गई है और यह कानून की तलवार है और यह कानून की तलवार तो जनतन्त्र में रहेगी ही। पहले असली तलवार राजतन्त्र में रहती थी; जब एक व्यक्ति का शासन था या परदेशी हुकूमत थी उस समय असली तलवार थी। अब कानून का राज्य है और कानून के राज्य में कानून की तलवार तो अवश्य ही रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन है, यह तो रहना चाहिये और मैं जो संशोधन हैं उनको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य संशोधनों को वापिस ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir,

अभी माननीय सदस्य की तरफ से ऑथेन्टिक प्रोपोज़ल आये हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने उसकी आवश्यकता को स्वीकार किया है और ऑथेन्टिक प्रोपोज़ल बताये हैं, इसलिये इसके अनुसार संशोधन प्रस्तुत किये जावें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह बहस दो दिन चली और आज इसके लिये अवसर दिया जावे, यह उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत कर देंगे। इसके लिये यदि इसको अभी डेफर कर दें तो अच्छा होगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो मेरी सूझ की बात है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी सूझ का फायदा यदि उठालें तो क्या आपत्ति है?

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस संशोधन को बड़े शौक से और सोच विचार कर रखा था, मैं उसको पीछे लेने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा आशय इस संशोधन को रखने में यह था कि जब मैं देखता हूं कि इस बोर्ड के गठन में

(श्री नारायणसिंह)

७५ प्रतिशत से ज्यादा अधिक सरकारी कर्मचारी होंगे तब सारी नीति को निर्धारित करना सरकार के हाथ में रहेगा और जब....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय अध्यक्ष, मैं तीन दफा साफ कर चुका हूं कि सरकार बोर्ड के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का आदेश देकर नहीं भेजेगी और हर एक सदस्य को अपने विचारों को व्यक्त करने का पूरा अधिकार होगा और सरकार की नामजद की नीति है वह इसलिये कि जो लोग जिस फील्ड को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं, वहीं से वे आवें।

श्री नारायणसिंह : Sir, I am not raising a controversy. I am just clarifying the hole position और जब सारी कार्यवाहियों में भी कई प्रतिबंध हैं तो मैंने सोचा था कि एक सुपरसैशन का क्लॉज़ शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था के लिए जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें आवश्यक नहीं है क्योंकि यहां पर कोई खास पब्लिक सिक्यॅरिटी का सवाल तो उठता नहीं है। मैंने सोचा था कि इसी सदन के प्रगाढ़ शिक्षा पंडित शायद इसका समर्थन करेंगे जब कि उन्होंने एक ऐसा व्यापक विचार रखा कि चेयरमैन भी इस बोर्ड का अलग और शिक्षाशास्त्री होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने इस पर प्रकाश डाला और मैंने जब उसको सोचा तो मेरे सामने कुछ मुद्दे आये कि एक तो कुछ ऐसा संकटकालीन समय भी उपस्थित हो सकता है कि जिस समय बोर्ड के जो मेम्बर्स हैं वे अधिक तादाद में उपस्थित न हो सकें, उसकी कार्यवाहियों में पूरी दिलचस्पी न लें, तो ऐसी अवस्था में सरकार उसको सुपरसीड कर सकती है।

दूसरी चीज यह थी कि उनमें इस प्रकार से गुटबन्दी का भी समावेश हो जाय शायद उनकी मौलिक प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो जाये या कुछ ऐसे रोड़े आ जायें जिनको कि आज अनुमानित नहीं किया जा सकता तो ऐसी दशा में कोई ऐसा शस्त्र सरकार के पास नहीं होगा जिससे इस बोर्ड को पुनर्गठित नहीं किया जा सके। मैं मानता हूं कि ऐसी दशा आ सकती है। फिर भी मैं देखता हूं कि कई रुकावटें और इसमें जो प्रतिबंध रखे गए हैं उनसे शायद ऐसा मकसद हल हो सकता था कि इसको मोडीफाई करके इसी सुपरसैशन के जो सारे क्लॉजेज़ रखे गये हैं उनको किसी दूसरे रूप में रखा जा सकता था। अभी माननीय उपमन्त्री महोदय ने संकेत किया कि कानून के चार अंग होते हैं। एक तो रचनात्मक, अधिकारात्मक, प्रगदात्मक और निषेधात्मक। मैंने इस जानकारी से बहुत ही लाभ उठाया है। मैं मानता हूँ कि इन चार धाराओं में होकर एक कानून को बहना चाहिये। वास्तव में हम विधिगत् परम्पराओं और परिपाटियों को तोड़ने में कुछ धीमे रहते हैं और उनको तोड़ने में कुछ काफी कष्ट भी होता है क्योंकि नई परम्पराओं का गठन करने में कुछ समय लगता है और विधि परम्पराओं को तोड़ने में यदि हमारा हाथ कांपता है तो वास्तव में यही ठीक होता है कि उसको परिवर्तनों के झंझावात के लिए छोड़ दिया जाय। वही उसको न्याय दे सकता है। और ऐसे कांपते हाथों से ऐसी परम्पराओं को अलग करना भी ठीक नहीं है, जब तक कि हम उसमें सुस्थिर न हो जायें, जब तक कि हम नयी परम्पराओं का प्रादुर्भाव न कर लें। इसी दृष्टि से मैं समझता हूँ कि इस सुपरसैशन के क्लॉज़ की जिन बातों को मद्दे-नज़र रखते हुए आवश्यकता पड़ती है उसके

(श्री नारायणसिंह)

बजाय हम कोई दूसरी चीज को सोच सकते तो इस सुपरसैशन के क्लॉज को यहां रखने में कोई आपत्ति नहीं होती। यों तो बोर्ड, जो सरकार की नीति निर्धारित होगी, उसी को कार्यान्वित करने के लिए होगा ही और उसके गठन में काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि विश्व विद्यालयों से या दूसरी संस्थाओं से आयेंगे। तो ऐसी दशा में कोई शिक्षा-नीति के ऊपर आघात डालने वाली बात तो नहीं उठती मालूम पड़ती। यह तो एक व्यवहारिक बात हुई। अगर सरकार यह जरूरी समझती है कि सुपरसैशन रहना ही चाहिये और ऐसी संकटकालीन परिस्थिति उपस्थित हो सकती है कि जिसका आज हम अनुमान नहीं कर सकते तो ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है; यह रहे तो भी कोई बात नहीं है। मैं इतना सा और अर्ज करना चाहता हूं कि जो इसमें एक साल तक की अवधि रखी गई है कि एक साल तक भी बोर्ड सुपरसीड हो सकेगा, मैं चाहता हूं कि इस विषय में थोड़ा सा अधिक विचार किया जाना चाहिये कि उसकी अवधि अगर कुछ कम हो सकती है तो ठीक होगा क्योंकि बोर्ड का पुनर्गठन कोई खास समस्या नहीं है। जो बोर्ड के गठन के लिये क्लॉज ४ में सारी दिशायें बताई गई हैं, उसमें हम बहुत ही सहूलियत से नये व्यक्ति रख सकते हैं। बोर्ड में जो रुकावटें आयेंगी तो वे थोड़े ही व्यक्तियों के कारण आ सकती हैं जो कि गुटबन्दी में आ जायें या उनकी-सतत् उपस्थिति ही वहां न रहा करे और वे ज्यादा दिलचस्पी न लिया करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे बोर्ड के पुनर्गठन में एक साल की अवधि तक गुजर जाये ऐसा अनुमानित नहीं कर सकते। तो यदि उपमन्त्री महोदय इस पर विचार करें और इस अवधि को थोड़ा संशोधित कर दें तो अच्छा रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : ये सारे संशोधन एक ही साथ लेंगे।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नारायणसिंह मसूदा ने क्लॉज़ेज़ २८, २६, ३०, ३१, ३२ और ३३ में रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order the amendments on all the clauses have not been moved.

श्री अध्यक्ष : They have been moved together.

श्री श्रीभानसिंह : We are discussing clause 27.

श्री नारायणसिंह : All the consequential amendments on my amendment. I have moved togeher with the Speaker's permission.

श्री श्रीभानसिंह : It is legally defective. How can all the amendments be moved in clause 27? Clause 27 is under discussion of the House, and not clauses 28, 29 and 30.

श्री नारायणसिंह : I think, Sir, it was upto the discretion of the Speaker to allow me. It was allowed.

श्री अध्यक्ष ; I think, it was allowed to be taken.

Page No.52

श्री नारायणसिंह : I beg to submit that it is only my amendment which I am going to withdraw and permission will be accorded for this only,

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Let us see whether these amendments have been moved or not.

श्री अध्यक्ष : They were taken as moved and discussion was allowed on all the clauses as a whole.

श्री नारायणसिंह I : beg to submit, Sir, that by my withdrawing the amendment it does not breach the right of the Hon'ble members at all.

श्री अध्यक्ष : Not at all.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विदड्रा करने की इजाजत देने से राइट इसलिए प्रेजुडिस होता है कि क्लॉज २७ पर अमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत देते हैं तो जिस प्रकार २८ वें क्लॉज में जिसमें कि संशोधन रखा है उस पर हम फिर से विचार कर सकते हैं। हमने किसी धारा पर अगर संशोधन नहीं रखा है तो भी उस पर विचार तो रख सकते है। मैं समझता हूं कि ऐसी पोजीशन क्लियर हो जायगी और हम आगे भी क्लॉज पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो अमेन्डमेन्ट दिया था वह एक ही हैड में दे दिया था।

If he writes for the whole Bill, it does not mean that amendments to the whole bill have been moved.

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक २७ वीं क्लॉज का संबंध है आपके संशोधन के बारे में, वह वापिस लेने की इजाजत दे दी जाय और अब इसके बाद २८, २६, ३०, ३१, ३२ और ३३ एक एक क्लाज लिये जायें और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अमेंडमेंट एक ही हैड में था, इसलिए उन्होंने ऐसे रख दिया है ; ऐसा आशय कल नहीं था।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २७ से लगा कर ३३, सभी क्लॉजेज़ में अमेन्डमेन्ट मूव कर दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : That is my impression also.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Let the proceedings be seen.

श्री अध्यक्ष : They are taken as moved because they were taken together and all the arguments were heard togeher

श्री नारायणसिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा अमेन्डमेन्ट मैं वापिस लेता हूं। इसका मतलब यह होगा कि मेरी तरफ से कोई अमेन्डमेंट नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि दूसरे अमेन्डमेन्ट्स पर कोई बातचीत ही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आपका नहीं है. श्री जगदीशप्रसादजी ने भी इस पर अमेन्डमेन्ट्स मूव किए हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मूव ही नहीं किये हैं। Unless an amendment is moved, how can it be taken ?

Page No.53

श्री अध्यक्ष : You have spoken on this.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I have not spoken. How can I speak on all the amendments ?

श्री अध्यक्ष : That is what is written in the proceedings. All the clauses were taken together.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल की प्रोसीडिंग्स में देख लिया जाये ; जो जगदीशप्रसादजी ने अमेन्डमेन्ट मूव किया है और उनका अमेन्डमेन्ट नम्बर ४० है, that is regarding clause 27 : फिर नम्बर ४१, ४२, ४३ और ४४ अमेन्डमेन्ट्स हैं, they are separate amendments

श्री अध्यक्ष : क्लॉजेज़ सैपरेट हैं मगर वे साथ लिये गये थे ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : For that we are seeing the proceedings, आप इसका जवाब देना चाहते हैं, श्री जगदीशप्रसाद जी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य विद्ड्रा करने के समय कुछ कहना चाहते हों तो कहें ।

श्री नारायणसिंह : मेरे अमेन्डमेन्ट सब क्लॉज़ेज में साथ ही हैं, इसलिये मैं सबको एक ही साथ विद्ड्रा करने की इजाजत मांगता हूं ।

श्री श्रीभानसिंह : If you commit a mistake, that does not mean...

श्री अध्यक्ष : I think it is no mistake.

श्री श्रीभानसिंह : If the Hon'ble Member speaks on the whole Bill, we are not at fault.

श्री अध्यक्ष : There is no question of fault. It was permitted that all the clauses will be teken together ; amendments will be taken together, that is what I am told.

श्री श्रीभानसिंह : The proceedings may be seen.

श्री अध्यक्ष : You my reply for 27.

श्री श्रीभानसिंह : First the proceedings may be seen.

श्री अध्यक्ष : They are being referred to. In the meanwhile you can speak.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर):- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २७ में जो बोर्ड को सुपरसीड करने के अधिकार गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में लिये हैं, उस संबंध में उत्तर देते हुए माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा कि कानून बनाने के अन्दर हमें चार बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है । जिन चार बातों को उन्होंने बताया उनमें से तीन बातें तो २६ में ही क्लॉज़ कवर हो जाती हैं । अगर कोई इमर्जेन्सी पीरियड हो, कोई सुझाव या कोई गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स बोर्ड नहीं मानता है तो क्लॉज़ २६ के अन्तर्गत उस पर कार्यवाही कर सकते हैं, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के भी तो बोर्ड में आदमी होंगे वे भी इन बातों का ध्यान रखेंगे । इसके अलावा जो बोर्ड बनेगा

Page No.54

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उसकी बैठकें महीने के अन्दर, छः महीने के अन्दर हुआ करेंगी। उसमें अगर एक्चुअल वर्क करें तो गवर्नमेन्ट के जो अपोइन्टेड हैं, वे गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स होंगे वे केरी आउट करेंगे। इसके अलावा एक वर्ष के अन्दर-अन्दर फिर बोर्ड को रिकोन्स्टीच्यूट करते हैं और अधिकांश में सरकारी कर्मचारी उसमें हैं....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He should confine to the arguments advanced by me. He should try to meet them as to how they are fallacious. He should not raise new arguments which I am uuable to reply.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जहां तक गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स का उसमें रहने का सवाल है, वे गवर्नमेन्ट की पोलिसी को चलायेंगे....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Officers, those who are members, not executive oflicers to whom you are referring.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : गवर्नमेन्ट के जब मेम्बर्स उसमें नियुक्त हैं, अगर गवर्नमेन्ट के आदेशों की अवहेलना होती दीखे तो वहां उनका बहुमत है, वे जिस तरह से भी चाहें गवर्नमेन्ट के आदेशों को बोर्ड द्वारा मनवा सकते हैं। इसलिये यह सुपरसेशन के अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है।

जिन परिस्थितियों का सामना करने के लिये आप गवर्नमेन्ट को अधिकार दे रहे हैं वे परिस्थितियां कौन सी होंगी? जो भविष्य की आशंका उपमंत्री महोदय करके चलते हैं वे परिस्थितियां कौन सी हैं, वे तो उन्होंने नहीं बतायीं। इसलिये सदन की अनुमति के लिये मैं अपना अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्लॉज़ २७ पर संशोधन था।

श्री अध्यक्ष : आपका अमेन्डमेन्ट तो शायद ड्रॉप हो गया था?

श्री सतीशचन्द्र : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने वह मूव किया था और उस पर मैंने अपना वक्तव्य भी दिया था।

श्री अध्यक्ष : जारी रखिये।

श्री सतीशचन्द्र : (जारी) माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माध्यमिक शिक्षा विधेयक के क्लॉज़ २७ पर एक संशोधन मैंने भी सदन के सामने प्रस्तुत किया था। संशोधन प्रस्तुत करते समय मैंने यह विचार व्यक्त किये थे और माननीय उपमंत्री महोदय से निवेदन किया था कि वे इस क्लॉज़ पर गहराई से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। जिस बोर्ड का निर्माण इस विधेयक के अन्तर्गत हम करने जा रहे हैं उस बोर्ड के बारे में किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार की शंका राज्य सरकार के मन में नहीं रहनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि उन्होंने इस क्लॉज़ पर गहराई से विचार किया है! मैं नहीं समझता कि वे कितनी गहराई तक गये। अपने उत्तर के दौरान में उन्होंने जो विचार सदन के सामने व्यक्त किये, मैं समझता हूं, उन्होंने गोते खाने की कोशिश तो जरूर की लेकिन तैरना नहीं जानते थे, इसलिये गहराई तक नहीं पहुंच सके और ऊपर आ गये। जो दलीलें उन्होंने हमारे संशोधन के

Page No.55

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उत्तर में दी हैं. कानून के बड़े बड़े सिद्धान्तों का सहारा लेकर दी हैं । उन्होंने कहा कि कानून को बनाते समय चार बातों का ध्यान रखा जाता है । अगर चार बातों में से किसी भी एक बात की कमी रह जाती है तो वह कानून पंगु हो जाता है । बोर्ड के जो अधिकार हैं उसके कन्ट्रोलिंग पॉवर्स जो हैं अगर उन अधिकारों के अन्तर्गत बोर्ड काम न करे तो क्या व्यवस्था होनी चाहिये, इस प्रकार की बातें रखकर उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ उन्होंने उपरोक्त बातें रखने में कुछ त्रुटी की है । जिन चार बातों का उन्होंने उल्लेख किया उनमें हमें कोई मतभेद नहीं । उन्होंने कहा कम्पोजीशन, फंक्शन्स पॉवर्स, एन्ड देन कन्ट्रोल, इन चार बातों के आधार पर कानून बनना चाहिये । मैं यहां यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं, जो उन्होंने चतुर्सूत्रीय चतुर्बिन्दु कानून के निर्माण की बात कही, जिस बोर्ड का हम निर्माण करने जा रहे हैं, जीवन-दान देने जा रहे हैं, जिस बोर्ड को जन्म देने जा रहे हैं उसको चार भागों में विभाजित किया है, उसका जीवन चार बिन्दुओं के अन्दर रखने की कोशिश की है । अध्यक्ष महोदय, हमारा जीवन भी चार आश्रमों में विभाजित किया गया है । ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम । अध्यक्ष महोदय, सन्यासाश्रम के बाद मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है । जहां हमारे जीवन-चर्या की भी चार दिशायें निर्धारित कर रखी हैं, वहां भी कोई पांचवां आश्रम नियत नहीं किया गया है । चार बिन्दु तक तो ठीक है, पांचवीं जीवन की प्रक्रिया किसी ने निर्धारित नहीं की, क्योंकि सन्यासाश्रम के बाद मृत्यु हो जाती है । अतः मृत्यु को किसी ने भी जीवन चर्या में शामिल नहीं किया । जहां हमारे जीवन-चर्या के चार विधान हो सकते हैं, उसी प्रकार इस कानून के भी चार विधान होने चाहिये । जब तक जीवन रहता है तब तक ये सब चर्चायें रहती हैं मृत्यु को इसमें किसी ने नहीं गिना है । लेकिन यह जो २७ वां क्लॉज़ रखा गया है, इन चार बिन्दुओं के अन्दर नहीं आता है, यह तो परलोक गमन की धारा है, इसका समावेश उन चार में हो नहीं सकता । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो चार चीजों का प्रावधान रखा है वही ठीक है, यह पांचवां प्रावधान मृत्यु के बाद का करना किसी भी प्रकार न्याय-संगत नहीं होगा ।

इसके अलावा अपने विचार व्यक्त करते हुए मैंने क्लॉज़ २७ के बारे में यह संशोधन रखा था कि इसको डिलीट कर दिया जाय । इसके अलावा २८, २६, ३० और ३३ क्लॉज़ेज़ हैं, अगर मेरा संशोधन क्लॉज़ २७ में मान लिया जाता है, तो बाकी सब क्लॉज़ेज़ बेकार हो जाते हैं । आगे के क्लॉज़ेज़ में माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं, उन सब का यह मुख्य क्लॉज़ है । जिन लोगों ने एक एक क्लॉज़ में संशोधन रखा है उन्होंने इसको हलाल करने की कोशिश की है और मैंने जो संशोधन क्लॉज़ २७ में दिया है उसको एक ही झटके में साफ करने की कोशिश की है । क्लॉज़ेज़ २८, २६ और ३०, ये सब डिपेन्डेन्ट हैं ।

"If a supersession order has been passed under clause 27, then what would happen? If an order under clause 28 has been passed, then what would happen?

इसलिये जब मूल तत्व ही नष्ट हो गया जब उसका झटका ही हो गया, उसका अन्तिम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्रिया कलाप हो गया तो आगे की व्यवस्था का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय उपमन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा संशोधन मूल में जाता है, जड़ को काटता है, आप पेड़ पर बैठे रहियेगा तो आप अन्दाज लगा सकते हैं, आपकी क्या हालत होगी, वही हालत और धाराओं की होगी। हमें जब शंकाएं हुईं तो कहा गया हमारी शंकाओं का निराकरण करते हुए ये शंकाएं निर्मूल है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमने बाकी की क्लॉजेज पर शंकाएं कीं तो कहा गया कि शंकाएं क्यों करते हैं, पर बोर्ड से स्पेन्शन की जब क्लाज आई तो अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप नाहक में क्यों बोर्ड पर शंका करते है। तो हमारी शंकाएं तो वास्तविक शंकाएं थीं। पर आपकी शंकाएं तो स्पेकुलेशन्स पर बेस्ड हैं, आपको शंका है कि आगे जाकर मालूम नहीं कैसी परिस्थितियां हो, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जब बोर्ड इस एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करना शुरू कर दे, खाम खयाली में कर दे, हवा में कर दे तो ऐसी स्थिति में उसे भंग करने का अधिकार सरकार को चाहिये। अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियों की अवस्थाओं का उनको आज ज्ञान नहीं, किन हालतों में इसकी आवश्यकता होगी, उसका स्पेसिफिक नोलेज उनको नहीं। मैं समझता हूं कि हवाई किले बनाकर सपने देखकर खाम खयाली की दुनियां में डूबकर, बिना परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण किये बोर्ड को भंग करने का अधिकार सरकार द्वारा अपने हाथों में लेना केवल उन लोगों जैसी बात होगी, जिनको परिस्थितियों का ज्ञान नहीं। जैसे दो लोग खड़े हैं भांग पीकर चौराहे पर। आसमान में हवाई जहाज जा रहा है। उसके दो चक्के हैं उनको देखकर एक ने कहा इसके पहिये गिर गये तो क्या होगा? दूसरा कहता है, मैं इन्हीं अपने बाजुओं पर सम्भाल लूंगा, तुम चिन्ता न करो। न चक्के गिरेंगे, न आज तक कभी गिरे है, न बाजुओं पर सम्भालने की नौबत आवेगी। तो यह इन भंगेड़ी लोगों की तरह की बात होगी। जिनको परिस्थितियों की अवस्थाओं का ज्ञान नहीं, बोर्ड के लिये कह दिया, बोर्ड ऐसा काम करेगा जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात हो, तो उस अवस्था में बोर्ड को सस्पेन्ड करने की स्थिति आ सकती है। मैं कहना चाहता हूँ हमें ऐसी कपोल कल्पित बातों पर चलने की आवश्यकता नहीं।

उन्होंने अपने सारे उत्तर में यह भी फरमाया कि आज कानून का राज्य है। यह तो हम भी मानते हैं और कानून का ही राज्य है इस लिये आप के सामने हम अपने विचार भी रखते हैं और यह भी विचार व्यक्त किया गया कि आगे आने वाली जेनरेशन के लिये सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कानून बना रहे हैं, कोई यह भी कह रहा है कि यह कानून तो सबके लिये बन रहा है। अगर दूसरी तरफ बैठने वालों की सरकार कभी आई तो उसके लिये भी यह कानून बनेगा। यह तो सभी सरकारों के लिये है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनके मनों में ये आशाएं हैं तो उनकी आशाएं भी सफलीभूत होंगी। साक्षात् होंगी; आज नहीं तो कल। इधर की सरकार बनने वाली है। दूसरों का भी कार्यकाल आने वाला है, आप ऐसा मानने लगे हैं तो फिर क्यों नहीं एक खिलाड़ी की तरह आज ही यह एक छोटा सा संशोधन इधर के आदमियों का आप स्वीकार कर लेते हैं? आप यह सोचते हो कि यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तलवार तो लटकती रहेगी, कानून की हमेशा लटकती रहनी चाहिये। पर तलवार, तलवार में भी फर्क होता है। तलवार लकड़ी और लोहे की भी होती है और भी किस्म की तलवार चलती है आजकल। उनका मतलब शायद इससे था। रेशम की भी तलवार होती है। यह बड़ी खतरनाक होती है। रेशम की डोर की तलवार बहुत गहरा वार करती है और बहुत गहरा घाव लगाती है। इसलिये ऐसा लगता है कि देखने में तो यह डोरी की तलवार है। सरकार कहती है कि हम जो अधिकार इसमें ले रहे हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, कोई बेजा फायदा नहीं उठावेंगे, नाजायज काम इससे नहीं करावेंगे। पर अध्यक्ष महोदय, अन्त में उन्होंने कह दिया कि हम इसे सस्पेन्ड भी कर सकते हैं और हवाई आधारों पर कर सकते हैं; तो यह जो कानून की तलवार है, वह रेशमी डोरे की तलवार दिखाई दे रही है। यह बहुत भारी वार करेगी। इसके जीवन को ही हमेशा के लिये यह खतम कर देगी। जो घाव यह करेगी, वह घाव फिर यह बोर्ड भर नहीं सकेगा। क्लॉज़ २७ को डेफर करने का आश्वासन उपमन्त्री महोदय ने दिया है। इसको देखते हुए में फिर अपनी भावना को उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि यह बहुत घातक क्लॉज़ है।

यह शिक्षा का बोर्ड कोई लोकल बोडीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यु० या पंचायत का बिल नहीं है, इसे इनकी दृष्टि से आप न देखें। इसके अन्तर्गत जो बोर्ड बनेगा वह इस प्रदेश के चुने हुए चोटी के शिक्षा शास्त्रियों का बोर्ड होगा, इसे इस प्रदेश का विकास करने वाले, हमारी भावी पीढ़ी को सुसंस्कृत और शिक्षित बनाने वाले बोर्ड के रूप में देखें और इस रूप में अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है और विश्वास ही नहीं आशा है कि उपमन्त्री महोदय के कल तक जो भावों में फर्क आया था, वे हमारी इन भावनाओं की कद्र करते हुए निश्चित रूप से आज यह आश्वासन भी दे देंगे, नहीं तो मन में ही निश्चय प्रकट करेंगे कि इस प्रकार की इस क्लॉज को वे वापिस ले लेंगे और जो मैंने संशोधन उनके सामने रक्खा है उसको स्वीकार करेंगे और संशोधित क्लॉज़ के साथ पूरे इस विधेयक को पारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कुछ क्लॉज़ेज़ पेन्डिंग हैं। Are you prepared to have dabate on them?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I am prepared,

श्री अध्यक्ष : इसलिये प्रोसीडिंग देखूँ तब तक इसको रोक देंगे और ३ क्लाजेज़ ४, १५ ए और १६ ए पर विचार कर लेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पर अध्यक्ष महोदय, इन क्लाजेज़ के बारे में हमें ऐसी इन्फोर्मेशन तो होनी चाहिये कि इनको आज लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस क्लाज़ पर कार्यवाही को देखने की जरूरत पड़ेगी, तब तक सदन की कार्यवाही न रोकी जावे, इसलिये ये क्लाजेज़ ले लें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो क्लाजेज़ डेफर किये गये थे और जिस पर्पज़ से वे डेफर किये गये थे वह पर्पज़ तो यह था कि इस पर अन्य लोगों से भी विचार-विमर्श किया जाकर कोई निर्णय पर पहुंचते।

श्री अध्यक्ष : पर्पज़ तो खुद के सोचने-

(श्री अध्यक्ष)

विचारने का था। ये और उस पर विचार करना चाहते थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पर्पज़ तो यह बताया गया था कि ये क्लाज़ेज़ कन्ट्रोवर्शियल हैं, इसलिये सब बैठकर दोनों पक्ष वाले इन पर विचार कर लेंगे। इसलिये ये डेफर किये गये थे। उन्होंने तो इस कानून को बनाया ही था। तो अब स्वयं के विचारने के लिये डेफर किया गया था या हाउस के सभी रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ के विचार जानने के लिये और उनकी भी सलाह ले लेने के लिये किया गया था ?

श्री अध्यक्ष : आपने इसकी बहस के दौरान में जो तर्क रक्खे उनसे उनको शंका हो गई इसलिये उन्होंने पुनर्विचार उन पर करने के लिये समय मांगा और अब विचार कर चुके हैं। सो क्लॉज़ ४ पहले ले लें। इसमें अमेन्डमेन्ट तो मूव हो चुके हैं। जवाब बाकी हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जवाब भी हो चुका है साहब।

श्री नाथूराम मिर्धा: "हां, ना" करवाना बाकी है।

श्री अध्यक्ष : जितने संशोधन हैं वे स्वीकार नहीं होते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे वापिस ले लें।

(श्री सतीशचन्द्र के खड़े होने पर)

माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वापिस ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उस पर तो आपका जवाब हो चुका है। क्लॉज़ ४ पर तो जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रक्खे हैं उनका भी जवाब हो चुका है। क्लॉज़ ४ तो कम्पलीट है साहब।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बाकी के तो सब संशोधन विद्ड्रा हो गये हैं, एक श्री श्रीभानसिंहजी का रह गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संशोधन मेरा भी है साहब।

श्री अध्यक्ष : आपका नहीं था, श्री मनोहर कोठारी का था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : विद्ड्राअल और जवाब भी नहीं हुआ था साहब।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : When it was being put to vote, I deferred it.

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ४ पर श्री श्रीभानसिंहजी ने रक्खा वह वापिस लिया जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

१·३८ म. प.

श्री अध्यक्ष : Now Clause 15 A.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन,

Page No.59

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ग), मैं निवेदन करना चाहूँगा कि क्लॉज़ ४ र मेरा एक संशोधन था और मैंने मूव भी केया था और अपने विचार भी व्यक्त केये थे।

श्री अध्यक्ष: पर इसमें amendments moved हैं by Shri P. K, Chowdhri, Shri Shri Bhan Singh and Shri Manohar Kothari; except Shri Shribhansingh, all other Members had withdrawn their amendments, यह पोज़ीशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस में ही मूव करने की परमिशन दे दी थी। I was permitted to move my amendments to clause 4, Sir.

श्री अध्यक्ष : आपको सिर्फ बोलने की इजाजत दी गई थी; हालांकि समय नहीं था और आपकी टर्न भी नहीं थी, पर चूँकि आप लेट आये थे और चाहते थे इसलिये बोलने की इजाजत दे दी गई थी। दो अमेन्डमेन्ट्स मूव हो चुके हैं, श्री नारायणसिंह मसूदा का और श्री पी० के० चौधरी का, इस पर आपका जवाब हो गया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारा जवाब नहीं हुआ साहब।

श्री अध्यक्ष : हां, तो फिर आप जवाब दें १५ ए पर जिस पर बहस हुई है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १५ ए में दो संशोधन आये हैं। मंशा यह है कि तीन साल के अर्से तक इस बिल के अनुसार डाइरेक्टर एजुकेशन के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को इस बोर्ड का चेयरमैन रखें लेकिन अमेन्डमेन्ट्स के द्वारा कहा यह गया है कि इसके बाद भी किसी शिक्षा शास्त्री को इस बोर्ड का चेयरमेन रखा जावे, कोई अन्य व्यक्ति डाइरेक्टर एजुकेशन के अलावा इस बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए। इस विषय में क्लॉज़ ४ पर बहस चली थी और उसके उत्तर में मैं काफी कह चुका था। मेरा इसमें निवेदन यही है कि आज के युग में शिक्षा की प्रगति काफी तेजी से हो रही है और शिक्षा में कौन २ से नये ट्रेन्ड्स आ रहे हैं या शिक्षा को किस तरफ बढ़ाना है, इसका ध्यान जो एक्चुअली डिपार्टमेन्ट में काम कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें हो सकता है। आपने सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट देखी होगी तो चेयरमैन के सम्बन्ध में भी उसमें भी डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए ही रिकमन्डेशन थी। इसलिए पहले तीन साल के लिए किसी शिक्षा शास्त्री को रख दिया जाय और उसके बाद में डाइरेक्टर एजुकेशन रखेंगे। तीन साल में डाइरेक्टर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे कि जो शिक्षा शास्त्री हो।

श्री सतीशचन्द्र : अभी क्या नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अब करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र : चटर्जी हैं।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : आप सुन नहीं रहे हैं ऐसा मालूम पड़ता है, कोई दूसरी बातें ही सुन रहे हैं।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार किसी डायरेक्टर एजुकेशन शास्त्री को तीन साल में लाने की कोशिश करेगी। सेकन्डरी एजुकेशन कमीशन ने भी यही राय दी है कि जो डाइरेक्टर एजुकेशन हो वही इस बोर्ड

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

का चेयरमेन होना चाहिए । इसलिए मेरी राय में यह बात बिलकुल ठीक है और चूंकि पहले तीन साल में हमारे यहां शिक्षा शास्त्री नहीं हैं और तीन साल के अन्दर यह काम पूरा करने की आशा करते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने अमेन्डमेन्ट्स हैं उनको विदड्रा कर लिया जाय, क्योंकि मैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री नारायणसिंह: I want to withdraw my amendment to clause 15A.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नारायणसिंह ने क्लॉज़ १५ ए पर रखा है उनको उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है ।

श्री नारायणसिंह : I withdraw my amendment.

श्री पी. के. चौधरी : ओनरेबल स्पीकर, सर, मेरा अमेन्डमेन्ट तो मैं विदड्रा कर लूंगा लेकिन उससे पहले दो बातें मैं कहना चाहता हूं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 'अमेन्डमेन्ट विदड्रॉ कर लूंगा', तो फिर आगे कहने की आवश्यकता क्यों हो गई ?

श्री अध्यक्ष : इन शब्दों के साथ करेंगे ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That shall have no meaning. Withdrawal shall be complete. There can be no qualified withdrawal.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बहादुर के साथ पीछे हटेंगे ।

(हंसी)

श्री पी. के. चौधरी: माननीय मंत्री महोदय ने निवेदन किया कि तीन साल के अन्दर-अन्दर किसी शिक्षा शास्त्री को इस बोर्ड का चेयरमेन करेंगे । मेरी समझ में यह नहीं आता है कि क्या किसी शिक्षा शास्त्री को ढूंढने में तीन साल लग जावेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मिलते नहीं हैं, आप बता दें । राज्य सरकार की तो यह इच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : तो क्या मेन्युफेक्चर हो रहे हैं ?

(हंसी)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रिटायर हो रहे हैं बाहर से ।

श्री पी. के. चौधरी : जिस किसी भी शिक्षा शास्त्री का इस बोर्ड के चेयरमेनशिप के लिए अपोइन्टमेन्ट हो तो वह व्यक्ति रिटायर्ड न हो, इतना जरूर खयाल रखें । मुझे मालूम हुआ है कि डाइरेक्टर एजुकेशन बनावेंगे तो कहीं से ढूंढ ढांढ कर किसी ५०-६० साल के व्यक्ति को ला रहे हैं । राजस्थान की हिन्दुस्तान के एरीया में तीसरी पोजिशन है । और डाइरेक्टर साहब को, जैसी कि मेरी जानकारी है, महीने में १५ दिन बीकानेर से यहां आना पड़ता है, २० दिन महीने में उनको मुसाफिरी करनी पड़ती है और जैसे जैसे शिक्षा का विकास होगा तो उस हालत में ज्यादा से ज्यादा टूरिंग ड्यूटीज़ होंगी । फिर चेयरमेन हुआ, ऐसा व्यक्ति जो रिटायर्ड शिक्षा शास्त्री हो, चाहे वह विद्यालंकार हो, पर घर ही बैठा रहेगा । उनसे टूरिंग ड्युटीज़ नहीं होंगी । जिस खयाल से, जिस मकसद से लाते हैं वह

Page No.61

(श्री पी. के. चौधरी)

आपका मकसद पूरा नहीं होगा। हो सकता है कि वे सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड के लिए आइडियल हों, सेकन्डरी बोर्ड ओफ एजुकेशन की पोलिसीज़ को बनाया करेंगे। इस काम के लिए ठीक हो सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि डाइरेक्टर एजुकेशन के पद पर किसी रिटायर्ड आदमी को न लाकर चाहे दूसरी जगह से ज्यादा तनख्वाह भी दी जाय, किसी एक्टिव आदमी को लाया जाय। इतने से शब्दों के साथ मैं मेरे अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने १५ए में रखा है उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendments.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It has yet to be put it before the House as to whether it has to be added as part of the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, please.

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Now Clause 16 A:

दो अमेन्डमेन्ट्स इसमें मूव हो चुके हैं, और कोई माननीय सदस्य इसमें बोलना चाहते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी के बोलने का तो सवाल ही नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Now once we have decided this thing it is merely consequential and shall be of academic interest only, because in the Bill itself we have got a provision that the Vice Chairman shall be an elected person and till three years the Director of Education shall be Vice-Chairman.

श्री अध्यक्ष : आपका (श्री चौधरी) अमेन्डमेन्ट है।

श्री पी. के. चौधरी: I don't want to move my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १६ ए में श्री पी. के. चौधरी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको विद्ड्राॅ करने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रधान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw.

श्री अध्यक्ष: श्री सतीशचन्द्र।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप भी विद्ड्राॅ करना चाहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि १६ (ए) में जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

Page No.62

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ (ए) विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : Now we come back to clause 27. Since there is a doubt, I think we should permit Shri Jagdish Prasad to move his amendment to clause 28.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसका निर्णय हो गया है। २८ डेफर हो गया है, २७ को तय करने की बात है।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ आप अपने एमेंडमेंट्स मूव कर दें।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २७ पर श्री जगदीशप्रसाद ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

"ना" पक्ष जीता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : Do you want to go in the lobbies ?

अनेक माननीय सदस्य : Yes, sir.

(विभाजन घंटी)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २७ पर श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

"ना" पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'हां' पक्ष जीता।

श्री मोतीलाल चौधरी : 'Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष : You want division then ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : एक दफा और सुन लें। एक दफा 'हां' और 'ना' और सुन लें, शायद आवाज से कन्विन्स हो जायं।

(विपक्ष के नकारात्मक रूप में सिर हिलाने पर)

Then "Ayes" in the 'Ayes' lobby and "Noes" in the 'Noes' lobby.

(विभाजन के पश्चात्)

हां पक्ष में २७ और ना पक्ष में ७१. संशोधन गिर गया।

विभाजन सूचियें इस प्रकार हैं :

'हां' पक्ष २७

श्री अनूपसिंह

श्री बालमुकुन्द

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)

श्री चन्दरसिंह यादव

श्री दलपतसिंह

श्री गज्जा पटेल

Page No.63

(श्री अध्यक्ष)

श्री हंसिया
श्री हीराभाई
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री कालूराम
श्री लक्ष्मीचन्द
कुवंर श्री मंगलसिंह
श्री मनरूपराम परिहार
श्री मोहरसिंह
श्री मुक्तिलाल मोदी
श्री नरेन्द्रसिंह
श्री नत्थीसिंह
श्री नाथूलाल करौल मीणा
श्री प्रभुलाल पुरोहित
श्री रघुवीरसिंह
श्री रामकरणसिंह
श्री रामनारायण वर्मा
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री सूरजमल
श्री तनसिंह
श्री वीरका
श्री श्री बेनाराम गहलौत

'ना' पक्ष ७१

श्री अब्दुल गफ्फार खां
श्री अमरा मीना रावत
श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया
श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
श्री बहादुरसिंह
श्री भवानीशंकर नन्दवाना
श्री बृजमोहनलाल शर्मा
श्री चन्दनमल बैद
डॉक्टर चन्द्रकला
श्री दलीपसिंह
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री दौलतराम सारण
श्री देवा गिरासिया
श्री देवीलाल
श्री धन्नालाल हरित
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्री गोपाललाल पुरोहित
श्री गुलाब सिंह
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
श्री हरिप्रसाद यादव
श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
श्री हजारीलाल चकोलिया
श्री जयचन्द्र
श्री जनार्दनराय नागर
श्री जेठमल बारबाड़
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
श्री ज्वालाप्रसाद
श्रीमती कमला बाई श्रोत्रिय
श्री कान्हा
श्री किशनलाल
श्री किशनसिंह बटेर
श्री लल्लूराम
श्री लालसिंह शक्तावत
श्री लक्ष्मण
श्री महादेवप्रसाद

(श्री अध्यक्ष)

श्री मांगीलाल
श्री मनोहर कोठारी
श्री मोडूलाल मीना
श्री मोहब्बतसिंह
श्री मूलचन्द
श्री मोतीलाल
श्री नारायणसिंह (मसूदा)
श्री नारायणलाल
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री नाथूराम
श्री नाथूराममिर्धा
श्री निरन्जननाथ आचार्य
श्री परसराम मंडेरना
श्री फूला भाई
श्री पी. के. चौधरी
श्री पूनमचन्द बिश्नोई
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
श्री रामचन्द्र
श्री रामदान चौधरी
श्री रामदेवसिंह
श्री रावतराम नांहल
श्री रावतराम
श्री रिखबचन्द धारीवाल
श्री सज्जनसिंह
श्री सम्पतराम
श्रीमती सतवंत कौर
श्री शीशराम ओला
श्री सोहनलाल भटनागर
श्री श्रीमानसिंह
श्री सूबेदारसिंह
श्री सुगनचन्द जैन
श्रीमती सुमित्रा देवी
श्री तेजाराम गलहौत
श्री विद्यासागर]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज २७ स्वीकार किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, मैंने क्लॉज़ २७ में जो संशोधन प्रस्तुत किया था उसको वापिस नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको बताया कि वह मूव नहीं हुआ था।

यदि सदन की इच्छा हो तो क्लॉज़ २८ से ३३ तक एक साथ ले लिये जांय ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय एक साथ नहीं लिये जांय।

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्लॉज़ २७ को डेफर कर दिया जाता तो कोई बात नहीं थी। अब हम बारघोड़ा तो करेंगे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २८ पर श्री जगदीशप्रसाद माथुर अपना संशोधन मूव करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज़ २८ में इस प्रकार है : "क्लॉज़ २८ को समाप्त किया जाय।"

२. २ म० प०

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: इस क्लॉज़ में कोई संशोधन नहीं दिया गया है कि इसको रीकॉन्स्टीट्यूट किया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): इसको हटाने के रीज़न्स तो दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २८ में इस प्रकार का प्रोविज़न है कि बोर्ड को सुपरसीड करने के बाद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्ति करेगी। लेकिन यह कौन होगा, किस प्रकार का व्यक्ति होगा; गवर्नमेंट सर्विस में से होगा या गवर्नमेन्ट अपने मनचाहे आदमी को नियुक्त करेगी या बोर्ड के सेक्रेटरी को ही इस पद पर नियुक्त कर दिया जायगा। इस तरह का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। जब बोर्ड काम कर रहा है और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है उस पर सेक्रेटरी का नियंत्रण है, यदि बोर्ड हो या नहीं किसी भी हालत में इस क्लॉज़ में यह बात नहीं है कि इसके लागू होने पर बोर्ड के सेक्रेटेरियट पर किसी प्रकार की आपत्ति आयेगी। जब किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आयेगी और बोर्ड के प्रशासन का काम-काज सेक्रेटरी निभायेगा और जब इस काम को सेक्रेटरी निभायेगा और क्लॉज़ २९ में गवर्नमेन्ट को इस प्रकार का अधिकार है कि गवर्नमेन्ट चाहे जिस प्रकार की व्यवस्था इस बोर्ड के संबंध में अपने आदेश द्वारा कर सकती है, तो फिर ऐसी अवस्था में एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नियुक्त किया जाता है? यह बड़े महत्व की बात है। इस एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यकाल एक का रहेगा, ऐसा प्रोविज़न है। लेकिन जब सेक्रेटरी काम करता है और शुरू से इस प्रकार का काम करता आ रहा है और गवर्नमेन्ट के पास पॉवर है कि चाहे जिस प्रकार का आदेश दे सकती है तब कोई आवश्यकता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो।

फिर दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेंगे, और उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तनख्वाह भी छोटी-मोटी तनख्वाह नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटर के बड़े स्थान पर नियुक्त किया जायगा, तो तनख्वाह भी ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटर का नया स्टाफ भी होगा, इससे राजकोष पर अकारण ही बोझ होने वाला है। यदि आप धारा १८ में सेक्रेटरी की पॉवर्स का अध्ययन करें, तो इस प्रकार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगर क्लॉज़ १८ और २९ को साथ साथ लेकर देखें तो एक तरफ गवर्नमेंट की पॉवर्स रहती हैं और दूसरी तरफ सेक्रेटरी की पॉवर्स रहती हैं, एक्जीक्यूटिव पॉवर्स सेक्रेटरी की हैं, गवर्नमेंट की इस प्रकार की पॉवर्स हैं, वे ऐसी हैं कि जो बोर्ड काम करता है, वह गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा करवा सकती है। इन दोनों क्लॉज़ेज़ का एक प्रकार से अगर समन्वय हो जाता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को बनाने की आवश्यकता नहीं है। इससे धन का दुरुपयोग होगा। अतः इस क्लॉज़ में इस प्रकार का संशोधन है कि इस क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस क्लॉज़ को हटा दिया जाय। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो संशोधन है, उसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी: माननीय उपाध्यक्ष जी, यह क्लॉज़ २८ में जो मेरे दोस्त श्री जगदीशजी....

श्री उपाध्यक्ष: आप किसी महत्वपूर्ण

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ पर बोलते तो अच्छा होता। शुरू रखिये।

श्री मुक्तीलाल मोदी : अच्छा साहब, मैं बैठ जाता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister in-charge.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, इसमें कहा गया कि बोर्ड में सेक्रेटरी है तो उसके बाद-कौन सी जरूरत पेश हो जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर किया जायगा। मेरा नम्र निवेदन है कि सेक्रेटरी के जो अख्तियारात कानून के द्वारा दिये हैं, उनको माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं है। सेक्रेटरी वही काम कर सकता है, जो बोर्ड डिसाइड करके देता है और न आपने इस धारा में कोई संशोधन दिया था कि सेक्रेटरी को अख्तियार दे देंगे कि बोर्ड अगर सुपरसीड हो जाता है, तो उस अर्से में सेक्रेटरी काम करेगा। ऐसा अमेंडमेंट तो नहीं आया। आपने सिर्फ यह कह दिया कि सेक्रेटरी है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार उससे काम करा सकती है। मैं नम्र निवेदन कर दूं कि इस बोर्ड विधेयक में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राज्य सरकार उस काम को कर सकेगी। यदि माननीय सदस्य करते कि राज्य सरकार बोर्ड का काम, अन्तर्काल में चलायेगी, तो यह हो सकता था। जब क्लॉज़ २७ पास हो गया, तो यह अमेंडमेंट कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं इसे नामंजूर करता हूँ और साथ ही साथ माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूँ कि वे इसे विदड्रॉ करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सेक्रेटरी का सवाल है, उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि जब तक बोर्ड रीकॉन्स्टीट्यूट करे, तब तक अनावश्यक खर्चा न हो, इसलिए यह जरूरी है कि गवर्नमेंट इस प्रकार के एकाधिकार ले ले....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस प्रकार का अमेंडमेंट आप ला सकते हैं। जब क्लॉज़ आया था उस समय ऐसा अमेंडमेंट ले आते।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह गवर्नमेंट की मन्शा है कि कम खर्चा हो। आपन लोग यहां बैठ कर क्लॉजेज़ पर विचार करते हैं, तो इस प्रकार की बात अब भी हो सकती है कि जो क्लॉज २६ के अन्तर्गत पॉवर्स हैं, जो भी काम गवर्नमेंट चाहे वह बोर्ड से करा सकती है। अगर बोर्ड समाप्त होता है तो वे पावर्स और वे बोर्ड के फंक्शन्स, एक्ज़ीक्युटिव फंक्शन सेक्रेट्री द्वारा करवाती। एडमिनिस्ट्रेटर रखने से अनावश्यक खर्च होगा, यह व्यर्थ में खर्चा बढ़ेगा। बोर्ड एक साल में कॉन्स्टीट्यूट होने वाला है, वह विदिन सिक्स मन्थ कर सकते हैं। यह बिना मतलब का झंझट है।....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप अमेंडमेंट पेश कर देते तो उस पर विचार हो सकता था। जो हमने ठीक समझा वह इस बिल में रख दिया है। जो आप ठीक समझते हैं उसके लिए आप अमेंडमेंट रख दें, तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमने रखा था, वह मंजूर नहीं करते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जैसे दूसरे क्लॉजेज़ को छोड़ा है; अगर आप विचार करने को तैयार हैं तो इसको डेफर कर दिया जाय। आप इस पर विचार कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष The question is: that the amendment put in by Shri Jagdish Prasad Mathur to clause 28 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that clause 28 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 28 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 29, Shri Jagdish Prasad.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ २९ है इसमें मेरा एक संशोधन है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। इस क्लॉज़ में लिखा हुआ है : "The Administrator shall receive such salary and allowances as may be fixed by the State Government."

जो "सच सेलेरी" का प्रश्न है, यह कौन सी केटेगरी का होगा....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए अमेंडमेंट में कुछ नहीं है। अगर अमेंडमेंट में केटेगरी कह देते तो यह अख्तियार होता कि इस बारे में कुछ कहते। आपने डिलीट करने के लिए कहा है, इस सम्बन्ध में आप जो चाहें कहें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या बोलूंगा भी नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : शंकाएँ प्रगट कर रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : "सच सेलेरी" से केटेगरी स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस क्लॉज़ पर मैं संशोधन विचारार्थ उपस्थित करता हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको नामंजूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The qusetion is that the amendment put in by Shri Jagdish Prasad to clause 29 be accepted.

(अस्वीकृत)

Amendment fails.

(विराम)

The question is that clause 29 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 29 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 30.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Sir, I place my amendment before the House for the consideration of the House?

श्री उपाध्यक्ष : Pardon?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, 'क्लॉज़ ३० को हटा दिया जाय', यह संशोधन मैं सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको अस्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amendment put in by Shri

Page No.68

(श्री उपाध्यक्ष)

Jagdish Prasad Mathur be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that clause 30 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 30 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 31, Shri Jagdish Prasad

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : I do not want to move this amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Want to withdraw ?

(मौन स्वीकृति के पश्चात्)

Is it the leave of the House to allow Shri Jagdish Prasad Mathur to withdraw the amendment.

(स्वीकृत)

Leave is grantee,

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amedment put in by Shri Jagdish Prasad be accepted ?

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that clause 31 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 3I is added to the Bill.

(विराम)

Clause 32, Shri Jgdish Prasad.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३२ के सम्बन्ध में मेरा अमेंडमेंट है कि इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज इस प्रकार है :

"No suit, prosecution or other proceedings shall lie against the Administrator or against any person or body to whom the Administrator may delegate any of his powers, duties, or functions under the proviso to clause (b) of section 28 for anything done or intended to be done in good faith in execution of sections 27 to 30. "

इस सम्बन्ध में मेरे इस प्रकार के विचार हैं कि गुड फेथ के अन्तर्गत काम करें, उसके खिलाफ कोई सूट लाइ नहीं हो सकता है। इस प्रकार के अधिकार इस क्लॉज में दिये गये हैं, यह अधिकार इसमें वर्णित नहीं होने चाहिए कि कोई सूट लाइ नहीं हो। हर एक काम गुड फेथ में ले लेते हैं तो सरकार के लिए अधिकार वर्णित कर देना ठीक नहीं। इस संशोधन को मैं विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३२ में जो संशोधन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूं कि जहां तक इस क्लॉज का सम्बन्ध है, इस क्लॉज के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटर महोदय राज्य सरकार नियुक्त करेंगी, उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती, इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति के सम्बन्ध में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसका विरोध करने के बारे में संशोधन रखा गया और उस पर जो विचार व्यक्त किये गये, कि बोर्ड को भंग करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उपमंत्री ने अपने प्रत्युत्तर में इस प्रकार के विचार व्यक्त किए कि ऐसी विशेष परिस्थिति हो सकती है, यद्यपि साधारणतया ऐसी आशा नहीं है और इस प्रकार की परिस्थिति के लिए राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया जाना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उनके वक्तव्य से स्पष्ट है कि इस प्रकार की परिस्थिति आये दिन नहीं होगी, उनके वक्तव्य से यह भी साफ है कि राज्य सरकार बोर्ड के आये दिन के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उनके वक्तव्य से यह भी साफ है कि राज्य सरकार किसी भी साधारण परिस्थिति में बोर्ड को भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं करेगी। मैं समझता हूँ, जहां तक माननीय उपमंत्री का भाषण है और उनका उत्तर है, उससे साफ जाहिर है कि वह विशेष असाधारण परिस्थिति होगी, इस प्रकार की असाधारण परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जायगा और अगर असाधारण परिस्थितियों में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना भी पड़े, जो शायद कभी ५ या १० साल में एक बार मौका आ सकता है तो भी उनके कहे अनुसार मेरी तो समझ में नहीं आता कि जिस एडमिनिस्ट्रेटर को राज्य सरकार नियुक्त करेगी, उसको ऐसा कवच पहनाने की क्या आवश्यकता है कि वह चाहे जैसा करे, किसी प्रकार की इर्रेग्यूलरिटीज़ करे, अव्यवस्थाएं, अनियमितताएं करें, उसके ७ खून माफ, उसको मुकर्रर करके कह दिया जाय कि तुमको तो एडमिनिस्ट्रेटर बना कर बोर्ड का सर्वे-सर्वा बना दिया, अब तुम चाहो उसका झटका करो, कत्ल करो, चाहो उसको फैल करो, चाहो उसको पास करो, चाहो जितना रुपया खर्च करो, चाहो उसको नौकरी से निकालो, चाहो उसके गले पर छुरी चलाओ, उसके एक्शन्स पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती, मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का कानून क्यों बनाया जाता है?

एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का सदन के माननीय सदस्यों ने विरोध किया, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की परिस्थितियां हो सकती हैं, उनको बताई, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का प्रोविज़न पास भी कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। पर एडमिनिस्ट्रेटर गलती कर सकता है, इन्सान गलती कर सकता है, इन्सान सब बराबर हैं, यदि मैं गलती करूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है, एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है, तो मैं नहीं समझता कि इस कानून के अन्तर्गत यह प्रावधान क्यों रखा है? एडमिनिस्ट्रेटर को शायद पब्लिक सर्वेन्ट मान कर यह समझ लिया गया हो कि गलती करने पर पब्लिक सर्वेन्ट पर जो कानून लागू होता है वही एडमिनिस्ट्रेटर पर भी लागू होगा, पर उसका भी इस सेक्शन में कोई प्रोविज़न नहीं, केवल इतना लिख दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो भी कार्य, इर्रेग्यूलरिटीज़, अनियमितताएं करेगा उसके एक्शन्स के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न्यायालय में नहीं की जा सकती। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान उपयुक्त व उचित नहीं है। शायद मन्त्री महोदय दलील करेंगे कि इसमें गुड फैथ ये शब्द रखे हैं, सद्भावना के साथ जो कार्य किया है उन एक्शन्स के खिलाफ न्यायालय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सद्‌भावना शब्द रबर जैसा है, इसे चाहें जिधर खींचा जा सकता है। मैं समझता हूं राजस्थान के एक मन्त्री महोदय की निगाह में कोई भी कार्य दुर्भावना से किया हुआ नहीं हो सकता। दुर्भावना तो उस व्यक्ति को दीखेगी जिसके साथ अन्याय किया गया है, जिसके गले पर छुरी चलाई गई है, जिसको फैल कर दिया गया है, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके साथ अन्याय किया गया है; दुर्भावना माननीय उपमन्त्री महोदय को नहीं दिखाई देगी क्योंकि उन्होंने तो उसे नियुक्त किया है। इसलिए उन्होंने यहां इन शब्दों का प्रयोग कर दिया है कि इन गुड फैथ कोई कार्यवाही करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायगी; पर माननीय उपाध्यक्ष, यह सद्‌भावना शब्द बड़ा विस्तृत है, सद्‌भावना को बन्धन में नहीं बांधा जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर कर दिया है हालांकि उसके मुकर्रर करने का विरोध किया गया फिर भी थोप दिया है तो, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यदि एडमिनिस्ट्रेटर किसी प्रकार का अन्याय करता है, गलती करता है, खयानत करता है तो उसके खिलाफ दावा करने, कानूनी कार्यवाही करने, लॉ कोर्ट में प्रोसीक्यूट करने का अधिकार हर एक को होना चाहिये। आज के इस युग में जबकि इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, 'एवरी बॉडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ', तो इस प्रकार की घोषणाओं के बावजूद भी इस प्रकार का प्रतिगामी कानून बनाते हैं, यह समझ में नहीं आता। सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड के जितने प्रोविजन्स हैं, ऐसा मालूम पड़ता है ऊपर की सीढ़ी पर चलने के बाद नीचे की तरफ उतरता है, इसकी क्लॉजेज़ २६, २७ और २८ के जरिये ऊपर से धरातल तक चले आने के बाद इस क्लॉज़ के चले आने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन में ही घुसना चाहते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार का प्रावधान न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। अतः इस क्लॉज़ को हटाने का सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसे उपमन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि सरकार की तरफ से ऐसी क्लॉज़ रखी गई है, एडमिनिस्ट्रेटर जो मुकर्रर होगा वह चाहेगा वैसा बोर्ड में करेगा; उन्होंने रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर पर भी कोई न कोई कानून जरूर लागू होना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : यह उनका अमेन्डमेन्ट नहीं है, उनका अमेंडमेंट है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : किस क्लॉज़ पर बोल रहे हैं माननीय सदस्य ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ कौन सी है ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो सुनने पर पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अन्त में पता चले तो लाभ न होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्लॉज़ ३२ पर बोल तो रहा था महाराज, बीच में ही खड़े हो गये।

Page No.71

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह अध्यक्ष पद का आसन है, महाराज का नहीं। 'महाराज' शब्द से सम्बोधित न करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बड़े आदमियों को पुराने आदमी महाराज कहा करते हैं, इसलिये महाराज कहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष, यह क्लॉज़ ३२ में संशोधन रखा है, उसका समर्थन मैं इसलिये कर रहा हूं कि २७ में भी माननीय उपमन्त्री महोदय से मैंने निवेदन किया था कि उसको डेफर कर दिया जाय और इसके बाद इस पर विचार किया जाय। पर क्लॉज़ ३२ में तो, जितना २७ में था उससे भी चौगुना ऐसा कर दिया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होगा उसको सारे पॉवर्स सरकार ने दे दिये हैं और उसमें यह भी नहीं किया कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होगा वह सरकारी मुलाजिम होगा न कि दूसरा कोई जनता का, पब्लिक का आदमी आता होगा, पब्लिक के आदमी को भी कर सकते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य बिल्कुल विषय के बाहर बोल रहे हैं, न तो क्लॉज़ को पढ़ा है और न अमेन्डमेंट को पढ़ा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसमें यह थोड़े ही कहा है कि सरकारी होगा, इस क्लॉज़ में बता दीजिये कि सरकारी मुलाजिम एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो मैं इस चीज को मान लूँ, वैसे मैं अंगरेजी तो जानता नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : सवाल ही नहीं है अंग्रेजी का, सरस्वती बहुत प्रसन्न है आप पर; आप शुरू करिये।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : इस क्लॉज़ में यह तय कर देते कि सरकारी आदमी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, दूसरे को नहीं बनायेंगे तो मान सकता था कि सरकारी मुलाजिम के ऊपर जो कानून सरकार ने बना रखा है, वही एडमिनिस्ट्रेटर पर ही लागू होगा, पर जब कि इस क्लॉज़ में यह प्रयोजन नहीं लिया है तो आज हम कैसे विश्वास कर लें कि यह एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होगा, वह जो करेगा अच्छा ही होगा। आज बताऊं, जो सरकार के अलावा सरकार में बैठे होंगे और सरकार के अलावा उनको बहुत बड़े बूते पर बताया है, सरकार ने लाखों रुपया जो दिया है उसका यानि उन रुपयों का सदुपयोग नहीं हुआ और मैं तो यह कहूंगा कि उनका दुरुपयोग ही हुआ है और उन व्यक्तियों पर जिन्होंने सरकार के रुपयों का दुरुपयोग किया है उन पर सरकार पूरी तरह से केस भी नहीं चला पाई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताऊ तो सही कि सरकार एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करती है तो यह बात है और दूसरे करते हैं तो यह बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बिल्कुल सीधा सम्पर्क प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार को किस तरह का

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

इस हाउस में बिल लाना चाहिये और उस बिल में इस क्लॉज़ ३२ में जिस तरह का प्रोविज़न दिया गया है उसके बारे में कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि ऐसी चीज इस बिल में मत लाइये जिससे कि आपको ही आगे चलकर किसी तरह की परेशानी हो। सरकार को परेशानी हो तो इससे पब्लिक को परेशानी होगी, क्योंकि सरकार और पब्लिक आज कल कोई अलग-अलग नहीं हैं। परन्तु इसमें हमको तो परेशानी होगी सो होगी सरकार को भी परेशानी होगी इसलिये आज भी इस क्लॉज़ में अभी भी डेफर करके इस क्लॉज़ में सरकार यह प्रोविज़न कर दे कि सरकारी मुलाजिम को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जावेगा तब तो हम इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि यह क्लॉज़ शुभ है, परन्तु जब तक यह चीज इसमें नहीं रखी जाती है तो आज हम इस हाउस के सामने यह विश्वास नहीं कर सकते कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वह पूरी तरह से इस बोर्ड का काम चलाएगा। यदि वह करे तो ठीक और नहीं करता है तो काम नहीं चल सकता। माननीय उपाध्यक्ष, यह बिल सारे राजस्थान के उन लड़कों के भाग्य का विधाता होगा और उसके अन्दर चाहे जो चीज वे एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं और सरकार को पता भी नहीं चलेगा। एक आदमी के हाथ में इस तरह की पॉवर देने की बात सरकार को देनी नहीं चाहिये। यदि सरकार की सैंक्शन के द्वारा कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई चीज करे तो वह चीज मान ली जावे, परन्तु वह अपनी मर्जी से लाखों रुपये जो उसमें आवेंगे, लाखों रुपयों के अलावा और भी किताबें, कई लड़कों के रिज़ल्ट, कई चीजें दूसरी भी होंगी तो वह आज करीब ५० प्रतिशत एजुकेशन है उसमें २५ प्रतिशत यह समझ लें या ३० प्रतिशत या ३५ प्रतिशत ही समझें कि इस बोर्ड पर निर्भर रहेगी, तो दो करोड़ जनता में से करीब ३५ लाख आदमियों का भाग्य निर्माण होगा जो इस बोर्ड के अन्दर एजुकेशन पावेंगे। इस तरह उन ३५ लाख लोगों के भाग्य का विधाता एडमिनिस्ट्रेटर है और वह उसका काम करे तो यह कहां तक उचित होगा ?

एक तरफ तो आप प्रजातन्त्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ राजाओं के जमाने के सारे अधिकार जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर को थे और जो वह कहते वही करते, ऐसे देते हैं। इसलिये मैं माननीय उपमंत्री से निवेदन करूंगा कि उनको चाहिये कि कोई भी बिल हाउस के सामने आवे उसमें यह न समझें कि जो लोग अपोज़िशन के हैं वे सारी ही खराब बातें कहते हैं। सारे बिल पर भी बोल रहे हैं। हमारे सामने चूंकि सरकार की तरफ से यह बिल आया है इसलिये इसके खिलाफ बोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप सारे ही बिल पर बोल रहे हैं या कुछ अंश पर बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्लॉज़ ३२ पर बोल रहा हूँ।

तो किस पर यह समझें कि हम भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं; अपना समय दे रहे हैं और चुन कर आये हैं और एक लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिये कुछ सोच कर कहते हैं। उनमें इन दिनों स्कूलों में ३० हजार लड़के पढ़ते हैं। यह तो मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष, कि २० या ३० हजार लड़कों की नामजदगी है ही....

श्री उपाध्यक्ष : क्या सभी नाबालिग हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभी समझ

Page No.73

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

लीजिये। सब मिला कर ३६ हजार लड़के तो होंगे ही।

श्री उपाध्यक्ष : आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे तो सब बच्चे ही हैं, मेरे क्या बच्चे होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने भाषण का तांता न तोड़िये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिये मैं माननीय उप मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे लड़के जा कर तभी उन्नति पर पहुंच सकते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन चलानेवाला ज्यादा उन्नति दिखाएगा। बोर्ड में तभी उन्नति पर पहुँचेंगे। माननीय उपाध्यक्ष, यदि मैं चोरी करूंगा तो मेरा भाई भी थोड़ी तो चोरी जरूर कर सकेगा। अगर मैं यह कहता हूं कि मेरे लड़के भी चोरी सीखेंगे तो मेरे तो कोई लड़का है नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, जितने एम. एल. ए. हैं, उनके लड़के और बच्चे हैं; यदि वे खराब काम करेंगे तो उनके लड़के जरूर कुछ न कुछ खराब काम करेंगे। इसलिये सारे राजस्थान का यदि उसको पॉवर दे दिया और वह एडमिनिस्ट्रेटर खराब काम करेगा या कोई भी ऐसा काम करेगा कि सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा नहीं हो तो फिर हम उससे क्या उम्मीद करेंगे? माननीय उपाध्यक्ष, इसलिये सरकार को चाहिये कि आगे आने वाले उन लड़कों पर इस बिल का इस तरह का प्रोविज़न रखें कि उन पर ज्यादा असर पड़े और उनको ज्यादा उन्नति दिखाने का मौका मिले। आप देखेंगे कि बाहर लोगों को उन्नति दिखाने का तभी मौका मिलता है, दूसरे-दूसरे देशों के लोगों ने साइन्स के जरिये कितनी उन्नति कर ली है और हिन्दुस्तान वाले लोगों ने कुछ भी नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कौन कौन से देश हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी : रूस, होलेन्ड, पोलेन्ड, इंगलेन्ड, अमरीका आदि कई देश हैं जिन्होंने काफी उन्नति कर ली है। रूस में हमने एक कुत्ते पर साइन्स का प्रयोग करते हुए देखा। एक कुत्ते का हार्ट निकाल लिया और उसकी जगह एक लोहे का हार्ट लगा दिया! इसी तरह से बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। यदि किसी तरह हार्ट खराब हो जाए तो लोहे का लगा दें और आदमी जिन्दा रह सकता है। इस तरह से साइन्स की बहुत उन्नति हो रही है। इसलिए हिन्दुस्तान में भी बेकारी का प्रश्न चल रहा है। हिन्दुस्तान में भी जब चालू होगा, जब आप जानते हैं कि और लोग कहते हैं कि राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होगी और राजा बेईमान होगा तो प्रजा भी बेईमान होगी। तो उपाध्यक्षजी, यही मेरा इस हाउस के सभी एम. एल. एज़. से कहना है कि ऐसे बिल हाउस के अन्दर आयें, उनमें जो क्लॉजेज़ हों उन क्लॉजेज़ के अन्दर कोई बात है तो सब को सोच-विचार कर माननीय उपमंत्री महोदय को पास करना चाहिए और नहीं तो पीछे आने वाले जो लोग हैं वह कहेंगे कि पहले के कैसे एम. एल. एज़. थे, जो ऐसे बिल पास कर गए हैं? इसलिए मैं माननीय उप मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस क्लॉज़ को डेफर कर के इसमें यह क्लॉज़ बढ़ा दें कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट होगा। तो मैं ऐसा पहला आदमी होऊंगा जो इस क्लॉज़ का समर्थन करूंगा।

Page No.74

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष जी, श्री जगदीशप्रसाद जी माथुर ने जो क्लॉज़ ३२ को खत्म करने मुताल्लिक संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ; क्योंकि यह प्रोवीज़न ऐसा है कि जो भय दिखाता है। जब तक इसका भय नहीं होगा तब तक बोर्ड या एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करेगा वह निडर हो कर करेगा। यह प्रोवीज़न जब तक रहता है तब तक उसको निडर रहने का डर नहीं रहता है क्योंकि

'भय बिन होय न प्रीत भवानी'

यह प्रोवीज़न जब तक रहता है तब कब उनको डर नहीं रहता है, क्योंकि वह कोई भी काम करेगा तो गुड फेथ में करेगा। उनका कहना भी गुड फेथ होगा। जो काम करेगा उसी के लिए कह दिया जायेगा कि गुड फेथ में किया गया है। आजकल जो पार्टीबाजी चलती है तो किसी पार्टी को खत्म करने के लिए कार्यवाही चलती है तो उस पार्टी को खत्म करने के लिए इस सेक्शन के द्वारा फायदा उठाया जायेगा और इस तरह से किसी भी पार्टी को खत्म कर सकते हैं। या जब तक यह सेक्शन मौजूद रहता है तो वह कहेंगे कि जो पार्टी को खत्म किया गया है वह गुड फेथ में किया गया है, तो गुड फेथ की कोई परिभाषा....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : "Good faith" has got a well-defined meaning.

श्री पुरुषोत्तमलाल : कानून में इसकी व्याख्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, but it is very wide.

श्री लक्ष्मीचन्द : मगर इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। कोई भी काम करके यह बताया जा सकता है कि हमने तो गुड फेथ में किया है। किसी को पास करना या फेल करने के लिए भी बताया जाता है कि गुड-फेथ में किया है और जब तक इस क्लॉज़ को खत्म नहीं किया जायगा तब तक वह सारे काम गुड-फेथ में ही बताये जायेंगे क्योंकि उनको प्रोसीक्यूशन होने का तो डर नहीं रहेगा इसलिए इस क्लॉज़ को खत्म करना अनिवार्य है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I want a small amendment, Sir, there is one mistake in this clause. At the end of the clause, the words used are "sections 27 to 30". But as a matter of fact the Administrator shall be performing his duties under section 28 only. So it should be read as 'Section 28' only. Instead of "Sections 27 to 30" permission may kindly be accorded to insert "Section 28."

श्री उपाध्यक्ष : At the end of the clause : "Sections 27 to 38 ?"

श्री पूनमचंद बिश्नोई : Yes. It should read "section 28 "

श्री उपाध्यक्ष : "Sections 28 to 30 ?"

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Only Section 28, not 30. It should be "Section 28".

श्री उपाध्यक्ष : "Section 27" be read as "Section 28 ?"

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : In place of "Sections 27 to 30" we should read Section 28 only, because the Administrator shall be deriving his power and authority from Section

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

28 only. others are coucerned with the Government and not the Administrator.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Narendra Singhji,

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That is the amendment and it may be permitted before the House.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जगदीशप्रसादजी माथुर की राय का समर्थन करता हूँ और मैं इस चीज को जानता हूँ कि जो भी प्रश्न उठेगा चाहे कैसा ही ठीक हो वह कभी भी पारित नहीं होगा। हम लोगों का मैं तो दुर्भाग्य ही समझूंगा कि जितने भी उस ओर बैठे कांग्रेसी सदस्य यहां राय अपने हृदय में रखकर भी देते हैं उसके उपरान्त भी जब हां और ना का प्रश्न आता है तो वह शायद ही उस राय के ऊपर कटिबद्ध होते हों।

एडमिनिस्ट्रेटर का जो सवाल है इसके वास्ते लगाना और उसको हर एक बात से अलहदा रखना है, वह एक तरह से देखा जाय तो बिल्कुल निर्मूल चीज है। मैं तो इसको राजाओं के वक्त के जो कार्य उनके होते थे उनसे भी ज्यादा निरंकुश चीज समझूंगा कि उसका किसी भी कार्य के वास्ते अभी प्रश्न नहीं उठे। मैं कल २७ वें क्लाज़ के ऊपर काफी बोल चुका था और यहां इधर और उधर के बैठे हुए सज्जन थे और उधर के सज्जनों ने भी काफी इसके ऊपर प्रकाश डाला था और इसके विरोधी रहे थे। लेकिन यह मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि जो पार्टी ज्यादा बलशाली होती है उस पार्टीवालों में यह हिसाब रहता है कि जहां तक हो किसी दूसरी पार्टी वालों की राय को जो कि कम संख्या में हैं उनको आगे राय को न आने दिया जाय। जिस समय हां और ना का प्रश्न भी आयेगा वह कभी भी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की राय को पारित नहीं होने देंगे। २७वीं क्लॉज के अन्दर यह सब चीजें थी और उसी भूमिका के आधार पर जितने भी प्रश्न हैं वह अवलम्बित हैं। हम लोगों के कहने और बोलने का तो ऐसी स्थिति में वनरोदन से ज्यादा सार नहीं है व शपथ ग्रहण का भी विचार नहीं है, यह देश का दुर्भाग्य है। मेरा निवेदन तो यही है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाय। अव्वल तो चेयरमेन मौजूद है तो मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता वह ठीक राय देगा क्योंकि वह राज्य का चुना हुआ आदमी होगा उसके लिए इस तरह का बख्तर पहना देना कि वह किसी तरह भी कानून के अन्दर नहीं आ सकेगा यह मैं गलत सी चीज समझता हूँ। लोग यह समझेंगे और इस भवन से बाहर के लोग भी यही विचार करेंगे कि इस तरह की चीजें हैं। जो डेमोक्रेसी के नियम हैं उनसे बिलकुल विपरीत हैं और यही मेरा विचार है और मैं श्री जगदीशप्रसादजी के विचारों को पूर्णतया एग्री करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, यह क्लॉज ३२ का जो अमेन्डमेन्ट है मैं उसका विरोध करता हूँ। एक बहुत साधारण सी बात है कि किसी भी कानून में आप देखेंगे, गवर्नमेंट सर्वेन्ट या पब्लिक सर्वेन्ट अगर अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में कोई एक्शन लेता है तो उस एक्शन को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

and particularly when that action has been taken in good faith. और यही इसमें बात है। अगर गुड–फेथ में काम किया गया है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। मैं नहीं समझता कि इसमें विरोध करने की कौन सी बात है ? जिसके लिए माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इसको डिलीट कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रोवीजन कानून में होना बहुत जरूरी है वर्ना इम्पारशियेली कोई भी आदमी काम नहीं कर सकेगा। यह बहुत जरूरी है। मैं नहीं समझता कि दूदू से आने वाले सदस्य हैं वह पुराने एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए एक साधारण सी बात को क्यों इतनी बड़ी बात समझें। यह तो बहुत सीधी सी बात है और अभी डिलीशन का सवाल नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्लॉज २७ के बारे में भी ऐसा ही सवाल था।

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) दूसरा जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है वह तो फोर्मल अमेन्डमेन्ट है मिस-प्रीन्ट की वजह से, इसलिये इस जगह क्लॉज २८ रखने को मन्जूरी होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amendment put in by Shri Jagdish Prasad be accepted.

(विराम)

You will like to give a reply ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर उत्तर दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बोर्ड का संबन्ध है, इस एक्ट के अन्दर क्लॉज ३२ है, उसके सब-क्लॉज में यह दिया हुआ है "The Board shall be a body corporate"

अब आप बोर्ड के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना चाहते हैं। अगर आप बोर्ड को पॉवर देते हैं तो इस प्रकार के प्रोवीजन रखना क्लॉज ३२ के अन्तर्गत मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार ठीक नहीं है। जहां तक इस बोर्ड के ओटोनोमस बोर्ड होने का सवाल है बोर्ड यदि किसी को परीक्षा में बैठने से रोक देता है या किसी भी प्रकार से किसी विद्यार्थी को वंचित रखता है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट हो सकती है, इस प्रकार के अधिकार लेकर किसी भी आदमी को अपने अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।

बोर्ड के खिलाफ अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को पर्सनल जैलेसी के तौर पर तो सोचना नहीं चाहिये, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी काम करेगा वह गुडफेथ में काम करेगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, he is firstly making a new point and secondly, misinterpreting the previous clauses which we have passed.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I am not misinterpreting. Sir.

क्लॉज ३ के अन्तर्गत इस तरह से तो बोर्ड को सुपरसीड कर सकते हैं, यह तो एडमिनिस्ट्रेटर को सुपरसेशन के अधिकार देते हैं। जब आपने सुपरसेशन के अधिकार ले लिये हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों रखते है ?

Page No.77

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is the personal liability of the Administrator He can very well be sued as representing the Board or the Board shall still be sued in the name of the Administrator, but personally he shall not be liable. Not that when the Board is superseded, it shall be immune from any proceeding. It is not the meaning of this. It shall be continued as a body corporate.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बोर्ड को तो सुपरसीड कर देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन में उपस्थित करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको सदन के विचारार्थ रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amendment by Shri Jagdish Prasad be accepted.

The amendment fails.

(अस्वीकृत)

(विराम)

The question is that the amendment put in by the Hon'ble Minister in charge of the Bill which reads as follows :—

"Substitute 'Section 28' for 'sections 27 to 30' may be accepted."

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that clause 32, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 32, as amended, is added to the Bill.

Clause 33, Shri Jagdish Prasad.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I do not want to move the amendment.

श्री उपाध्यक्ष : The question is that clause 33 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 33 is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to clause 34.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "I move an amendment that at the end of the clause 34, the following proviso may be added : 'Provided that the Regulations of the Board or any amendment thereof shall not take effect until they have received the approval of the State Government which may approve or disallow them or return them to the Board for further consideration.,' उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट मैंने मूव किया है वह किस वजह से किया है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। यदि आप ओरीजिनल बिल को देखेंगे, उसके क्लॉज ३४ में ऐसा प्रोवीजन था जो बोर्ड की पॉवर्स थे : "The Board can make regulations with the previous approval of the State Government."

जब इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया तो सिलेक्ट कमेटी में यह क्लॉज था "with the previous approval of the State Government"; यह उन्होंने हटा दिया और बोर्ड को कम्प्लीट आजादी दे दी

(श्री पी. के. चौधरी)

कि वह जैसा चाहे वैसे रूल्स बना सकता है और जो मैंने अमेंडमेंट दिया वह दोनों के बीच का है। इस अमेंडमेंट में यह नहीं कहा गया है कि गवर्नमेंट की प्रीवियस एप्रूवल चाहिये और न यह भी कहा गया है कि बोर्ड गवर्नमेंट से अलग हो सकेगा, अपना कानून बना सकता है। जो भी कानून बोर्ड बनायेगा जब तक गवर्नमेंट का एप्रूवल नहीं हो जाता वह अमल में नहीं आयगा, लेकिन जब तक गवर्नमेंट एप्रूवल नहीं करे तब तक गवर्नमेंट नया कानून नहीं बना सकती। जिस कानून के साथ सरकार सहमत नहीं होगी तो बोर्ड के रिकन्सीडरेशन के लिये वापिस भेज दिया जायगा। मतलब इसका यह है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस ओरीजिनल बिल को इसलिये अमेन्ड किया है ताकि बोर्ड कम्पलीटली ओटोनोमस हो जाय। अगर सरकार का जो ओरीजनल प्रोपोजल था उसके अन्तर्गत थोड़े बहुत पॉवर्स बोर्ड को रूल्स मेकिंग के मिल जाते हैं; प्रीवियस एप्रूवल ऑफ दी गवर्नमेंट, यह रूल्स बनाने का प्रोवीजन नहीं है।

मैं समझता हूँ, यह जो बोर्ड बनाने जा रहे हैं इसके रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स बनाने का जहां तक सम्बन्ध है सरकार और बोर्ड एक दूसरे के अपोज़िट डाइरेक्शन में न जायं, इसका कोई न कोई इन्तजाम होना चाहिये। आज बोर्ड के रेगुलेशन मेकिंग पॉवर्स हैं उनके साथ सरकार की मन्शा, धारा सभा जो कुछ करना चाहती है उसको एनफोर्स करने, जो कोई जरिया न हो ऐसा कभी हो सकता है हम और बोर्ड आई टू आई (eye to eye) नहीं देखेंगे और अलग-अलग रास्ते चलेंगे। बोर्ड कम्पलीटली ओटोनोमस हो जाता है रूल्स मेकिंग के लिये तो बोर्ड जो रूल्स बनायगा कोर्सेज़ ऑफ स्टडीज़ के लिये, हमारी सेकन्डरी स्कूल में क्या कोर्स होना चाहिये, मेथड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होना चाहिये, इस प्रकार के कानून बनायगा। आप जानते हैं कि हम सोश्यलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं। साथ साथ आज का एग्जिस्टिंग मोड आफ एजुकेशन, सिस्टम ऑफ इजुकेशनल कोर्सेज आफ स्टडी हैं, उनमें भी चेन्जेज़ लाना चाहते हैं, क्रान्ति लाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिस विधान सभा में हम आते हैं, हमको हमेशा देश की जो परिस्थिति है, देश का जो ट्रेन्ड है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो यहां नहीं आ सकते हैं। We are an expression of the condensed will of the people. तो हम जो भी कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, लोगों की इच्छाओं की परिपूर्ति के लिये जिस दिशा की तरफ जाना चाहते हैं उसको अमल में लाने के लिये हम जो भी कुछ यहां करते हैं, सो करते हैं। लेकिन आज हम यहां किसी भी चीज का फैसला करें तो उसको बोर्ड से इम्प्लीमेन्ट कराने का कोई जरिया नहीं रहता है।

(घंटी)

३. म० प०

रूल्स मैकिंग पॉवर्स कोर्सेज़ ऑफ स्टडीज़ के लिये जो हमने उसे दिये है उस सम्बन्ध में जनता की रुचि को देखकर, हमारे जो विचार होते हैं उनसे और बोर्ड के विचारों से सामन्जस्य रखने के लिये कोई जरिया होना चाहिये, कोई प्रोविज़न होना चाहिये।

Page No.79

(श्री पी. के. चौधरी)

इसी तरह से बोर्ड के द्वारा फीस लेने का सवाल है। इस सम्बन्ध में यहां पर हम कोई कानून इस बारे में पास करते हैं कि एग्जामिनेशन की फीस न रक्खी जावे और उसको इम्प्लीमेन्ट कराना चाहते हैं सरकार के द्वारा, जो कि हमारे व हमारे इस सदन के हाथ पैर हैं, जो हमारी एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी है, तो इसकी इम्प्लीमेन्ट कराने के लिये कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन बोर्ड के रूल्स मेकिंग पॉवर्स में और हमारे बीच में होना चाहिये। अगर यह कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है तो बोर्ड के रूल्स मेकिंग पॉवर्स में ऑटोनोमी नहीं रहती है, अनार्की की सम्भावना बढ़ जाती है। तो इसलिये जो प्रोविज़न मैंने अपने संशोधन में रक्खा है उससे बोर्ड में कम्पलीट ऑटोनोमी रहती है, रूल्स मेकिंग स्टेटस उसका बना रहता है, उसमें हम कोई इन्टरफीयर नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ इतनी ही गुंजाइश रहती है कि उसका इम्प्लीमेंन्टेशन तब तक इफेक्ट में नहीं आवे जब तक स्टेट गवर्नमेन्ट उन्हें एप्रूव न कर ले। ये रूल्स तो बोर्ड ही बनावेगी, दूसरा नहीं। यह मेरे अमेन्डमेन्ट का मतलब है।

दूसरी बात, फर्ज करिये, उनके स्टाफ की है। उनके प्रोविडेन्ट फण्ड्स के रूल्स हैं, स्टाफ के सर्विस रूल्स हैं वे रहें। हम इसमें इन्टरफियर नहीं करेंगे। पर हमारा जो ट्रेन्ड है वह ज्यादा से ज्यादा सोश्यलिस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ने का है, तो उनकी तनख्वाह वगैरह में अगर हम कोई इस हिसाब से इम्प्रूवमेन्ट लाना चाहें, फर्ज करिये कि हम फैसला करते हैं कि हमारे देश में किसी भी इन्डस्ट्री में या क्षेत्र में कम से कम इतनी तनख्वाह तो होनी ही चाहिये, तो इसको इस बोर्ड पर भी लागू करने के लिये इस प्रोविजन के द्वारा अख्तियार हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। फिर चाहे प्रोविडेन्ट फण्ड के लिये हमारा निश्चय हो अथवा तनख्वाह वगैरह के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा हम कर सकें, ऐसा अधिकार हमें होना चाहिये। यह मेरे संशोधन की मंशा है।

मेरे दिमाग में तो यह भी है कि कोर्सेज़ की स्टडी का सवाल है, एम्प्लोयीज की सर्विस कन्डीशन्स और पे स्केल वगैरह का सवाल है, उसमें हम सोश्यलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के अपने ध्येय को सामने रखकर जो निर्णय करें, उनमें और बोर्ड के निर्णय में कोऑर्डिनेशन हो। मैं यह मानता हूं कि जो लोग, जो माने हुए शिक्षा शास्त्री छूँट छूँट कर इस बोर्ड में जावेंगे, वे हमारे से भी प्रोग्रेसिव होंगे, एडवान्स्ड होंगे, रिट्रोडेड नहीं होंगे। तो इस तरह से इस कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी ऐसी बातों में, मैं समझता हूँ, जहां तक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का सवाल है, यह (विकट) सवाल है। फर्ज करिये हमने फैसला किया कि प्राइमरी स्टेज पर बेसिक एजुकेशन हो, फिर आगे जाकर हम सेकन्डरी और हायर सेकन्डरी तक बेसिक एजुकेशन इम्प्लीमेन्ट करना चाहते हैं तो इसमें उनको, बोर्ड को कोई ऐतराज न हो, पर मान लीजिये कि चूंकि उनके एजुकेशनल ट्रेडीशन्स में, उनके तरीके में जो एजुकेशन उन्होंने पाई है, उसके हिसाब से बेसिक एजुकेशन के बारे में, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में उनके अलग ख्याल हों और बेसिक सिस्टम को वे मानते ही नहीं हों तो ऐसी हालत में हम जिस बेसिक एजु-

(श्री पी के. चौधरी)

केशन को इम्प्लीमेन्ट करना चाहते हैं, उसको कोर्सेज् आफ स्टडीज् में, अगर वे शामिल नहीं करेंगे तो तब तक वह इम्प्लीमेन्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी सम्भावना हो सकती है। इसलिये मेरे खयाल से ऐसे मामलों में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिये, सरकार और बोर्ड में और सरकार के जरिये इस विधान सभा के बीच में। इसलिये जो अमेन्डमेन्ट मैंने रक्खा है वह बोर्ड के पॉवर्स को विद्ड्रा करने के लिये नहीं है या सरकार को कोई अधिक पॉवर देने के लिये भी नहीं हैं। ये केवल इस ख्याल से हैं कि बोर्ड और इस विधान सभा के बीच सरकार के मार्फत कोऑर्डिनेशन का कोई जरिया जरूर हो ताकि हम दोनों में से कोई भी अपोज़िट डाइरेक्शन में, डाइवर्सिंग डाइरेक्शन में न चला जावे।

आप फर्ज करिये कि विधान सभा में हम फैसला करते हैं कि स्टडीज्--हम इस किस्म की चाहते हैं देश की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में और जनता की बढ़ती हुई मांग के अनुसार, पर इसको बोर्ड द्वारा इम्प्लीमेन्ट कराने का, कौर्सेज् ऑफ स्टडीज् के अन्दर रखाने का, किसी किस्म का अख्तियार अगर हमें नहीं रहता है, तो मैं समझता हूँ आगे जाकर दिक्कत पैदा हो सकती है।

मैं इस बात को मानता हूँ कि कभी भी हम कोई कानून बनावें तो आगे-पीछे सारी बातें सोचकर बनाना चाहिये, न कि केवल मौजूदा परिस्थितियों को देखकर ही। कानून हम आज के लिये ही नहीं, आगे भी अमल में आता रहे इसलिए बनाते हैं और आगे कैसी परिस्थितियाँ होंगी इसकी जो भी कुछ झांकियां मिलती हैं, जो भी कुछ हमको उसका अन्दाज मिलता है, कुछ आइडिया मिलता है उस ट्रेन्ड को ख्याल में रखते हुए हम कानून बनाते हैं। इस पृष्ठभूमि में ये जो बातें मैंने पोइन्ट आउट की हैं, उनके लिये हमें काफी प्रोग्रेसिव स्टेप्स अमल में लाने पड़ेंगे, काफी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये जरूरी हैं कि इन सब बातों को प्रेक्टिकल शेप देने के लिये बोर्ड के और हमारे बीच कोऑर्डिनेशन का इन्तजाम हो।

इसी तरह और भी बातें है। इस बोर्ड की खुद की तनख्वाह और अलाउन्सेज़ वगैरह का सवाल है क्लॉज् (ई) में और क्लॉज् (००) में :

"Emoluments and allowances of the Members of the Board and its committees."

तो यह भी बोर्ड बनावेगा। उनके मेम्बरों की कितनी तनख्वाह रहे, कितना भत्ता लें, कितना मिल लें, ये सब तय करने का अधिकार उनको दिलाते हैं। तो इसमें भी कुछ अंकुश हमारी तरफ से रहना चाहिये। इस तरह से ऑफिसर्स, क्लर्क्स, सर्वेन्ट्स का अपोइन्टमेंट' management and administration of the finances of the Board आदि हैं। इनके बारे में भी बोर्ड रूल्स बनावेगा। यह भी पब्लिक फण्ड में से पैसा जावेगा, इसलिए इस पर भी हमारा कन्ट्रोल रहे। इस सम्बन्ध में जो रूल्स बनाने के फन्क्शन्स हमने उनको दिये हैं, उनमें भी मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन रहना चाहिये। इसलिये मैंने जो संशोधन रक्खा है उसे मन्जूर करना जरूरी है। अगर यह नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आगे चल कर ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें आपको खुद को दिक्कत

(श्री पी. के. चौधरी)

पड़ेगी। जो जो चीज आप कराना चाहेंगे वह नहीं करा पावेंगे। इसलिये इन प्रश्नों पर मैं काफी प्रकाश डाल चुका हूं। इसलिये अधिक बहस करना नहीं चाहता।

सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन है कि यह सब सोचते हुए इस सदन के बीच में सरकार की मार्फत और बोर्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन का इन्तजाम रहना चाहिये। मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर इन्चार्ज भी इस पर गौर करेंगे और इसको मन्जूर करेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं इस अमेन्डमेन्ट को मंजूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Sribhan Singh is to move his amendment.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Add the following new part to sub-clause (2) of clause 34-

"(q) the conditions and qualifications of teachers in private institutions before admitting them to its privileges."

This amendment is of a very informal nature, for this no provision has been made in the Bill. The private institutions which are admitted by the Board to its privileges, there must be a condition that these institutions must have teachers of certain minimum qualifications, of certain requisite fitness, before it could be so admitted. If there is no snch condition or qualification or if this power is not given to the Board, in that case any private institution having teachers recruited hap-hazardly with no qualifications will have all the benefits and advantages from the membership of this Board. But the school children will be deprived of all the benefits aud advantages which the qualified teachers are likely to give. If the private institutions do'nt have the requisite staff, the requisite qualified teachhrs, in that case the very aim of the Secondary Education will be defeated. I need not here bother the House with the details of things for which a good teacher is responsible for the development of the pupil. Therefore, such powers must be vested in the Board. With these words I commend my amendment to the House.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मंजूर हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने (मंत्री महोदय) ने किया होगा, हाउस ने तो नहीं किया है।

मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का खेद है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय, माननीय उप शिक्षा मंत्री महोदय····

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वित्त मंत्री महोदय का नाम बार बार कैसे याद आता है?

एक माननीय सदस्य : उनसे विशेष प्रेम है।

श्री भैरोंसिंह : जी। माननीय उपमंत्री महोदय ने इस संशोधन को मंजूर करने की तत्परता दिखाई, अगर वे सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को स्वयं देखते इसको मंजूर करने के पहले तो उन्हें पता लगता कि उसके नीचे उनके भी दस्तखत हैं और जिसमें यह लिखा है : 'With the approval of the State Government these words should be deleted.'

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का संदेह किया जाता है, जिस तरह की बात कही जाती है उससे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि हमें तो एक कानून बनाना है, तकाजे में कानून बनाना है और बिना विचार किये ही कानून बनाना है। राजस्थान के उपशिक्षा मंत्री सिलेक्ट कमेटी में तो अलग राय देते हैं और जहां उन्होंने स्वयम् ने महसूस किया है कि इन वर्ड्स की कोई आवश्यकता नहीं है और यह महसूस करके ही सिलेक्ट कमेटी में यह बात दोहराई कि इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं और उनको हटा दिया जाय। सिलेक्ट कमेटी ने इन शब्दों को हटा दिया। उस पर माननीय उप शिक्षा मंत्री ने सहमति दी और यदि उनकी असहमति होती, तो इस सम्बन्ध में कोई नोट ऑफ डिसेन्ट होता लेकिन इस रिपोर्ट में कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं है। इससे, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा आभास होता है कि सरकार इस कानून के द्वारा किस नीति का निर्धारण करना चाहती है, यह वह निश्चित नहीं कर पायी है। हो सकता है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय इस बिल को पायोलेट नहीं कर रहे हैं, इसके कारण इस प्रकार का अभाव इस सदन में प्रतीत हो। लेकिन सरकार की नीति में, शीघ्रता से इस प्रकार का परिवर्तन होना इस बात का सूचक है कि सरकार की नीति परिपक्व नहीं है और इस अपरिपक्व नीति के कारण इस प्रकार के कानून में विधान सभा की मोहर लगवाना यह इस विधान सभा के लिए अच्छा नहीं होगा और न उपमंत्री महोदय के लिए। यदि परम्पराओं को निभाना था तो जो बातें सिलेक्ट कमेटी में स्वीकृत हुई और जिस पर स्वयम् उप मंत्रीजी के दस्तखत हैं, विचार विमर्ष के बाद जो बातें निर्दिष्ट की गई हैं उनको वहां स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि उस वक्त उन्होंने गलती की और दस्तखत कर दिये और दूसरा तरीका यह निकाला कि अपने किसी माननीय सदस्य से संशोधन रखवा दिया, सदन की बात सुनी नहीं और सदन की बात बिना सुने ही तकाजे में उस संशोधन को मंजूर करने की बात कह दी जाय जिससे कि हाउस पर यह प्रभाव हो गया कि उसको तो उप मंत्रीजी ने तुरन्त स्वीकार कर लिया है। ऐसे प्रस्ताव तो विरोधी दल की ओर से और फुलेरा से आये माननीय सदस्य ने रखे थे लेकिन उन पर सरकार का विरोध हुआ और भी कोई कार्यवाही उनके खिलाफ सरकार करने की कार्यवाही कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि सरकार की नीति परिवर्तन के बारे में समय समय पर बातें उठती हैं इसलिए उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस संशोधन का आशय है वह यह है कि जो बोर्ड को रूल्स बनाने का अधिकार दिया है, वह वापिस ले लें। वापिस लेने के लिए जो दलील माननीय सदस्य ने दी है वह सबसे मोटी यह थी कि सरकार के बीच में और बोर्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। मैं समझता हूं शुरू से लेकर अन्त तक, बोर्ड के फोर्मेशन से, बोर्ड के सेक्रेटरी के अपोइन्टमेंट

(श्री भैरोंसिंह)

से, बोर्ड के पर्सनल से, बोर्ड के सुपरसेशन के पॉवर्स से और सेक्शन २६ के मातहत जिसमें कि सरकार को अधिक पावर्स दिये गये हैं, सरकार के आदेश के माफिक बोर्ड को काम करना पड़ेगा; उसके बावजूद भी ऐसी कौनसी व्यवस्था बाकी रह जाती है जिसमें कि बोर्ड और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था न हो ? मैं समझता हूं कि इस बिल में इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। यदि सरकार कोई भी बोर्ड से काम कराना चाहे तो सेक्शन २६ के मातहत करवा सकती है, यदि बोर्ड ने सरकार की मंशा के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास भी कर दिये हैं तो सरकार को अधिकार है कि वह स्थगित कर सकती है और यहां तक कि सेक्शन २७ के अन्तर्गत उसको बोर्ड को सुपरसीड करने के भी अधिकार हैं। सेक्रेटरी सरकार द्वारा नियुक्त होगा, वह सरकारी अधिकारी होगा। आज भले ही यह कह दिया जाय कि सरकार का वह अधिकारी तो होगा लेकिन वह एक इन्डिपेन्डन्ट व्यक्ति होगा, स्वतन्त्रता पूर्वक काम कर सकेगा। लेकिन यह मानने की बात नहीं है। सरकार का अधिकारी होकर वह अपनी इच्छा से कार्य कर ले, उसे तो जो सरकार की नीति होगी उसको मंजूर करना पड़ेगा। आज, उपाध्यक्ष महोदय, यह दलील दे सकते हैं कि वह स्वतंत्र इच्छा से काम कर सकेगा, लेकिन यह केवल थियोरिटिकल ही है, प्रेक्टिकल में यह बात होती नहीं है। कहने को तो कह सकते हैं कि वे स्वतन्त्र विचारधारा को रख सकते हैं, पर्सनली उनकी स्वतन्त्र विचारधारा हो सकती है लेकिन प्रेक्टिकली नहीं होती है। यदि बोर्ड द्वारा सरकार के विरुद्ध कोई प्रस्ताव हो, कोई संशोधन हो, सुझाव हो, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था हो तो सरकार का अधिकार है कि उसको अपने आदेश से समाप्त कर दे, वैसी सूरत में जहां उनका प्रतिनिधि बोर्ड में हो, उनका नियुक्त किया हुआ सेक्रेटरी वहां हो, सरकार अपना काम कराने के लिए स्वतन्त्र है, अपना काम, अपने आदेश और रीति-नीति क्लॉज़ २६ के अन्तर्गत करवा सकती है और यदि उन आदेशों के बावजूद भी बोर्ड न करे तो क्लॉज़ २७ के द्वारा उस बोर्ड को भंग कर सकती है। उसके बावजूद फिर इस प्रकार कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था का प्रश्न कहां रह जाता है ? मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा और भाषा के साथ जो 'ओटोनोमस' शब्द यूज़ किया है तो वह भाषा ही संकेत कर रही थी और जिस तरह से तीन चार बार "ओटोनोमस" शब्द को उन्होंने यूज़ किया था, तो आभास मिल रहा था कि यह संशोधन उनके द्वारा सरकार की ओर से करवाया गया है। चूंकि 'ओटोनोमस' शब्द का प्रयोग हो रहा है और इसमें बाधा न पहुँच जाय इसलिए ३-४ बार कहा, ओटोनोमस शब्द का उपहास है। रूल्स बनायगा बोर्ड, लेकिन सरकार की मन्जूरी से। अमेन्डमेंट में यह व्यवस्था है कि सरकार चाहे तो मन्जूर करे, चाहे तो उनको रिजेक्ट करे और चाहे तो रीकन्सीडरेशन के लिए भेज दे। सरकार चाहे तो उनको रिजेक्ट कर दे, बोर्ड ने जो व्यवस्था दी है, नियम बनाये हैं और सरकार के आदेश के अनुसार बोर्ड यदि कार्यवाही नहीं करता है, सरकार उसको बाध्य कर सकती है। एक शब्द से सारा ढांचा बनाने जा रहे हैं उसके साथ यह उपहास है। या तो हटाना होगा नहीं तो उपहास करने वाला संशोधन, व्यवस्था आ रही है उसको समाप्त करना पड़ेगा।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार एक तरफ तो ऑटोनोमस बोर्ड बनाना चाहती है, उसको रूल्स बना के अधिकार देना चाहती है और दूसरी तरफ यह कहती है कि रूल्स बनाने का अधिकार उसको नहीं होगा। और रूल्स बनायेगा तो रूल्स लागू करने का अधिकार सरकार की बिना मर्जी के नहीं होगा। इसका मतलब तो यह है कि जो सरकार चाहेगी वह होगा। आगे की क्लॉज़ में ऐसी व्यवस्था है कि राजस्थान सरकार ने ऑर्डीनेन्स इशू किया है, उसमें जो व्यवस्था सरकार ने ऑर्डीनेन्स के मातहत लागू कर दी है वह व्यवस्था इस एक्ट के मातहत लागू समझी जायगी। इसमें आप यह व्यवस्था देते हैं कि बोर्ड अपनी इन्डिपेन्डेन्ट राय न दे। स्वयं सरकार ने एक ऑर्डीनेन्स के मातहत नियम बनाये हैं, एक ऑर्डीनेन्स के मातहत उन नियमों को लागू करा है, तो उन्हें इस एक्ट के मातहत लागू हुए समझे जाने के लिए यह व्यवस्था कर दी है। यदि बोर्ड उनमें संशोधन करना चाहे तो बिना सरकार की मन्जूरी के बोर्ड उनमें संशोधन नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की डुप्लीकेसी का कोई मतलब नहीं कि आप पॉवर्स अपने पास रखें, डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को पॉवर्स देदें। एक बार बोर्ड को बनाकर उस बोर्ड को भंग कर दें, तो उसके बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बनाने की आवश्यकता का मतलब यह होता है कि बोर्ड इन्डिपेन्डेन्ट काम करने को तैयार नहीं है। उसके काम में दखल किया जा सकता है, उसमें दखल करने की चेष्टा की गई है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बताऊं कि उपमंत्री महोदय को एक महीने पहले ठीक बात जंची थी। उसको रिकन्सीडर करके बोर्ड को रिकन्सीडर करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उसको रिकन्सीडर करे जिसको कि सरकार एक महीने पहले ठीक समझती थी। एक महीने के बाद उन सिफारिशों में परिवर्तन करने का ध्यान क्यों सामने आया है? जिन कारणों से और जिन परिस्थितियों के कारण परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई है, वे यहां बतलाने चाहिए थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्वेंशन के आधार पर कह सकता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों ने जो अपनी राय दे दी, उस राय के ऊपर वे हाउस में काम कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट कमेटी का कोई मेम्बर उस समय की राय के खिलाफ काम करता है तो वह हमारे कन्वेन्शन के खिलाफ है। हम एमेन्डमेंट्स मूव नहीं कर सकते हैं, हम अपनी राय नहीं दे सकते हैं। एमेंडमेंट एक राय का प्रश्न है और वह राय आती है तो उसको जल्दी से मन्जूर करने की व्यवस्था नहीं है। यदि इस तरह की चीज़ कोई साधारण सदस्य, एक अनभिज्ञ सदस्य करे तो हम उसको दरगुज़र कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के उप वित्त मंत्री, आई एम सोरी, उप शिक्षा मंत्री इस प्रकार की बात करें तो मैं समझता हूं कि वह हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात होगी और इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं बन पाये इसलिए मैं उपमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो इस प्रकार का संशोधन रखा है उसको नामन्जूर करें।

संशोधन में कई बातें लिखी हैं कि फन्ड्स क्या होंगे, कोर्स क्या होगा, बोर्ड की सर्विसेज़, उनके प्राविडेन्ट फन्ड, तनख्वाह आदि की क्या व्यवस्था होगी, इसमें सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, तो बोर्ड क्या काम करेगा! उसमें उसकी किस तरह की क्या व्यवस्था होगी, उसका खुलासा किया जाता नहीं, तो मैं

(श्री भैरोंसिंह)

समझता हूं कि बोर्ड के पास काम करने को कुछ नहीं हैं। एक शिक्षा शास्त्रियों का बोर्ड है। शिक्षा शास्त्रियों का बोर्ड कोई राय दे और उस राय के ऊपर सरकार के माननीय शिक्षा मन्त्री और शिक्षा मंत्री की आवाज में शिक्षा सचिव के अनुभव राय दें तो, उपाध्यक्ष महोदय, जिस बोर्ड के अन्दर हम विद्वान आदमी भेजते हैं वह राय देते हैं एक विशेष काम के लिए, उस राय के ऊपर राय देने वाला शिक्षा सचिव है और राजस्थान सरकार के शिक्षा सचिव का स्टेन्डर्ड जिस तरह का है वह इससे पता लगता है कि उस बोर्ड के बनने के बाद शिक्षा विभाग की कोई देखभाल हो जाय तो ठीक है। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर शिक्षा सचिव को गवर्नमेंट के नाम पर पॉवर्स देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उन शिक्षा शास्त्रियों की तौहीन करते हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने अपने निर्णय के बाद, पूरे विचार के बाद, सारे कॉन्सिक्वेन्सेज़ को देखने के बाद, उसके इन्स एन्ड आउट्स में जाने के बाद में जो निर्णय लिया है वह इस प्रकार का नहीं हो सकता है कि जो निर्णय एक सेक्रेटरी के द्वारा परिवर्तित किया जा सके। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों में बोर्ड इन्डिपेन्डेन्ट नहीं हो, बोर्ड आजाद नहीं हो, सरकार के द्वारा उसमें हस्तक्षेप हो, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कानून नहीं रखें तो अच्छा हो। किसी दूसरे प्रकार का कानून लायें और यह अधिकार ले लें कि एक बोर्ड बनाना है जिसमें हम अपनी मर्जी चाहेंगे उसको रखेंगे, और मर्जी चाहें उस तरह का काम करायेंगे और सदन उस पर अपनी स्वीकृति दे दे तो अच्छा हो। हम उस ब्लेन्क पेपर पर अपने साइन दे देंगे। लेकिन यहां पर बात एक ओर बताई जाय और उस बात की आड़ में दूसरी बात करवाई जाय, मैं समझता हूं कि यह उनके लिए शोभा की बात नहीं हैं, यदि हम यह कानून बनायें तो हमारे लिए शोभा की चीज नहीं है।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि बोर्ड की स्वतन्त्रता के ऊपर आघात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा हो। इस सम्बन्ध में मुझे आशा है कि हमारी विधान सभा में जिनको कि हम शिक्षा शास्त्री कह सकते हैं, वह महानुभाव जो मावली से आये हैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हैं और उन विचारों का मुझ पर असर होगा या नहीं, लेकिन उनके पास में बैठने वाले उपशिक्षा मंत्री महोदय पर निश्चित् रूप से असर होगा और इसी उम्मीद में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे माननीय मित्र जो फुलेरा से आये हुए हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है उसे मैं भय की दृष्टि से देखता हूँ। मैं समझता हूं कि आज महत्वपूर्ण क्लॉज़ेज़ के बारे में यहां पर जितने प्रस्ताव आये हैं मैं उनको भी इस परिस्थिति में कम भय से नहीं देखता था, लेकिन आज जो संशोधन यहां पर रखा गया है ३२ वें क्लॉज़ के ऊपर, उसको मैं अत्यन्त भय की दृष्टि से देखता हूँ। ज्यादा भय की दृष्टि से इसलिये देखता हूं कि इस संशोधन की मन्जूरी निस्सन्देह बोर्ड की स्वयत्तता को कम से कम....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह ३४ वीं क्लॉज़ है।

श्री जनार्दनराय नागर : ३४ वीं क्लॉज़। ले लेना चाहते हैं। मैं यह मानता हूँ कि

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रवर समिति के द्वारा जो एक राय से मूल बिल को संशोधित करके मसविदा हमारे सामने रखा गया है उसको इस सदन के प्रत्येक कोने से पूरा समर्थन मिलना चाहिये। हमें आश्चर्य तो यह हुआ कि हमारी ट्रेज़री बेन्चेज़ के सदस्यों का मन मेरे माननीय मित्र के इस तरह के संशोधनों को स्वीकार करने की ओर होने लगा है। यदि हम उसूल की दृष्टि से देखते हैं और बोर्ड की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से देखते हैं तो मैं यह मानता हूँ कि यह संशोधन कदापि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

(विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

मेरे माननीय मित्र सरकार को यह अधिकार देना चाहते हैं कि बोर्ड जो कानून कायदे बनाये उनको सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा जाय और सरकार चाहे तो उनको अर्ध स्वीकृत करे, चाहे तो पूर्ण स्वीकृत करे, चाहे तो स्वीकृत न करे और बोर्ड के पास वापिस भेजे पुनः विचार करने के लिए भेजें या न भेजें। प्रवर समिति के मसविदे में जो संशोधन स्वीकार किया गया है तो इसका मतलब है कि सरकार जो यह चाहती है कि बोर्ड सरकार को शिक्षा के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन दे सके, वह शिक्षा के मामले में मार्ग दर्शन देगा, लेकिन यदि उस मार्ग दर्शन के लिये कानून-कायदे बनाये जाने की चीज में सरकार की स्वीकृति का जो अधिकार दे रहे हैं, सरकार से परामर्श लेने का जो अधिकार दे रहे हैं उससे मैं मानता हूं कि बोर्ड को जो स्वायत्तता हम देना चाहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की राय में जो प्रस्ताव उचित लगता है उसको तो बहुत जल्दी ही, इस प्रकार के कुशलता पूर्वक लिखे हुए संशोधनों को मान लेने में तत्परता नहीं दिखानी चाहिए। मेरे माननीय मित्र चौधरी यह कहना चाहते है कि बोर्ड पर अंकुश रखना चाहिये। जब बोर्ड कुछ बातों के लिये, अपने कर्मचारियों के लिये, उनके प्रोवीडेन्ड-फन्ड के लिए, उनके भत्ते के लिए या बोर्ड के द्वारा आगे जो काम किया जाने वाला है उन कर्तव्यों के लिये नियम बनाता है, तो उसको कहा जाता है कि उसके ऊपर अंकुश की आवश्यकता है। वह कोई अहम मामला हो, सिद्धान्त का मामला हो तो सरकार स्वाभाविक अंकुश की बात रखती है तो वह बात बुरी लगती है। मैं हैरान हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, जब कि मेरे माननीय मित्र ने संशोधन सदन में पेश किया और उनका भाषण हो गया, इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से जो प्रवर समिति का मसविदा है उसको वे नहीं चाहते हैं। हम किसी भी माने में आगे जाना नहीं चाहते लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से और सहयोगी मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे मित्र पी. के. चोधरी के संशोधन को कदापि स्वीकार न करें।

मैं मानता हूँ कि यदि हमने बोर्ड का निर्माण किया है तो उसको अधिकार होना चाहिये साधारण नियम-उपनियम, जो आधारभूत नियम न हों; उन्हें बनाने का पूरा अधिकार होना चाहिये। सरकार स्वयं नहीं चाहती होगी कि उसको इस प्रकार का अधिकार न हो। सरकार ने इस बिल के मसविदे में लिखा है कि सूचना करने का अधिकार है। सरकार की पूर्व सम्मति से बोर्ड कानून या नियम-उपनियम बनायेगा। प्रवर समिति में इस बात पर गंभीरता से विचार किया गया और एकमत से इसे स्वीकार किया गया जिसमें

(श्री जनार्दनराय नागर)

माननीय मंत्री भी शामिल थे। इस बात को तय किया गया कि पूर्व सहमति की बोर्ड के नियमों के लिये आवश्यकता नहीं है। जो कायदे बनावें उसकी सूचना सरकार के पास पहुंच जानी चाहिये। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आज कौनसी स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण सरकार को शक्ति देना चाहते हैं, जिसका उल्लेख पहले मसविदे में भी नहीं था। प्रवर समिति ने इस बात को स्वीकार किया और बोर्ड को सत्ता दी कि इतर स्वीकृति, अर्ध स्वीकृति और पूर्ण स्वीकृति के बिना ही पूर्ण विवेक से नियम, उप नियम बना सकता है। फिर आज समझ में नहीं आता कि बोर्ड जो नियम उपनियम बनायेगा उनको पहले सरकार के पास क्यों भेजा जायगा ? इसके बारे में सबसे बड़ी दलील दी गई है कि सरकार का अंकुश रहना चाहिये। पहले हमें यह तय करना चाहिये कि सरकार का अंकुश कहां चाहिये और कहां नहीं चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड के नियम-उपनियमों के बारे में बोर्ड पर सरकार का अंकुश इतना रखते हैं तो बोर्ड स्वायत्त कैसे माना जा सकता है, बोर्ड स्वायत्त कैसे रहेगा, यह बता दें। मैं अधिक नहीं कहना चाहता। हम मनोविश्लेषण करें तो एक बात होगी। बोर्ड की अंतरात्मा के ऊपर न्याय करना चाहते हुए भी पूरा न्याय नहीं कर पायेंगे। बहुत ही अच्छा होता यदि शिक्षा के मामलों में इस बोर्ड को स्वतन्त्र और स्वायत रखा जाता सरकार द्वारा जो निर्देश देने की स्थिति है उसे हम दूर रखते। लेकिन यह हमने मंजूर किया कि सरकार जैसा चाहे बोर्ड को निर्देश दे सकती है और आगे अगर आज हम यह मंजूर करते हैं कि बोर्ड के नियमों के बारे में सरकार की इतर स्वीकृति, अर्ध स्वीकृति, पूर्ण स्वीकृति अनिवार्य होगी तो हम उसकी स्वायत्तता को छीनना चाहते हैं। इसलिये मैंने प्रारम्भ में कहा था कि मैं इस संशोधन को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकता।

हमने बोर्ड को शिक्षा के मामले में स्वायत्त रखा है और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल सत्ता राज्य सरकार को दी है, समझ-बूझ कर दी है। लेकिन बोर्ड के नियम, उपनियमों के बारे में भी राज्य सरकार को पॉवर देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं उसका नैतिक प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन स्वयं सरकार इस बात को नहीं चाहती। जो इस बिल का मसविदा आया था उसमें सरकार ने केवल इतना कहा कि जो कायदे-कानून, नियम, उपनियम बनायेंगे उसके लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं, राज्य सरकार का मूलतः मौलिक इरादा नहीं था कि बोर्ड अपने द्वारा बनाये जाने वाले नियम उपनियमों की पूर्व स्वीकृति लेले, तो मेरी समझ में नहीं आता कि श्री पी. की. चौधरी राज्य सरकार से इतना क्यों करवाना चाहते है ? मैं उनसे अपील करूंगा क्योंकि वे जनतन्त्र के हामी माने जाते हैं, उनके भाषणों का मुझ पर प्रभाव पड़ा है। आप जनतंत्र के हामी हैं और आपके बहुत से विचार ऐसे हैं, जो व्यवहारिक हों या अव्यवहारिक हों, लेकिन वे जनतंत्र के हामी हैं। जब इतने ऊंचे विचार आपके जनतंत्र के बारे में हैं और बार बार आप अपनी ओपिनियन जाहिर करते हैं तो आपने यह कैसा संशोधन रखा जिसके द्वारा आप नियम-उपनियम के बारे में सरकार को शक्ति देना चाहते हैं ? ज ओरिजिनल

Page No.88

(श्री जनार्दनराय नागर)

अध्यादेश है, उसमें भी बोर्ड को नियम-उपनियम बनाने का अधिकार दिया गया है, बोर्ड अपनी स्थिति, परिस्थिति और संगठन के अनुकूल नियम, उपनियम बनाकर आगे के लिये व्यवस्था करेगा उसके लिये भी सरकार की इतर स्वीकृति, इतर सहमति, अर्ध सहमति अनिवार्य है ! सरकार के विवेक को मानकर चलने का संकल्प हम देते हैं तो मैं समझता हूं बहुत दूर जाना होगा और जनतंत्र के अंतरात्मा की दृष्टि से महसूस करते हैं कि हमें शिक्षा के मामले में बोर्ड को पूर्ण स्वतंत्र रखना चाहिये। जो प्रवर समिति ने अधिकार दिये हैं उन्हीं को काफी समझना चाहिये।

(करतल-ध्वनि)

माननीय चौधरीजी सरकार को शक्ति देना चाहते हैं और सरकार शक्ति चाहती है तो चाहे जितनी शक्ति हम दे सकते हैं क्योंकि सरकार को शक्ति देने से परहेज नहीं है। लेकिन शक्ति प्राप्त करना चाहिये व्यवहारिक रूप से। इसको प्रयोग, लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति सरकार को ध्यान रखना चाहिये। यह सरकार के प्रति आक्षेप नहीं है, मेरा नम्र निवेदन है कि बहुत हल्के हल्के हम मानलें कि जिसमें स्वतंत्र रूप से काम करने की विवेक बुद्धि है, उस पर अंकुश लगाना उचित नहीं होगा।

('हीयर हीयर' की आवाजें)

मैं समझता हूं इस संशोधन के जरिये श्री चौधरी इस सदन को निश्चित रूप से पीछे लेजाने वाले हैं। न तो यह मकसद प्रवर समिति का है और न सरकार का हो सकता है। यदि संशोधन पर सरकार द्वारा थोड़ा ध्यान देकर विचार किया गया तो यह बात सामने आयगी। मैं किसी भी स्थिति में इस संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि इस संशोधन को स्वीकार करेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : No information directly.

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Sir, I can say this only after I had heard the full debate on this clause.

श्री भैरोंसिंह : You have accepted that amendment.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : But that was not carried through, that was not put to vote. There after I have heard very learned arguments from both the sides. You know human mind is apt to change. Hereafter I may have a different feeling Let me have the advantage of hearing allt he Hon'ble members. Thereafter I will say what I feel.

श्री श्रीभानसिंह : Thereafter say what you say and not feell, other-wise it will again change.

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने पेश किया है उसके मैं मुखालिफ हूँ। मेरे लायक मित्र शायद क्लॉज ३४ को पढ़ते और उस पर पूरी तौर से नजर डालते तो वे इस प्रकार का संशोधन कभी प्रस्तुत नहीं करते।

(हीयर हीयर)

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

कि इस ३४ वें क्लॉज़ में इस छोटे से छोटे काम से लगाकर बड़े से बड़े काम के लिये रूल्स, रेगुलेशन्स बनाने का अधिकार बोर्ड को दिया है, यदि अभी मान लिया जाय कि छोटे से छोटे क्लर्क का अपोइन्टमेन्ट करने के लिये बोर्ड अपने रूल्स बनाता है उसमें भी गवर्नमेन्ट की मंजूरी की आवश्यकता है, एग्ज़ामिनेशन किस प्रकार लिये जांय उसके लिये भी मंजूरी की आवश्यकता है, हर रेगुलेशन्स के लिये भी स्वीकृति की आवश्यकता हो तो यह कठिनाई की बात है।

आज हम देखते हैं कि सरकार के पास हजारों के काम हैं, एक एक कागज छः महीने तक पड़ा रहता है और उसका जवाब नहीं आता है। क्या आप इस मामले में भी इस प्रकार की ढिलाई का तरीका अपनाने जा रहे हैं?

(हियर, हियर)

जब कि हम एक प्रश्न का जवाब मांगते हैं और जवाब के लिए आम तौर से १५ दिन लग जाते हैं। क्या रूल्स और रेगूलेशन, एजुकेशन के बारे में जो बोर्ड नियत-पद्धति बनाये, उसमें आप यह जरूरी समझते हैं कि जो रेगुलेशन बनाने के लिए शिक्षा विशेषज्ञ बोर्ड में बैठाये हैं, वे इस बात के लिए और इस बोर्ड की कार्यवाही करने के लिए ही बैठाये हैं, ऐसी अवस्था में इस प्रकार के रेगुलेशन बनाने के लिए, बोर्ड पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अग्रसर होगी, तो बोर्ड को कठिनाई उपस्थित हो जायगी। जो रिज़ोल्यूशन हों, या प्रस्ताव हों बोर्ड के और उनके खिलाफ सरकार हो, याने सरकार उनसे सहमत न हो, तो उसके सुधार के लिए पूरी पॉवर्स क्लॉज़ २६ में दी हैं। ऐसी अवस्था में भी हम फिर बोर्ड की रूल्स और रेगुलेशन बनाने की स्वतन्त्रता को स्वीकार नहीं करते हैं, यह बिल्कुल शिक्षा विशेषज्ञों की मान-हानि होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जैसा इस बिल में बताया गया है, जब सारा बोर्ड गवर्नमेंट अपोइन्ट करती है और उसमें गवर्नमेंट के दूसरे मनोनीत विशेषज्ञ होते हैं और जब विधान सभा सरकार को इतनी पॉवर्स दे रही है कि बोर्ड सरकारी नीति के खिलाफ कोई काम न कर सके इस तरह के सब अधिकार, गवर्नमेंट के हाथ में इस बिल में हैं। ऐसी स्थिति में क्लॉज़ ३४ को संशोधन के साथ पास कर देना बिल्कुल बुद्धिमानी का परिचय देना नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जब कि हमारी सिलेक्ट कमेटी ने इस बात पर पूर्ण रूप से विचार किया है और गवर्नमेंट ने उसमें अपनी सहमति प्रगट कर दी है और जब ऐसे रिज़ोल्यूशन्स के बारे में गवर्नमेंट ने ऐसी सहमति दे दी है कि ऐसे रिजोल्यूशन को वे नहीं मानेंगे, फिर भी इस संशोधन, रिज़ोल्यूशन को सरकार अगर अपनी सहमति देती है, तो जो वायदा किया हुआ है, उससे पीछे हटती है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को सरकार कदापि मंजूर नहीं करे। जब कि सिलेक्ट कमेटी ने इसे मंजूर नहीं किया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस संशोधन को पेश करने वाले माननीय सदस्य इसे वापिस ले लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दो संशोधन आये हैं, एक श्री पी. के. चौधरी का और दूसरा श्री श्रीमानसिंह जी का, मैं पहले का विरोध करता हूँ और दूसरे संशोधन का समर्थन करता हूं। पहला जो संशोधन है वह, मेरी समझ में, इस प्रकार का संशोधन है, जो इस बिल की

(श्री मूलचन्द डागा)

मन्शा या इच्छा को देखते हुए भी उपयुक्त मालूम नहीं होता और न रुचिकर प्रतीत होता है। क्लॉज़ ३४ है, उसका जो सब-क्लॉज़ २ है, उसको पढ़ने से मालूम होता है :
"In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may......"
३४ वें जो क्लॉज़ हैं, उसके अन्तर्गत साफ लिखा हुआ है कि सरकार उन नियमों को, बनायेगी, जो इस बिल के खिलाफ न हों। अगर हमारा क्लॉज़ ३४ की सब-क्लॉज़ २ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाय तो मालूम होगा कि उसकी साफ मन्शा यह है कि जो बिल के सिद्धान्त हैं, जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विपरीत कोई भी नियम या उप-नियम नहीं बनाया जायेगा। ऐसी स्थिति में ऐसे नियम बनाने वाला कौन होगा ? डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन कानून बनाने वाला होगा और जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, मेम्बर्स हैं वे कानून बनाने वाले होंगे। उन नियमों के बनने के बाद, मेरी समझ में, सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ सेक्रेटरी होगा, वह उसमें होगा और उसके अलावा शिक्षा शास्त्री बोर्ड में होंगे, उनके द्वारा सरकार की नीति को चलाने की मन्शा इस बिल की है और उनको कार्यान्वित करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन होंगे, उनके लिए सरकार के एप्रूवल की जरूरत होगी, तो मेरी समझ में नियम, उप-नियमों के बनने के बाद वे सरकार के पास जायेंगे। तो जब छोटे छोटे कामों के लिए, चार पांच महीने लगते हैं, तो इस काम के लिए साल लगेगा और बोर्ड कोई काम नहीं कर सकेगा, बोर्ड के काम में रुकावट और अड़चन पैदा होगी। छोटे छोटे कामों जैसे कन्डक्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन के लिए बोर्ड रूल्स और रेगुलेशन बनना चाहता है, वे रूल्स और रेगुलेशन बन कर सरकार के पास जाते हैं, सरकार उन पर अपनी छिद्रान्वेषी दृष्टि से, हेर-फेर करना चाहती है, तो मेरी समझ में सरकार को इस काम को करने में लम्बा समय लगेगा और बोर्ड ने एक प्रकार से सोच समझ कर जो रूल्स और रेगुलेशन बनाये हैं उन पर टीका टिप्पणी होकर और उनमें संशोधन होकर वे वापिस फिर बोर्ड के पास जायेंगे। इसका मतलब यह होगा कि काफी समय इन बातों पर लगेगा और सरकार की जो मन्शा है और जो कार्य करने की प्रणाली है, वह इस बिल के विरूद्ध होगी। एक बात यह भी है, जब कि हमारी क्लॉज़ २६ और २७ क्लॉज़ेज़ हैं। हमने २६ क्लॉज़ में पॉवर्स दे दी हैं, सारे अधिकार क्लॉज़ २६ के अन्तर्गत दे दिये हैं और क्लॉज़ २६ और २७ के होते भी फिर क्लॉज़ २८ नियमों और उप-नियमों के एप्रूवल की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि बोर्ड के ऊपर पग पग पर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों पर सरकार का अंकुश रहेगा और बोर्ड अपना काम नहीं कर सकेगा। जो बोर्ड कार्य करेगा, वह गवर्नमेंट के पास चली जायेंगी और गवर्नमेंट पसन्द नहीं करेगी तो फिर गवर्नमेंट उसको बदल दे। इस प्रकार के जो क्लॉज़ेज़ हैं जो आपने लिखे हैं :

"with the previous approval of the State Government."

यह जो श्री पी. के. चौधरी ने संशोधन पेश किया है, मेरी समझ में वे फिर इस बात पर गौर करें और विचार करें, फिर वे अपने इस संशोधन को वापिस ले लें।

दूसरा जो संशोधन है, जिसके द्वारा यह

Page No.91

(श्री मूलचन्द डागा)

एडीशन करना चाहते हैं : "(q) The conditions and qualifications of teachers in private institutions before admitting them to its privileges."

यह इतना महत्वपूर्ण संशोधन है क्योंकि हिन्दुस्तान में जो कल्याणकारी राज्य कायम करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक देश और तानाशाही देश का है, तानाशाही जितने देश हैं उनके अन्दर लोगों को पितृभूमि और मातृ भूमि के बारे में सबक सिखाया जाता है और उसके मुताबिक शिक्षा दी जाती है। इसमें लोगों के व्यक्तित्व के विकास पर, मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास के धरातल पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हिन्दुस्तान में जो गरीब मुल्क हैं, जो शिक्षक मिलते हैं, वे शिक्षकों के रूप में नहीं होते हैं, ज्ञान बेचने वाले बनिये होते हैं। जिस प्रकार महाजन चीजें बेचता है, उसी प्रकार शिक्षक ज्ञान बेचने का काम करते हैं। न तो उनमें खूबी होती है कि जो बच्चे उनमे पढ़ते हैं उनके ज्ञान को विकसित कर सकें, पल्लवित कर सकें। ऐसी कई प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जिनमें यह स्थिति है। इंगलैंड और अमरीका में इन्स्टीट्यूशन्स होती हैं, जहां लड़कों को वजीफा मिलता है, शिक्षकों को अच्छी तनख्वाह मिलती है। हमारे यहां प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स होती हैं जो साधारण स्थिति के मास्टरों को रखते हैं। इन संस्थाओं को सेठ और साहूकार चलाते हैं। वे अपनी यशकीर्ति के लिए नामवरी के लिए ऐसे शिक्षकों को रख छोड़ते हैं, जिनके कारण से बच्चों का भविष्य बिगड़ता है। जो क्लॉज में एडीशन किया गया है वह इस प्रकार है :

"The conaitions and qualifications of teachers in private institutions before admitting them to its privileges."

मेरे खयाल से यह जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां कई धनी-मानी लोग अपने यश के लिए कोई छोटी-मोटी पाठशालाएं खोल देते हैं और ऐसे टीचर्स जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं होता, शिक्षक के कर्तव्यों को नहीं जानते, उनको रख लेते हैं। इसलिये जो संशोधन दिया है वह बहुत उपयोगी है और हमारे देश की स्थिति को देखते हुए इस संशोधन को मान लेना चाहिये। जो पहला संशोधन है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अनूपसिंह (बलोत्तरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि इस सेक्शन पर बहुत वाद-विवाद हो चुका है फिर भी यह कहना पड़ेगा कि जब बोर्ड को बहुत सी पॉवर दे दी गई हैं और बोर्ड को जिम्मेदार संस्था मानलिया है, जिसके चेयरमैन डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन मान लिये गये हैं, जैसा कि इसमें रखा गया है, डायरेक्टर ओफ एजुकेशन होने चाहिये। तो अच्छे २ शिक्षा शास्त्री इसमें रहेंगे, राजस्थान के अच्छे से अच्छे डाइरेक्टर्स जो कि अलग अलग विभागों के हैं, मेडिकल के डाइरेक्टर हैं, इन्डस्ट्रीज़ के डाइरेक्टर हैं, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब यह कि राजस्थान के जितने विद्वान और अच्छे आदमी हो सकते हैं, उन्हें इस बोर्ड में लिया गया है, तो समझ में नहीं आता कि सरकार अपने आदमियों का जिनको कि हैड्स ओफ दी डिपार्टमेंट्स बना कर रखती है, क्या उनके ऊपर इतना भी विश्वास नहीं हो सकता कि रोज-मर्रा की छोटी मोटी चीजों के ऊपर भी वे लोग सही निर्णय नहीं ले सकेंगे ?

(श्री अनूपसिंह)

उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज कर दूं "(h) the admission of institutions to the privileges of recognition and the withdrawal of recognition"

यह बहुत छोटी सी चीज है, अमुक इन्स्टीट्यूशन को लिया जाय या नहीं, अमुक इन्स्टीट्यूशन को क्यों नहीं निकाल दिया जाय, यह सब चीजें बोर्ड के तहत में तय होंगी और इन्स्टीट्यूशन्स को अपना रिकोग्निशन मिलेगा तो ऐसी क्या बात है कि गवर्नमेन्ट की प्रीवियस सेंक्शन ली जाय जब कि बोर्ड में ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान के क्रीम माने जा सकते हैं, विद्वानों का क्रीम, अच्छे अच्छे सारभूत पदार्थ है, सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें भी आप मानते हैं कि शायद बोर्ड गलती कर जायगा और छोटी छोटी बातों में वह गवर्नमेंट से पूछे। यह तो इस तरह की बात हुई कि हालांकि एक घर में बहुत बूढ़े तजुर्बेकार व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका एक लड़का बालिग हो गया है, उसके लिये क्या यह जरूरी हो जाता है कि मैं कपड़े पहनूं तो उनसे पूछूं, खाऊं तो उनसे पूछूं, बाहर जाऊं तो उनसे पूछूं, अन्दर जाऊं तो उनसे पूछूं। तो इस तरह छोटी छोटी बातों में सरकार को छूने से बोर्ड का काम रुकेगा। ऐसे मौके भी आयेंगे कि बोर्ड को जल्दी कदम उठाना होगा, तो इस तरह बोर्ड के ऊपर सस्पीश्यन रखना कि बोर्ड हर जगह गलती करेगा; जैसा कि (2)..."...make regulations for all or any of the fellowing matters, namely"

"एनी ऑफ दी" और "ऑल", सारी इसमें ले ली गई हैं, और जैसे :

"(1) the election or nomination of members to the Board."

तो मतलब कहने का यह है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत मुलायम है, इस पर प्रेशर जल्दी आते हैं और यह मान भी जल्दी जाती है। प्रेशर से निकलने के लिये यह अच्छा होगा कि यह रखे और प्रेशर डालने आयें उन्हें कह दे कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते अपने हाथ पैर बचाने के लिये, तो यह बहुत अच्छा है। फिर लोग प्रेशर डालेंगे, टेलीफोन खड़खड़ायेंगे, इससे तो यह अच्छा है कि बोर्ड को अधिकार दे दिये जायं, वही करे और इसके बाद रेक्टिफिकेशन के लिये गवर्नमेंट के पास जाय, गवर्नमेंट उसमें दखल कर सकती है।

इस लिहाज से मैं अर्ज कर रहा था कि बोर्ड के पॉवर बांध कर एक दम गवर्नमेंट ने अपनी मुट्ठी में रखने के अधिकार रखे हैं, वह ठीक नहीं है। खास तौर से ऐसी संस्था के लिये, जिसको राजस्थान का क्रीम मानते हैं उसके लिये ऐसा सस्पीश्यन रखना गलत होगा और मेरा निवेदन करना है कि फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको मान लिया जाय।

डा० चन्द्रकला : मान लिया जाय ?

(हंसी)

श्री अनूपसिंह: Oh! Soory, उसका विरोध किया जाय।

मावली से आये हुए माननीय सदस्य ने विरोधी पक्ष की काफी बातें कह दी हैं तो ऐसी सूरत में इस बारे में ज्यादा टाइम लेना, सदन का समय खराब करना जरूरी नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपमंत्री) : Mr. Dy. Speaker, Sir, two amendments have been moved in clause 34. When these amendments were moved I was a bit inclined that they may be accepted but since then I have heard the debate of many learned members of this House and two things have impressed me much; the first is, that if we give the Government power to make rules of its owm for the Board. This shall amount to interference in the day to day duties of the Board and secondly it may cause undue delay. My contention was also invited to the sections in which the Government can ask the Board to take any action or suspend the execution of any resolution. So I think that these amendments shall not prove any useful purpose for carrying into effect the policy by the Board.

As regards the second amendment moved by the Hon'ble Member coming from Bharatpur that the following provision may also be made:--"(q) the conditions and qnalifications of teachers in private institutions before admitting them to its privileges," I have to say that it is quite clear and it should be left to the Board to decide in such matters so that if it so likes it may go into details regarding the qualifications of teachers, etc. These should be left to the Board.

Admittedly, the Board shall have power under section (h) to put these conditions prior to recognition. In the circumstances, I am not able to agree with these amendments and hence I request the Hon'ble Members to kindly withdraw them.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अमेंडमेंट के खिलाफ जो भी कुछ दलीलें पेश की गई हैं, उन्हें मैंने सुना है और मन्त्री महोदय का भी जवाब मैंने सुना है। मैं समझता हूँ कि जिस इरादे से मैंने इस अमेंडमेंट को मूव किया था, सदन के सामने पेश किया था उसको शायद उस स्पिरिट से किसी ने भी नहीं देखा है, न उपमंत्री महोदय ने देखा और न सदन के दूसरे सदस्यों ने देखा। उन्होंने यह बताया कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, सेक्शन २६ में सारे पॉवर्स सरकार को दे दिये हैं, बोर्ड को कन्ट्रोल करने के। मैं निवेदन करूंगा कि २६ में जो अधिकार दिये हैं, उनको पढ़कर देखें, वे जो पावर्स दिये गये हैं, सरकार के बोर्ड के ऊपर रूल्स मेकिंग के पावर्स नहीं हैं, इसमें सरकार को पॉवर दिया है कि....

"The Government can compel the Board to stay some action or to take some action."

यह २६ में जो पॉवर्स हैं, ये तो बोर्ड को किसी एक्शन के लेने से स्टे करने के लिये, या किसी एक्शन के लेने के लिये पाबन्द कर सकते हैं। आज रूल्स मेकिंग के जो पॉवर्स हैं जिनको हमने मिस्लेनियस में रखा है और जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि छोटी-छोटी बातें हैं और माननीय मंत्रीजी ने कहा कि छोटी-छोटी बातों में इन्टरफियरेन्स नहीं होना

Page No.94

(श्री पी. के. चौधरी)

चाहिये, मैं बताना चाहता हूं कि "rule making" में जो बातें रखते हैं वे कोई छोटी-छोटी बातें नहीं होती हैं। स्कूलों के बारे में रूल्स बनाते समय रूल बनाने की बातों को छोटी-छोटी बातें नहीं समझना चाहिये। एक बात मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमको सरकार के नाम से इतना चौंकना नहीं चाहिये। हम सरकार के नाम से, जिस प्रकार कि बैल के सामने लाल कपड़े (रेड ड्रेस) होते हैं उस तरह से होते हैं और जिस तरह से बैल चौंकता है हमें चौंकना नहीं चाहिये। हम लोग सरकार का जब कहीं नाम आता है तो चौंक जाते हैं। यह बात नहीं होनी चाहिये कि हम उसका नाम सुन कर ही चौंक जावें। आज जो लोग सरकार में हैं उनके कुछ व्यूज़ हैं और हो सकते हैं कि आपके व्यूज़ उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हों। मगर एक बात आप भूल जाते हैं कि जैसे मेरे दिमाग में एक बात आई कि जनतन्त्र में स्टेट के सामने जनता के लिये वेलफेअर स्टेट का नक्शा हो, और अभी मौजूदा जो नक्शा सरकार के सामने है वह पुलिस गवर्नमेंट का रहता है और हम यह समझते हैं कि सरकार का मतलब पुलिस गवर्नमेंट है। हम यह समझते हैं कि सरकार हम पर जबरदस्ती कानून लगाती है और लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करती है। हम कैसी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं वेलफेअर स्टेट, वेलफेअर गवर्नमेंट चाहते हैं और वेलफेअर स्टेट के लिये जो सरकार के लिये इन्टरफियरेन्स डे टु डे वर्क में जरूरी रहते हैं उनको जब तक आप नहीं देंगे तब तक जिस गवर्नमेंट को आप चलाना चाहते हैं नहीं चल सकेगी और वेलफेअर स्टेट नहीं होगी। इसलिये आपको पॉवर तो गवर्नमेंट को देने ही होंगे। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार को पॉवर देने से हमको किसी तरह से डरना नहीं चाहिये और चौंकना नहीं चाहिये। आप मान लें और इस पर सोचलें कि आपको अपने यहां वेलफेअर स्टेट लाना है और प्रोग्रेसिव स्टेट लाना है, आप अपना काम करते रहें। कोई भी सरकार आज नहीं दो साल बाद, चार साल बाद और ५ साल बाद, जो भी प्रगतिशील सरकार आती है और आपकी राय से प्रोग्रेसिव सरकार है आपके जिस ढंग से कानून बने हैं, जिस ढंग से यहां पर इम्प्लीमेंट करते हैं उसे कोई भी सरकार चाहे किसी कानून को, किसी चीज को इम्पलीमेंट नहीं कर सकती। आज की सरकार का काम कानून बनाना ही नहीं है। आज की सरकार का काम सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन्स बनाना ही नहीं है और लॉ और ऑर्डर मेन्टेन करना नहीं है। उनका उद्देश्य एक वेलफेअर स्टेट का होना चाहिये और उनके कानून उसी तरह के होने चाहिये जिससे उनके वेलफेअर स्टेट में डे टु डे काम में किसी तरह की बाधा न हो। सरकार का इन्टरफीअरेन्स किसी अच्छी चीज के लिये होना चाहिये! जब हम किसी प्रकार के कानून बनाते हैं तो हमें यह मान कर क्यों चलना चाहिये कि शायद गवर्नमेंट उनको बुरी तरह से इन्टरफिअर करेगी। कानून जो हम बनायें, उनको हमें वेलफेअर स्टेट के काबिल बनाना चाहिये न कि पुलिस स्टेट में जिस तरह के कानून बनाये जाते हैं उस तरह के कानून बनाये जावें। पुलिस स्टेट में कानून बनाये, जाते हैं वे ठीक नहीं होते।

४.३ म० प०

इसलिये मेरा निवेदन है और मैंने जिस ध्येय से इस एमेंडमेंट को पेश किया उसको न तो माननीय मंत्री महोदय समझ सके हैं और न माननीय सदन के सदस्य ही समझ सके हैं। बल्कि हमारे श्री माधोपुर से आये

(श्री पी. के. चौधरी)

हुए माननीय सदस्य ने कहा कि यह संशोधन तो किसी के कहने से माननीय सदस्य ने रखा है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं और बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी एमेंडमेंट किसी के कहने से रखने वाला नहीं हूँ और न रखूँगा। मैंने तो इसको सेकन्डरी एज्युकेशन बोर्ड के ideal constitution क्या होने चाहिये, इसके लिये यह संशोधन रखा है। आपके ख्याल में यह एक ओटोनोमस बोडी है, ऐसा आपका ख्याल है। मगर मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में फर्क है, we have made several autonomous corporations, for example the financial industrial corpoation etc.

बोर्ड कई किस्म के हो सकते हैं और कई किस्म के बोर्ड बना सकते हैं, फलाना-ढींकड़ा, कई तरह के बोर्ड बन सकते हैं और आप बना सकते हैं और ज्यों ज्यों बोर्ड बनते जावेंगे डे टू डे एक्टीविटीज़ बढ़ती जावेंगी। हम उनको ओटोनोमस बोर्ड बनाते जावेंगे। मगर ओटोनोमस बोर्ड का मतलब यह नहीं है mushroom anarchy. जो सदस्य हों उनका फर्ज है कि उनकी जो एक्टीविटीज हैं, उनको हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें और हमारा फर्ज है कि हम उनको उधर भेजें और वे लोग जावें और बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करें और उसको जिस चीज की बुनियाद पर चलाना है उसके बारे में रिएक्शन देने का, हमको सरकार के हाथ में और सरकार के जरिये हमारे हाथ में, यह बात होनी चाहिये। यह मेरी निश्चित राय है। मावली से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया कि शिक्षा शास्त्री का यह बोर्ड बना है इसलिये उनको छूट देनी चाहिये। मैं इस संबन्ध में नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी यह निश्चित राय है कि एक्सपर्ट लोग होते हैं वे वन साइडेड ही सोचते हैं और उनका आउट लुक ब्रोड नहीं होता। हमेशा वे एक तरफा ही सोच सकते हैं और इन्टीग्रेटेड व्यू किसी का नहीं ले सकते हैं। हम कौमन मेन हैं। हम किसी भी चीज का इन्टरप्रेटेड व्यू लेते हैं, हम एक तरफा व्यू नहीं लेते और न एक तरफ से देखते हैं। हम चारों तरफ के व्यू को अपने ध्यान में रखते हैं। आप यह मत समझिये कि he is the last word on the earth.

हम हमारा काम करते हैं वे अपना काम करते हैं। वे हमारे रिएक्शन के लिये काम करते हैं क्योंकि वे उस काम में एक्सपर्ट हैं और उनको जिस दिशा में काम करने के लिये ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं, we have to guide the experts and not to be guided by the experts, इस चीज को हमें भूल नहीं जाना चाहिये। आफटर ऑल हम जो कानून बनाते हैं उनके बनाने की, हम जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी है। जो कानून हम बनाते हैं वह हमें किस तरफ ले जाएगा यह हमारी जिम्मेदारी है। हम किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं और वह हमारे प्रान्त को किस तरफ ले जाएगा, यह देखना है। अगर हम वेलफेअर स्टेट बनाना चाहते हैं तो उससे क्या करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं? हम उनको बताते हैं कि इस तरफ काम करना है।

जिस तरह इंजीनियर को किसी बिल्डिंग या दूसरे कन्स्ट्रक्शन के लिये बुला कर उससे राय लेते है उसी तरह किसी चीज के लिये एक्सपर्ट को बुला कर उनसे काम कराएंगे। हम लोग यहां पर बैठे हैं, सब कॉमन सेन्स से काम करते हैं और कॉमन

Page No.96

(श्री पी. के. चौधरी)

सेन्स ही बहुत बड़ी चीज है, एक्सपर्ट कोई बड़ी चीज नहीं है। एक्सपर्ट अपने स्थान पर हैं और हमारे स्थान पर हम हैं। एक्सपर्ट नोरमली एक साइड को देखते हैं और उनकी एक साइड की राय होती है। हमारी निगाह ऑल राउन्ड जाती है। एक्सपर्ट से हम काम कराते हैं, किसी काम के लिये हम एक्सपर्ट से राय लेते हैं, हम उससे गाइडेड नहीं होते हैं। हम किसी भी सूरत में एक्सपर्ट को गाइड मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो एमेन्डमेंट मैंने रखा है उसको सदन के माननीय सदस्यों ने बराबर समझा नहीं हैं कि किस इरादे से रखा है और इसीलिये ऑपोजिशन होता है। अगर समझ जाते तो ऑपोजिशन नहीं होता। एक्सपर्ट्स को सरकार के कोआर्डिनेशन के लिये रखा है। यदि सरकार की बात बोर्ड नहीं मानेगा तो उसको भंग कर दिया जाएगा, मगर मैं यह बता देना चाहता हूं कि आप एक बात ध्यान में रखें, that prevention is better than cure. बीमारी बढ़ने के बाद इलाज कराने से तो अच्छा यही है कि बीमारी को बढ़ने ही नहीं दिया जाए। इस लिये जो रूल्स बनाये जावें वे इस तरह के बनाये जावें जिससे आगे झगड़ा पैदा नहीं हो।

इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जो एमेन्डमेंट रखा है वह ठीक है और मैंने इसको निहायत अच्छी नियत से रखा है और सोच समझ कर रखा है और किसी के कहने से नहीं रखा है। मैंने यह सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहा है। बोर्ड और सोशियल वेलफेअर स्टेट के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन रखना चाहिये। वेलफेअर स्टेट के कॉन्सेपशन्स हैं उनको अभी आप समझते नहीं हैं और जो पॉवर सरकार को होनी चाहिये उसको देने से आप भागते हैं। इसलिये मेरे ख्याल से जो माननीय सदस्य वेलफेअर स्टेट की बात करते हैं उनको उसके साथ साथ वेलफेअर स्टेट को लाने के लिये किस किस्म के कानून लाने चाहिये, उसको दृष्टि में रखते हुए जो चलेगा तो यह नहीं होगा और क्लॉज़ ३४ और २६ को जो आप कन्फ्यूज़ करते हैं वह चीज गलत है। क्लॉज़ २६ में सिर्फ एक्शन को ही प्रिवेन्ट करने के लिए है। The Government can force the Board to do a particular action or to prevent it from doing a particular act. They cannot force the Board to make regulations.

आज बोर्ड अनाप-शनाप रेगुलेशन्स बना दे, उल्टा-सीधा बना दे और फिर जाकर कहें कि गवर्नमेंट इसको स्टे करे, प्रिवेन्ट करे। माना कि हम ऐसा कानून बनायें कि हम तो बुनियादी शिक्षा देंगे। मान लीजिए कि आपके बोर्ड का जो शिक्षाशास्त्री है और बोर्ड के जो मेम्बरान हैं उन्होंने यह फैसला किया है कि बोर्ड अपने कोर्सेज़ ऑफ स्टडीज़ में कोई तब्दीली करने को तैयार नहीं है। तो आप बताइये कि आप कैसे शिक्षा देंगे? ठीक है बोर्ड इन्डीपेन्डेन्ट है और उसको इन्डीपेन्डेन्ट ही रहने दिया जाय लेकिन आपके पास क्या है कि आप बोर्ड को इसके लिए फोर्स कर सको? आप लोग जो हैं बोर्ड को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं, condensed will of the people को आप रिप्रेज़ेन्ट करते हैं। आप यह जानते हो कि आप अगर पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे तो आपको अगली बार वोट नहीं मिलेंगे, we will have to move with the people. Ultimately we represent

(श्री पी. के. चौधरी)

the condensed will of the people. पार्लियामेन्टरी सिस्टम है कि we have to move with the people. तो इसलिए आपको हमेशा मासेज़ के साथ चलना पड़ता है। बोर्ड इज़ एन इन्डीपेन्डेन्ट बोडी। बॉर्ड कोई मासेज़ से वोट लेकर नहीं बैठा है। यह तो शिक्षा पद्धति है जिसमें लिट्रेरी या एकेडैमिक एज्युकेशन की बात कही जाती है, जिसका जन जीवन के साथ संबंध है उसके बारे में उसकी पद्धति को बतलाना चाहता हूं। आपको यह इम्प्लीमेन्ट कराना है तो आपके बोर्ड ने कहा कि यह लोग तो सब अंगूठा छाप हैं, यह क्या बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, ऐसी बात उस बोर्ड के मेम्बर सोचेंगे। वह कहेंगे कि हमने तो जो एज्युकेशन इंगलेंड में जाकर और अमेरिका में जाकर लिया, पी० एच० डी० किया, वहां से जाकर एम० डी० किया, वह देंगे। वह कहते हैं कि यह लोग बेसिक एज्युकेशन को क्या समझें ? गांधीजी पागल थे। बेसिक एज्यु- केशन की बात कहते हैं उसमें ज्यादा खर्च होता है। इसलिए जो सिस्टम चलाना है उसको चलायेंगे। वह कहेंगे कि इंगलेंड के या अमरीका के मुल्क के जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके कोर्सेज़ को लाकर रखेंगे। तो आप बतायें कि आप उनको कैसे रोक सकते हो ? आप इसके बोर्ड को सुपरसीड कर दें, यही उसका तरीका है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आज जब धक्का लगाने से एक उंगली से काम हो सकता है, उसके लिए तलवार काम में लेना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि यह जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है इसके मकसद को और इसकी इम्पो- र्टेन्स को और इसकी अहमियत को आप बराबर नहीं समझ रहे हैं। आगे जाकर काफी दिक्कतें आ सकती हैं। और कानून जब हम बना रहे हैं तो वह कानून आज के लिए नहीं बनाते हैं, we make the law for all times.

तो इसलिए हमको काफी विचार करके कानून बनाना चाहिये और इस किस्म की संकीर्ण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to allow Shri Sribhan Singh to withdraw his amend-ment ?

(स्वीकृत)

Leave is granted.

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री पी. के. चौधरी : I may be permitted to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : You are also with-drawing ? Is it the leave of the House ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I accept-ed it with compliments that I was much impressed with the debate in the House. I was much impre-ssed, and though I was inclined, still...

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to allow.

श्री पी. के. चौधरी : To withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Now the question is that clause 34 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 34 is added to the Bill. In Clause 35 These are no amendments. The question is...

सदन में विचारार्थ विधेयक सम्बन्धी जारी किये गये अध्यादेश विषयक

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर एक क्लेरीफिकेशन की आवश्यकता है। क्लॉज़ ३५ में ऑर्डीनेन्स का उल्लेख किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जब सदन में कोई बिल विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है और सदन ने उस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया तो क्या उस समय सरकार कोई इस प्रकार का ऑर्डीनेन्स इश्यू कर सकती है कि जिस आर्डीनेन्स के द्वारा हमें आज इसको रिपील करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन में बिल प्रस्तुत कर दिया गया उसके बाद में मैं समझता हूं कि हमें यह चाहिए था कि उस बिल के पारित होने तक हम किसी प्रकार से ऑर्डीनेन्स इश्यू नहीं करते। इसमें सरकार ने एक ऑर्डीनेन्स इश्यू किया है और वह भी उन दिनों में किया है जिन दिनों में कि इस बिल पर यहां सिलेक्ट कमेटी विचार कर रही थी। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निर्णय चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का ऑर्डीनेन्स सरकार उस सूरत में जारी कर सकती है जिस सूरत में कि बिल सदन में विचारार्थ जारी किया गया है।

श्री श्रीभानसिंह : यह डेट एक्सप्लेन की जाय कि whether it was before the Bill was with the Select Committee or after the Bill was with the Select Committee.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : the Bill was then referred to the Select Committee.

श्री श्रीभानसिंह : This, Sir, I think is a very material point that this Bill was in the possession of the House because the Select committee is a miniature reflection of the House. When once a Bill is introduced and is in possession of the House, should that be im pl emented by Government through an Ordinance ? This is a very material point. On this...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Mr. Deputy Speaker, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : I am speaking, Sir, on this I think this matter must be referred for the opinion of the Advocate-General.

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Mr. Bhairon Singh, would you kindly repeat your point ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३५ में जो प्रोविज़ो है उसमें यह उल्लेख है :

"Provided that the first regulations, if any, made undr section 35 of the Rajasthan Secondary Education Ordinance, 1957 (Rajasthan Ordinance 5 of 1957) shall be deemed to be the first regulation of the Boarb made dythe State Gove-

(श्री भैरोंसिंह)

rnment under this section."

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस बात का संकेत करता है कि राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डीनेन्स इश्यू किया है। वह ऑर्डीनेन्स मैंने स्वयं भी राजस्थान के राजपत्र में देखा है और यह भी मुझे मालूम है कि जिस समय यह ऑर्डीनेन्स इश्यू किया गया था उसके पहले राजस्थान सरकार ने इस विधान सभा के गत अधिवेशन में यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया था। इस बिल को सदन ने स्वीकार करके एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया और जिन दिनों में सिलेक्ट कमेटी विचार कर रही थी उन्हीं दिनों में, सही डेट्स तो मैं नहीं बता सकता, एक ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष : After the Bill was referred to the Select committee?

श्री भैरोंसिंह : Yes, sir.

श्री पूनमचन्द विश्नोई: On a point of order, Sir, the Hon'ble Member should quote an Article or any section of the Canstitution because it is a matter pertaining to law and in such matters oral quotations or oral opinion or any one Hon'ble Member would not count.

श्री उपाध्यक्ष : We are coming to this issue.

श्री श्रीमानसिंह : I am the second Hon'ble Member who is refering to it .

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना यह था कि ऑर्डीनेन्स उस सूरत में इश्यू कर सकते हैं जिस सूरत में कोई इमरजेन्सी अराईज़ हुई हो और सदन सैशन में न हो और जिस समय आर्डीनेन्स इश्यू किया उस समय हाउस सैशन में नहीं था मगर उस बिल को हाउस स्वीकार करके सिलेक्ट कमेटी को दे चुका था। अब प्रश्न आता है कि जिस विषय को हमने हाउस में प्रस्तुत कर दिया और उसने सिलेक्ट कमेटी को वह सौंप दिया तो उस विषय के लिए क्या समझा जायेगा? उस विषय को लेकर जब विषय सिलेक्ट कमेटी के सामने चला गया for that particular subject, तो यह मानकर चलेंगे कि यह सवाल सदन के सामने है। इस मामले के ऊपर अपना निर्णय देने का सदन को अधिकार है और उसमें परिवर्तन व परिवर्धन करने का सरकार को अधिकार है। तब ऐसा विषय सदन के सामने है और सदन उस समय सेशन में नहीं था, फिर भी इस पर्टिकुलर सबजेक्ट के लिये सदन सेशन में ही समझा जायगा। जब किसी बिल पर सिलेक्ट कमेटी विचार कर रही हो उस सूरत में अगर कोई ऑर्डिनेन्स इश्यू करते हैं तो इसका मतलब यह है, न तो इमर्जेन्सी कन्डीशन्स सरकार के सामने आयीं और अगर कोई ऐसी कन्डीशन थी तो सरकार द्वारा वह पूर्व सैशन में नहीं रखी गई, इसलिये हम यह नहीं मान सकते कि किसी भी प्रकार इमर्जेन्सी अराइज़ हुई हो। राजस्थान के मुख्य मंत्री या उपशिक्षा मंत्री दोनों सिलेक्ट कमेटी के सदस्य थे। सिलेक्ट कमेटी के सामने भी इमरजेन्सी नहीं बतायी गई और अचानक ही ऑर्डिनेन्स इश्यू करते हैं; इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार को जो इमरजेन्सी में ऑर्डिनेन्स इश्यू करने

(श्री भैरोंसिंह)

के पॉवर्स थे उसका दुरुपयोग किया गया। जिस बिल के लिये सदन सेशन में था यह सदन का प्रिविलेज़ है और विशेषाधिकार है कि उस समय में कोई आर्डिनेन्स इश्यू नहीं हो सकता।

दूसरा प्रश्न आता है कानून का, यह कहा गया कि कोई कानून बताया जाय। मैं समझता हूँ कानून बताने के अन्दर संविधान का आशय स्पष्ट है, हमारे जो रूल्स बने हुए हैं वे भी स्पष्ट है। उनको हम इस दृष्टि से देखें कि क्या हमने जो काम किया है वह किस हद तक उचित है, इसके औचित्य-अनौचित्य के बारे में स्पष्ट रूप से मालूम हो जायगा। जहां तक कानून देखने की आवश्यकता है मैं उप मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कानून का जहां तक संबन्ध है वह कानून द्वारा ही हो सकता है, लेकिन उनको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि कानून के ऊपर कन्वेन्शन्स भी हैं उनको भी हम नजर अन्दाज नहीं कर सकते। कन्वेन्शन्स और कानून दोनों का समन्वय होकर ही सारी विधान सभाओं की कार्यवाही चलती है, जहां कानून नहीं हो वहां कन्वेन्शन्स का सहारा लेना होता है। हो सकता है कि किसी चीज के बारे में कानून भी न हो और कन्वेन्शन भी न हो तो वहां कोमनसेन्स से काम लिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे इस बात पर निर्णय चाहते हैं कि राजस्थान सरकार इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स को इश्यू करने के लिये अधिकृत थी या नहीं? बिल के प्रस्तुत होने के बाद इस बिल के संबन्ध में जब कि सदन सेशन में था तो क्या इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स गवर्नमेन्ट इश्यू करने के लिये अधिकृत थी?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उपशिक्षा मंत्री): May I give reply, Sir? Mr. Deputy Speaker, Sir, I shall quote Rule 24, sub-rule (2), "Whenever an Ordinance which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated, a statement explaining the circumstances which necessitated immediate legislation by ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance."

So all that is required is that whenever an Ordinance is issued regarding any matter on which legialation is pending before the House, then at the commencement of the Session, the reasons etc. of the Ordinance should be placed before the House. That was done. Therefore, I think there is no illegality absolutely in issuing the Ordinance.

Secondly, regarding the emergency, the emergency was this that we hoped that the Secondary Education Bill shall be passed in the Budget Session of the Assembly, but since it was referred to a Select Committee and because three years of the multipurpose Higher Secondary Students were to be completed this year and they were to appear in the examination in 1958, therefore it was necessary that an Ordinance should be promulgated, because these institutions were not atta-

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ched or affilliated to any University or Board. Simliarly, the Higher Secondary institutions of Ajmer had sereved their connection with the Ajmer Board, and because the students were to appear in the examination next year, so it was necessary that the Board should be constituted, hence...

श्री श्रीभानसिंह : How is it related to the legality, to the legal point the Hon'ble Member has raised!

श्री पूनमचन्द विश्नोई : No, no. I have replied to two things; firstly, necessity and secondly legality. Legally I have said that the State Government is authorised...

श्री श्रीभानसिंह : I would request the Hon'ble Minister to concentrate on the legality.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have read sub-rule (2) of Rule 94 and it is clear that the State Government can legislate regarding the matters, and issue an ordinance on any matter pending before the House, which embodies wholly or partly or with modification, Sub-rule (2) of Rule 94.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल नंबर ६४ का सब रूल (२) जो उपस्थित है उसमें है :

"Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated, a statement explaining the circumstances which necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the Session following the promulgation of the Ordinance."

तो मैं समझता हूँ, क्या उप शिक्षा मंत्री महोदय ने इस प्रकार का कोई स्टेटमेन्ट at the कमेन्समेन्ट ऑफ दी सेशन रखा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्लेस किया है। Yes. It is placed. It is there. The Ordinance was placed with reasons.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Hon'ble Deputy Minister is not understood. He has referred to clause (2) which reads :-

"whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated, a statement explaining..."

This means that whenever the House is not in Session or a piece of legislation is not in possession of the House, then only an Ordinance can be issued. Now here, when a particular piece of legislation has been referred to and is introduced in the House and a Select Committee has been appointed for the purpose, in those circumstances, can the Government

(श्री श्रीमानसिंह)

issue that very same legislation in the form of an Ordinance ? This is the point.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, this is what I read :--

"Whenever an Ordinance which embodies wholly or ptrtly or with modification the provisions of a Bill pending before the House..."

The words are "pending before the House."

श्री उपाध्यक्ष : The position is too clear. Hon'ble Mr. Bhairon Singh do you want to enlighten more on this issue ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६४ के (२) में जिस बात का उल्लेख है उसे उप शिक्षा मंत्री महोदय समझे नहीं हैं। जिस स्टेटमेंट की आप बातें कर रहे हैं वह आपने इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखी हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आपने सदन के सामने स्टेटमेंट दे दिया। रूल ६४ के (२) के मातहत जिस स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है क्या उस प्रकार का कोई स्टेटमेंट हुआ या नहीं ? इसके लिये इसमें साफ लिखा है कि "A statement explaining the circumstances which necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the Session following the promulgation of an Ordinance."

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि वे हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ को उठाकर देखें तो उनको पता चल जायगा कि किन किन परिस्थितियों में यह ऑर्डिनेन्स लाना पड़ा, विथ रीजन्स उसमें दिये हुये हैं। शायद एजेन्डा आपके पास भी होगा असेम्बली के शुरूआत में ही इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि रूल नं० ६४ (२) की तहत जो प्रोवीज़न उपमंत्री महोदय ने नोट किया है उसमें देखना यह है कि:—

"A statement explaining the circumstances which necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table before the commencement."

A statement explaining the circumstances shall be placed at the Table on the commencement of the session.

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब इस विधान सभा का सत्र प्रारम्भ हुआ, मैं समझता हूं मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक के विचार करने के लिये प्रस्तुत करते समय कोई भी स्टेटमेंट इस प्रकार का उपमंत्री महोदय द्वारा नहीं दिया गया, न सदन की मेज पर ही इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट रखा गया जिसमें उन्होंने ऑर्डिनेन्स क्यों जारी किया, कौनसी परिस्थितियों में जारी किया गया, यह नहीं बताया। लेकिन इस पर अपने विचार रखे हैं, इसलिये इसमें जो "शेल (Shall)" शब्द का प्रयोग किया गया है वह उपाध्यक्ष महोदय,

Page No.103

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मेन्डेटरी प्रोवीज़न है। मेन्डेटरी प्रोवीज़न की तहत इस प्रकार कोई स्टेटमेंट सदन की मेज पर नहीं रखा और न सदन के सामने ही उन परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराया जिसके कारण उन्हें ऑर्डिनेन्स जारी करना पड़ा, इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें लीगल लेकुना रह गया है।

श्री श्रीभानसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, it is 4. 30 now and हाफ एन अवर वाला मैटर अब ले लिया जावे। इसे कल एडवोकेट जनरल की ओपीनियन जानने के लिये डेफर कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रोसीडिंग बताता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : वह बता दीजिये। पहले वही ले लीजिये तो फिर after 4. 30 there is an half-an-hour discussion.

श्री उपाध्यक्ष : Whether at all the statement was submitted, I shall have to refer the relevant papers and the proceedings. In view thereof, I reserve my decision for tomorrow. It is 4. 30 now, the decision is, therefore, reserved.

श्री श्रीभानसिंह : I will make an humble submission. This point has been raised off-hand. The Hon'ble Member would look to the Constitutional position and the other Hon'ble members who have not spoken on this at the time, they will look into all these facts. So we may hear the Advocate-General tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : There is no necessity hearing the Advocate General on this point. I make the entire position clear. We may look to the proceedings of the 4th. when Shri Mohan Lal Sukhadia, Hon'ble Chief Minister, laid on the Table of the House a statement pertaining to this. I have all these documents before me. I have only to link them, that is the whole position.

आधे घंटे के वाद-विवाद का स्थगन

Now it is 4.30 and there is no other question before the House. Now so far as the half-an-hour discussion on a starred question is concerned, the Hon'ble Home Ministar is indisposed and Shri P. K. Chaudhry has agreed to this discussion being taken on Mondy. Therefore, it is to be included in Mon-, day's list.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब इस हाफ एन अवर डिस्कशन के वास्ते सदन को सूचना दी गई और इसको सर्कुलेट कर दिया गया था तो क्या इसके बाद में केवल श्री पी० के० चौधरी का ही अधिकार रहता है कि वे अपनी सहमति दे दें कि कल के लिये इसे स्थगित किया जाकर, कल ले लिया जावे और इसी पर वह कल के लिए स्थगित कर दिया जावे। मैं समझता हूँ सर्कुलेट हो जाने के बाद यह हाउस के पजेशन में आ जाता है और उस पर हाउस का अधिकार हो जाता है कि वह इसे चाहे तो कल पर रक्खे, नहीं चाहे तो नहीं। तो जब तक पहले हाउस की मंशा या उसका सैंस न ले लिया जावे तब तक उसको स्थगित करना कहां तक उचित

(श्री भैरोंसिंह)

है, इस पर उपाध्यक्ष महोदय स्वयं विचार करने की कृपा करें ?

श्री उपाध्यक्ष : You press that the sense of the House be taken even for postponing it ?

(विराम)

Ordinarily this half-an-hour discussion could have been taken today but because the Hon'ble Home Minister, who is to reply, is indisposition is a factor to be taken into consideration for postponing this question today. As far as the postponement is concerned, uuder these circumstances, I think it is within the powers of the Chair. There is no rule which debars the Chair from postponing the issue, I keep it for next sitting.

That means we should not proceed now, so far as the consideration at other clauses are concerned.

So we now adjourn for Monday to meet at 11.00 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बजकर ४५ मिनट पर, सोमवार, दिनांक १८ नवम्बर १९५७ के ११ म.पू. तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, १५ नवम्बर, १६५७)

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्कम्भ

१७५४

राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को सुविधा देने के नियमों का आभार।

ग्राम चितलवाना, तहसील सांचौर से बालोत्तरा जाने वाली सड़क पर पत्थर आदि की चोरी।

बाल मन्दिर, सिरोही में क्वालिफाइड स्टाफ की कमी।

चक ५१ आर. बी. के मुरब्बा नं० ४५ के मालिक से वसूल किये नजराने की दर।

सिरोही जिले में कंकड़ की सड़क बनाने से अपव्यय की संभावना।

राजस्थान में जिप्सम के निर्यात से आमदनी।

पुलिस विभाग द्वारा साइन्स-लेबोरेटरी और फोटोग्राफिक सेक्शन खोलने के लिये सामान का क्रय।

बीकानेर में जिला विकास समिति की सिफारिश पर नये स्कूल।

सहकारी विभाग में दो रजिस्ट्रारों की नियुक्ति।

बीकानेर पॉवर हाउस की बिजली उत्पादन की क्षमता।

स्कम्भ

तहसील लालसोट के पत्थर व बजरी आदि का ठेका।

इस वर्ष शिक्षण एवं अन्य शुल्कों में हुई वृद्धि।

दौसा से लालसोट जाने वाली सड़क की मरम्मत तथा डामर पटकने का ठेका।

धौलपुर उप जिले में जिप्सम की प्राप्ति।

राहुवास बंध के टूटने के कारणों की जांच।

पंचवर्षीय योजना में पशु उन्नति में व्यय।

किशनगढ़ इन्सपेक्टोरेट के मातहत मिडिल ग्रेड के अध्यापकों को हायर ग्रेड देने की आज्ञा रद्द।

जुलाई अगस्त के विद्यार्थी आन्दोलन में पुलिस द्वारा अतिरिक्त व्यय।

किशनगढ़ होस्पिटल की सड़क की मरम्मत सम्बन्धी।

ग्राम तुरतीपुरा, तहसील बयाना में प्राइमरी स्कूल का अभाव।

रूपवास से धौलपुर व सेवला बरेठा सड़क आदि के टेन्डर।

जस्साखेड़ा, तहसील भीम से बगड़ तक 'नेशनल हाई वे' के अन्तर्गत किसानों की बेदखली।

किशनगढ़ पॉवर हाउस के चौकीदारों की ड्यूटी का समय।

कोयले के आयात के लिए डिपोहोल्डर्स के चयन का आधार।

फ्लेट-रेट-बेसिस पर बिजली चार्जेज़।

भीम पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. के अभद्र व्यवहार से जनता में क्षोभ।

नदियों की बजरी खनिज में शामिल।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर १८१०

जन सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति संख्या १० (६) के अन्तर्गत परीक्षा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर १८१७

सन् ५५-५६ व ५६-५७ में मन्त्रियों एवं उप मन्त्रियों का डी० ए०, टी० ए० आदि पर व्यय राशि।

बाडमेर के पहाड़ से पत्थर निकालने का ठेका।

पुरेजात विभाग के अधीन राज्य के बाहर के मकान व अचल सम्पत्ति।

राज्य द्वारा चलाई जाने वाली वर्फ फैक्ट्रीज़ सम्बन्धी।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

१. श्री नरपतसिंह १४से३०नव०,१६५७
२ श्री रामकिशन „ „ „ „ „
३. श्री लच्छूराम १५से२५नव०,१६५७

विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ १८२१

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ पर आज पुन: खण्डश: विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २७:—इस खण्ड पर जो संशोधन श्री नारायणसिंह (मसूदा) तथा श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा प्रस्तुत किये गये थे उन पर वाद-विवाद समाप्त हुआ। श्री नारायणसिंह ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा श्री जगदीशप्रसाद माथुर का संशोधन विभाजन के फलस्वरूप अस्वीकृत किया गया।

खण्ड ४:—इस खण्ड पर जो संशोधन प्रस्तुत किये गये थे वे वापस ले लिये गये। तत्पश्चात् खण्ड स्वीकृत किया गया।

खण्ड १५ ए:— श्री पी. के. चौधरी एवं श्री नारायणसिंह (मसूदा) द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव वापिस लिये जाने के पश्चात् खण्ड स्वीकृत हुआ।

खण्ड १६ ए:—श्री पी. के.

चौधरी ने अपना संशोधन वापस ले लिया तथा श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का संशोधन गिर गया। तत्पश्चात् खण्ड स्वीकृत हुआ।

खण्ड २८, २६, ३० व ३१:–श्री जगदीशप्रसाद के संशोधन अस्वीकृत किये जाने के पश्चात् इन खंडों को स्वीकार किया गया।

खण्ड ३२:–इस खंड पर श्री जगदीशप्रसाद द्वारा प्रस्तुत संशोधन गिर गया तथा प्रभारी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् खंड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ३३:-स्वीकार किया गया।

खण्ड ३४:–श्री पी. के. चौधरी और श्री श्रीभानसिंह ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये जो प्रभारी मन्त्री के उत्तर के पश्चात् वापिस ले लिए गये। तत्पश्चात् खंड स्वीकृत हुआ।

सदन में विचारार्थ विधेयक सम्बन्धी जारी किये गये अध्यादेश विषयक

श्री भैरोंसिंह ने खण्ड ३५ में उल्लिखित अध्यादेश पर एक औचित्य प्रश्न उठाया, जिस पर श्री उपाध्यक्ष ने अपना निर्णय स्थगित किया।

आधे घंटे के वाद-विवाद का स्थगन

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, की अस्वस्थता के कारण स्थगित किया गया।

सोमवार दिनांक १८ नवम्बर, १९५७ की कार्य-सूची

१. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७

२. राजस्थान एक्साइज् विधेयक, १९५७

३. राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ विधेयक, १९५७

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २५३ का उत्तर देखिये)

वर्ष	निर्यातमात्रा (टन)
१९५१	१२८५३९
१९५२	३९३३४७
१९५३	५५०१५०
१९५४	५७७८९५
१९५५	६४७९९२
१९५६	७९०४२३

इस खनिज से सरकार को निम्न आमदनी हुई है :

वर्ष	आमदनी (रुपयों में)
१९५०-५१	१२५६५१
१९५१-५२	६०४६०
१९५२-५३	२८२३८५
१९५३-५४	२९६४०४
१९५४-५५	३४२९९८
१९५५-५६	३९६६९९
१९५६-५७	४६८०६०

परिशिष्ट २

१९९६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६० का उत्तर देखिये)

सूची उन लोगों की जिनके ५४–५५,५५–५६,५६–५७ में लालसोट तहसील पहाड के पत्थर व बजरी आदि का ठेका दिया गया।

१९५४–५५

नाम	किस्म ठेका	रकम रुपयों में
१. हजारीलाल	इमारती पत्थर	१६१)
२. हरसहाय	,,	६०)
३. कल्याणसहाय	,,	२५)
४. जगदीशप्रसाद	,,	३१०)

१९५५–५६

नाम	किस्म ठेका	रकम रुपयों में
१. हजारीलाल	इमारती पत्थर	१२५,२२५,१००
२. रामसहाय	,,	५३,२१
२. रामसहाय	झाफडा कंकर	६३,६१
४. रामसहाय	बजरी मोरन	५२

१९५६–५७

नाम	किस्म ठेका	रकम रुपयों में
१. हजारीलाल	इमारती पत्थर	१४५
२. मोहनलाल	,,	१०१
३. दिनेन्द्रप्रसाद	,,	७८०
४. शिवप्रसाद	,,	२५००
५. रामसहाय	बजरी मोरन	१०६
६. ,,	झाफडा कंकर	५१,१०५
७. हजारीलाल	,,	१७५

परिशिष्ट ३

१६७०

(कृपया प्रश्न संख्या २६१ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Education 'B' Department

No. F. 20 (2) Edu/B/53 Dated

ORDER.

In supersession of Government orders Nos. F. 20 (14) Edu/II/51, F. 16 (9) Edu/II/50, dated 24-6-51 and 12-6-50 and all other orders on the subject, the Governor has been pleased to order as follows :—

1. Education will be free in all Government educational institutions upto and including class VIII.
2. As to classes above VIII, tution fees will be charged at the rates given in the enclosed statement No. I in all Government educational institutions including those of earstwhile Ajmer State.
3. As regards girl students studying in Government educational institutions, the rate of tution fees will be at half the rates of those levied for male students.
4. Besides the tution fees the rate for other charges will be as given in the enclosed statement No. 11. This will apply to male and female students.

The new schedule of fees comes into force from the 1st July, 1957.

No. F. 20 (2) Edu/B/53 Dated.

Copy forwarded to :—

1. The Director of Education, Rajasthan, Bikaner.
2. Principals of all Post graduate & Degree Colleges in Rajasthan.
3. Dy. Directors of Education.
4. Director of Public Relations, Rajasthan, Jaipur for information and necessary action.
5. Copy with one spare copy forwarded to the Supdt. Government Central Press, for arranging publication in the next issue of the Rajasthan Rajpatra.

STATEMENT SHOWING TUTION FEE WHICH WILL BE CHARGED IN ALL GOVT. SCHOOL AND COLLEGES IN RAJASTHAN WITH EFFECT FROM 1-7-57.

Classes.	Fees prevailing before July, 1957.	Tution fees sanctioned after 1-7-57
Higher Secondary.		
Class IX	1/8 P. M.	Rs. 3/- P. M.
Class X	I/8 P. M.	Rs. 3/8 P. M,
Class XI	...	Rs. 4/- P. M.
Collegiate.		
1st. year	3/- p. m.	Rs. 6/- p. m.
2nd. year	3/- p. m.	Rs. 6/- p. m.
3rd. year	4/- p. m.	Rs. 8/- p. m.
4th. year	4/- p. m.	Rs. 8/- p. m.
5th. year	8/- p. m.	Rs. 12/- p. m.
6th. year	8/- p. m.	Rs. 12/- p. m.
Research Scholars	10/- p. m.	Rs. 15/- p. m.
Law	10/- p. m.	Rs. 12/- p. m.

Other than Tution fees.

S. No.	Particulars.	Fees prevailing July, 1957 College	Fees prevailing July, 1957 School	Sanctioned from July, 1957 College	Sanctioned from July, 1957 School
1.	Admission fee				
	(a) Institution	2/-	1/-	2/-	1/-
	(b) Hostel.	2/-	...	2/-	1/-
2.	Science Laboratory fee				
	(a) Physics.				
	(b) Chemistry.			2/- p. m.	-/8/- p. m.
	(c) Botany.				
	(d) Zoology.				
3.	Commerce (typewriting fee)			1/- p. m.	-/8/- p. m.
4.	Games fee.	-/8/- p. m.	4/- p. a.	1/- p. m.	-/8/- p. m.
5.	Liberary fee.			2/- p. a.	1/- p. a.
6.	Reading room fee.	2/ p. a.	2/- p. a.	4/- p. a.	2/- p. a.
7.	Leaving Certificate.	2/	1/-	2/-	1/-
8.	Duplicate copy of (7)	-/8/-	2/-	1/-	-/8/-
9.	Magazine fee.	2/- p. a.		3/- p. a.	1/- p. a.
10.	Union fee.	2/- p. a.	1/- p. a.	2/- p. a.	1/- p. a.

11. Entertainment fee.			2/- p. a.	1/- p. a.
12. Handwork fee.	...	...	...	-/8/- p. a.
13. Caution money.	10/-	5/-	10/-	5/-
			(Refundable)	
14. Examination fee.	2/- p. exam.	3/- p. a.	2/- p. exam.	1/ p. exam.
15. Practicals fee for Ex-students.	Tution fee plus lab. fee.		As in (2) above.	
16. Hostel.				
(i) Room rent single seated.	6/-, 7/- p. a.		7/- p. m.	3/- p. m.
Room rent others.	3/-, 4/-, 5/-		5/- p. m.	2/- p. m. per seat
(ii) Light & water.	-		1/- p. m.	-/8/- p. m.
(iii) Common room.	2/- p. a.		2/- p. a.	1/- p. a.
(iv) Utensils fee.	2/- p. a.		-/4/- p. m.	-/2/- p. m.
(v) Caution money.	5/-.		5/- p. a.	5/- p. a.
			(Refundable).	

Copy of Order. No. F. 20 (2) Edu/B/53 dated 27.8.57 from the Secretary to Government Education Department, Rajasthan, Jaipur.

ORDER.

In partial modifcation of Government order of even number dated the 6th. July, 1957, the Governor, after considering the different points of view putforth by the representatives of students and in consultation With the Chattarji Committee, recently constituted to advise Govt. on the quastion of fees, has been pleased to order that:—

1. The fees at enhanced rates will be charged from the wards of those persons who pay income-tax and that the wards of those who do not pay income-tax be required to pay fees only at the rates obtaining before july, 1957, in all Government Colleges and Schools.
2. The first two children of a person who pays income-tax will pay fees at the enhanced rates while the remaining children will be required to pay fees at the old rates only. This concession will however not apply to Technical and Professional Colleges.
3. No tuition fees will be charged from Girls students.

Coyy of letter No. F. 20 (2) Edu/B/53 dated 26. 7. 57 from the Secretary to Government Education Department, Rajasthan, Jaipur to the Principals of Degree and Postgraduate colleges.

Some students of the Maharaja's and Commerce College, Jaipur including office-bearers of their Unions waited upon the Chief Minister and

submitted that a number of students find it difficult to pny fees-tuition and other at a time because it amounts to a sufficient big sum. They argued that fees which are paid for specific activities and are spend by the college authorities in consultation with the students should be revised. It would have been appropriate if the other fees were available to the college authorities for arranging games, libraries, reading rooms and such other activities which now form an important part of the Educational programme of college students. Government, however, feel that they have no objection about the revision of fees on the items given below, if the studeents of a college come to an agreement with the Principal of that college. It was only for the sake of activities of the students that such fees were levied by the Government after careful consideration and after taking the opinion of the various Edudational authorities. Government, however, feel that if in any particular college the students, with the concurrence of the Principal of that college, do not want to pay their enhance dfees, the Priciples may realise fees at a lower rate or at the enhanced rate in any particular item from the list given below as they may think fit, in consultation with the students. The old scale of fees in respect of these items is the minimum that will have to be charged, while the new scale is a kind of an ideal arrangement. Government will have no objection to their fixing the scales of these fees anywhere not below the scale of fees which was in force last year.

1. Games fee.
2. Library fee.
3. Reading room fee.
4. Magazine fee.
5. Union fee.
6. Entertainment fee.

१६७४

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २६२ का उत्तर देखिये)

दौसा से लालसोट जाने वाली सड़क का ठेका (डामर व मरम्मत) निम्न प्रकार से निम्न ठेकेदारों को दिया गया है :

मील	कार्य	ठेकेदार का नाम
	डामर व मरम्मत	
अ. १,४,५.	,,	मै. प्यारेलाल भारत
ब. २,३.	डामर	श्री दिनेन्द्र प्रसाद गर्ग
स. ५,१०,११,१२,१५,१६.	डामर व मरम्मत	श्री दिनेन्द्र प्रसाद मनमोहनलाल गोयल, जयपुर.
द. १३,१४,१७,१६.	,,	,, ,,
इ. २०,२१,२२,२३.	,,	श्री शिव दयाल
क. २४.	,,	श्री दिनेन्द्रप्रसाद मनमोहनलाल गोयल, जयपुर.
ज. २५ से २८.	,,	,, ,, ,,

उपरोक्त ठेके क्रमानुसार निम्न तारीखों को दिये गये हैं:

तारीख	अवधि मिट्टी व सामान इक्ट्ठा करना	कुटाई व डामर
अ. २६-११-५६	६ माह	३ माह
ब, २४-२-५६	१॥ माह	१५ दिन
स. ४-२-५७.	४ माह	३ माह
द. ३१-१-५७.	४ माह	३ माह
इ. ७-३-५६	४ माह	४ माह
क. ३-१-५७	३ माह	१....
ज. ४-१-५७	४ माह	३ माह

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

Statement showing the T. A. & D. A. of the Ministers & Deputy Ministers for the year 1955-56.

S. No.	Name of the Minister.	T. A.	D. A.	Total.
1.	Shri Mohan Lal Sukhadia, C. M.	Rs. 7,768- 0-0.	2,725-15-0.	10,491-15-0.
2.	„ Amrit Lal Yadav, Minister.	Rs. 3,442- 8-0.	1,725- 0-0.	5,167- 8-0.
3.	„ Bhogi Lal Pandya. Minister.	Rs. 2,857- 5-0.	1,587- 6-0.	4,444-11-0.
4.	„ Ram Niwas Mirdha, Minister.	Rs. 6,414- 5-0.	2,068-12-0.	8,483- 1-0.
5.	„ Kumbha Ram Arya, Minister.	Rs. 2,468-15-0.	1,125- 0-0.	3,593-15-0.
6.	„ Badri Prasad Gupta, Minister.	Rs. 561- 3-0.	1,643-12-0.	2,204-15-0.
7.	„ Sampat Ram, Deputy Minister.	Rs. 400- 3-0	2,100- 0-0.	2,500- 3-0.
8.	„ Shah Alimuddin Ahmed, Deputy Minister.	Rs. 1,470-14-0,	1,562- 8-0.	3,038- 6-0.
9.	Shrimati Kamla Beniwal, Deputy Minister.	Rs. 835- 8-0.	819- 0-0.	1,654- 8-0.
10.	„ Brij Sunder Sharma, Minister.	Rs. 4,364-11-0.	1,909- 6-0.	6,274- 1-0.
11.	„ Damodar Vyas, Minister,	Rs. 798- 5-0.	1,456- 7-0.	2,254-12-0,
12.	„ Ram Kishore Vyas, Minister.	Rs. 1,225- 9-0.	975- 0-0.	2,270- 9-0.
13.	„ Ram Chandra Chaudhry, Minister.	Rs. 339-12-0.	87- 8-0.	427- 4-0.
14.	„ Khet Singh, Deputy Minister.	Rs. 123-12-0.	300- 0-0.	423-12-0.
	Total.-	Rs. 33,140-14-0.	20,083-10-0.	53,224- 8-0

Statement showing the T. A. & D. A. of the Ministers and Deputy Ministers for the year 1956-57.

S. No.	Name of the Minister.	T. A.	D. A.	Total.
1.	Shri Mohan Lal Sukhadia, Chiof Minister.	Rs. 3,733-15-0.	1,657- 8-0.	5,391- 7-0.
2,	„ Amrit Lal Yadava, Minister.	Rs. 1,916- 3-0.	1,175- 0-0.	3,091- 3-0.
3.	„ Bhogi Lal Pandya, Miuister	Rs. 1,922- 3-0.	1,377- 8-0.	3,299-11-0.
4.	„ Badri Prasad Gupta, Mfnister.	Rs. 1,426- 5-0.	1,475- 0-0.	2,901- 5-0.
5.	„ Damodar Vyas, Minister.	Rs. 392-14-0.	756- 4-0.	1,149- 2-0.
6.	„ Ram Kishore Vyas, Minister.	Rs. 1,506- 5-0.	892- 8-0.	2,398-13-0.
7.	„ Ram Chandra Chudhry, Minister.	Rs. 1,361-11-0.	1,524- 1-0.	2,885-12-0.
8.	„ Brij Mohan Lal Sharma, Minister.	Rs. 170- 8-0.	425- 0-0.	595- 8-0.
9.	„ Ram Karan Jeshi, Minister.	Rs. 491-12-0.	87- 8-0.	579- 4-0.
10.	„ Brij Sunder Sharma, Minister.	Rs. 3,653-15-0.	1,750- 0-0.	5,403-15-0.
11.	„ Ram Niwas Mirdha, Minister.	Rs. 3,627-11-0.	1,638-12-0,	5,266- 7-0.
12.	„ Sampat Ram, Deputy Minister.	Rs. 489-11-0.	1,956- 4-0.	2,445-15-0.
13.	„ Shah Alimuddin Ahmad, Deputy Minister.	Rs. 1,127- 5-0.	849- 8-0.	1,976-13-0.
14.	„ Khet Singh, Deputy Minister.	Rs. 1,208-15-0.	2,243-12-0.	3,452-11-0.
15.	Shrimati K. K. Beniwal, Deputy Minister.	Rs. 717- 7-0.	711- 7-0.	1,428-14-0.
	Total.-	Rs. 23,746-12-0.	18,520- 0-0.	42,266-12-0.

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF PROPERTIES UNDER PUREJAT, RAJASTHAN KATRA, ALLAHABAD.

Description of property.	Name of the Conventing State.	Remarks.
1	2	3
ALLAHABAD.		
1. 35 acres land in Katra sawai Jai singh.	Jaipur,	
2. House No. 996.	"	
3. " 170	"	
4. " 253	"	
5. " 176	"	
6. " 189	"	
7. " 47	"	
8. " 767,768	"	
9. " 527-B	"	
10. " 532	"	
Agriculture land.		
11. Mauza Fatehpur Bichwa.	"	
12. Nasibpur Bakhtiyara.	"	
13. Mehduri Uperhar.	"	
14. Nasibpur Bakhtiyari.	"	
15. Kabrastan Rajapur.	"	
16. Banglejat Rajapur.	"	
17. Kabrastan Rajapur.	"	
18. Grand Parade.	"	
19. Mauza Rajapur.	"	
BANARAS.		
1. Moh. Manmandir.	"	
2. House No. D. 15/24 (Chhetro Mahal)	"	
3. " D. 15/25 (Lal Makan)	"	
4. " D. 15/26 (Man Mahal)	"	
5. " D. 15/27 "	"	
6. " D. 15/28 "	"	
7. " D. 15/29 "	"	
8. " CK. 38/8	"	

1	2	3
BANARAS	Jaipur	
9. " CK. 38/16	"	
10. " D. 15/71	"	
11. " D. 15/1 & 1A	"	
12. " D. 15/35	"	
13. " 15/43 A	"	
14. Man mandir Ghat & Ghora Ghat.	"	
15. Rana Mahal H. N. D. 20/7	Udaipur.	
16. " D. 20/8	"	
17. " D. 20/9	"	
18. " D. 20/11	"	
19. " D. 20/12	"	
20. " D. 21/1	"	
21. " D. 21/2	"	
22. " D. 21/3	"	
23. " D. 21/4	"	
24. " D. 21/4A	"	
25. " D. 21/5	"	
26. " D. 21/6	"	
27. " D. 21/7	"	
28. " D. 21/8	"	
29. " D. 21/10	"	
30. " D. 21/11	"	
31. " D. 21/12	"	
32. " D. 21/13	"	
33. " D. 21/14	"	
34. " D. 21/15	"	
35. " D. 21/16	"	
36. " D. 21/17	"	
37. " D. 21/18	"	
38. " D. 21/19	"	
39. " D. 21/20	"	Temple.
40. " D. 21/21	"	
41. " D. 21/22	"	
42. " D. 21/23	"	
43. " D. 21/24	"	
44. " D. 21/25	"	Temple.
45. " D. 21/26	"	
46. " D. 21/27	"	
47. " 22/14	"	

1	2	3
48. Rana Mahal H. N. 22/16	Udaipur	
49. Rana Ghat & Chausatti Ghat.	„	
AGRA.		
1. Jaipur House No. 3,3A to 3E.	Jaipur	
2. Qandhari Kothi H. No. 165	Bharatpur.	
3. Plot of land No. 440 oppo. Qandharl Kothi.	„	
4. Dholpur House No. 50 & 50 A.	Dholpur.	
5. House No. 709 & 710	Bharatpur.	
6. House No. 684	„	
7. House No. 1698	„	
8. Ghat Jamuna Ji.	„	
MATHURA.		
1. House No. 954,955 Hellan Gunj.	Bhratpur.	
2. Jaswant Ganj Dharamshala.	„	
GOVERDHAN.		
1. Kunj Deoki Rani.	„	
2. Kunj Bahadur Singh.	„	
3. Kunj Rai Singh.	„	
4. Kunj Narain Singh.	„	
5. Kunj Mahakanwar.	„	
6. Mahal Hansia Rani.	„	
7. Pio.	„	
8. Seerbi Mansi Ganga.	„	
9. Burji Mansi Ganga.	„	
10. Burji Bramhakund.	„	
11. Kunj Moh, Hazariayan.	„	
12. Parti Land at Barsana Motor Stand.	„	
13. Kunj Rai Singh.	„	
RADHAKUND.		
1. Pakka Room with Parti Land near. Gope Kuwa.	Bharatpur.	
2. Parti Land with Kacha House near Post Office.	Bharatpur.	
3. Parti Land near Radhakund 269 sq. ft	„	
VRINDABAN.		
1. Jaisingh House N. 89 to 89 E.	Jaipur State.	

1	2	3
DELHI.		
1. Jatar Mantar Observatory.	Jaipur State.	
2. Mauza Baraula.	,,	
3. Plat of lands near Nizamuddin Stn.	,,	
HARDWAR.		
1. Jaipur Haveli No. 356	Jaipur State.	
PACHOKAR.		
1. Portion of village at the ratio of fix annas a rupee.	Jaipur State.	
2. Chhauni (Karinda's office)	,,	
3. Seer land.	,,	
ELLICHPUR.		
1. Jaisinghpura consisting of 21 plots	,,	
2. Senataph of late H. H.	,,	
3. Baoli	,,	
4. Karjgaon ki bari	,,	
BURHANPUR		
1. Jaisinghpura consisting of land.	,,	Acquired and compensation declared.
2. Sarkari Bara.	,,	
3. Tatamri Math.	,,	
AURANGABAD.		
1. Jaisinghpura.	Jaipur.	
2. Shantipura.	,,	
3. Jaswantpura.	Jodhpur.	The whole property has been acquired by the Govt. of Hyderabad and compensation declared.

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE OF PUREJAT DEPARTMANT FOR THE PERIOD OF 1950-51 to 1956-57.

Year.	Income.	Expenditure.
1950-51.	51,029	21,241
1951-52.	45,343	32,947
1952-53.	72,896	42,332
1953-54.	58,402	42,146
1954-55.	64,721	39,099
1955-56.	53,137	38,995
1956-57.	52,405	49,514

STATEMENT SHOWING INCOME AND ARREARS AND CAUSE ARREAR THE PROPERTIES UNDER PUREJAT, FOR THE YEAR 1956-57

Description of property.	Income	Actual income.	Arrear	Cause of arrear.
1	2	3	4	5
ALLAHABAD.				
1. 35 Acres of land in in Katra including Tehbazari.	3287	1435	1854	Rs. 1618/- pending in execution of the decree Rs. 236/- being realised
2. Mandi 996	11290	6546	4744	Rs. 3156/- suit filed Rs. 1588/- notices issued for realisation and suit shall be filed.
3. H. N. 170	1070	1070	--	
4. H. N. 253	54	53	--	
5. H. N. 47	361	361	—	
6. H. N. 767, 768	125	125	—	
7. H. N. 527 B.	106	106	—	
8. H. N. 532	793	793	—	
9. Land revenue due Agri. Land.	2314	2212	95	Cases pending in the Court of Collector, Allahabad.
10. Land revenue on Rajapur.	2517	833	1684	Two zamindars have migrated to Pakistan against whom demand of Rs. 218/- is pending in the court of Custodian, U. P., and for 1466/- recovery is being made.
Total.	21916	13539	8377	
BANARAS				
1. H. N. D. 15/24	2725	2735	—	
2. H. N. D. 15/25	400	400	—	
3. H. N. D. 15/26	47	24	23	Unrecoverable.
4. H. N. D. 15/27	1489	1481	8	Realised in 1957-58.

1		2	3	4	5
5.	H. N. D. 15/29	43	36	7	Being realised.
6.	„ CK. 38/8	690	690	—	
7.	„ CK. 38/16	8162	2481	5681	Notice has been issued.
8.	„ D. 20/7,9	174	42	132	-do-
9.	„ D. 20/8	736	—	736	Suit has been filed.
10.	„ D. 20/11	378	297	81	Recovery being made
11.	„ D. 20/12	248	217	31	Recovered in 1957-58.
12.	„ D. 21/1	694	530	174	Recovery is being made.
13.	„ D. 21/2,3	816	480	336	Recovered in 1957-58
14.	„ D. 21/4	549	334	215	Recovery is being made.
15.	„ D. 21/4A	179	132	47	Recovered in 1957-58.
16.	„ D. 21/6	128	63	60	-do-
17.	„ D. 31/7	52	—	52	Notice has been issued
18.	„ D. 21/8	297	60	237	Suit for 182/- has been filed and Rs. 55/- is being realised.
19.	„ D. 21/10	216	192	24	Recovered in 1957-58
20.	„ D. 21/11	111	99	12	-do-
21.	„ D. 21/12	427	388	39	-do-
22.	„ D. 21/13	492	419	82	-do-
23.	„ D. 21/14	189	155	34	-do-
24.	„ D. 21/17	366	324	42	-do-
25.	„ D. 21/18	477	459	18	-do-
26.	„ D. 21/19	76	67	9	-do-
27.	„ D. 21/21	15	15	—	-do-
28.	„ D. 21/23	177	—	177	Trying to recover.
29.	„ D. 21/24	582	394	188	-do-
30.	„ D. 21/25	195	—	195	Suit has been filed.
31.	„ D. 21/26	495	—	495	Case pending.
32.	„ D. 21/27	777	265	512	Suit for Rs. 270/-is pending and for the balance notice is being served.
33.	„ D. 22/14	390	360	30	Recovered in 1957-58.
34.	„ D. 22/16	192	178	14	-do-
35.	„ D. 58/78,79.	219	219	-	Property transferred to Devasthan Deptt.

1		2	3	4	5
36.	„ 76 Houses on Perjoti.	736	387	349	Suit for Rs. 50/-pending and trying to realise.
37.	„ D. 15/1 & 16	24928	-	24928	Suit for Rs, 249 28/- is pending in High Court.
38.	„ D. 15/33	274	-	274	Notice is being issued.
39.	„ D. 16/43A	67	67	-	-do-
40.	„ D. 15/71	5600	559	5041	
41.	„ Contract of Man Mandir and Rana Ghats.	1529	4	1525	Suit for Rs. 1000/- has been filed and for the balance notice is being issued.
	Total.	56332	14524	41808.	
	AGRA				
1.	Jaipur House.	5500	5500	-	
2.	Quandhari Kothi. No. 165.	7910	5786	2124	Recovered in 1957-58.
3.	Dhulpur House.	8415	390	8025	Notice has been issued.
4.	House No. 709,710.	2124	1834	290	Realised in 1957-58.
5.	H. No. 684	3749	261	3488	Suit pending.
6.	H. No. 1698	6171	1960	4211	Rs. 3275/-suit pending. Rs. 1136/-recovered in 1957-58.
7.	Ghat Jamuna.	135	48	87	Suit pending and notice issuid.
	Total.	34004	15779	18225	
	MATHURA.				
1.	H. No. 954,955	264	-	264	Suit pending.
	VINDRABAN.				
1.	Jaisingh Ghera.	735	2	733	-do-
	PACHOKAR.				
1.	Pachokar.	1605	1162	443	Decreed and execution pending.
	DELHI			481	
1.	Jantar Mantar New Delhi.	481	-		

1	2	3	4	5
2. Plots near Nizam Uddin Rly. Station	1000	1000		
ELLICHPUR				
1. Jaisinghpura.	7720	4502	3218	Due to flood the crop has been spoiled and the M. P. Govt. have postponed realisation of land revenue from cultivators hence our tenants also taken the same plea.
2. Karajgaon-ki-Bari.	108	41	68	-do-
Total.	7828	4543	3285	
GOVERDHAN.				
1. Kunj Deoki Rani.	69	42	27	Realised in 1957-58.
2. Kunj Bahadur Singh	1993	812	1181	Rs. 900/-recovered in 1957-58. Rs. 195/-suit pending. Rs. 86/-action being taken to realise.
3. Kunj Rai Singh.	103	59	44	Recovered in 1957-58.
4. Kunj Narain Singh.	126	93	33	-do-
5. Kunj Mahakanwar.	376	210	166	-do-
6. Mahal Hansia Rani.	432	157	275	Being realised
7. Seerhi Mansi Ganga.	2	-	2	Unrecoverable.
8. Burji Mansi Ganga.	17	-	17	Recovered in 1957-58
9. Burji Brahmkund.	11	-	11	Notice is being served.
10. Portion of Kunj Rai Singh.	300	-	300	Case pending.
Total.	3429	1373	2056.	
Grand Total.	127594	52403	75191.	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, शुक्रवार, दिनांक १५ नवम्बर, १६५७)

स्तम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१८०३	अन्तिमसे ६ठीं	industrial clauses	industrial classes
१८२१	शीर्ष पंक्ति	अतारांकिल प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
१८३६	१	(श्री शतीसचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
१८४०	अन्तिमसे ६ठीं	वह एडमिनिस्ट्रेट के द्वारा करालें।	वह एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा करालें।
१८५२	१६	clarifying the hole position	clarifying the whole position
१८५५	अन्तिमसे ५वीं	श्री नारायणिसह्	श्री नारायणसिंह
१८५७	२१	were heard togeher	were heard together.
१८५६	२८	बातें तो २६ में ही क्लॉन् कवर	बातें तो क्लॉज् २६ में ही कवर
१८७८	२२	श्री श्री बेनाराम गहलौत	श्री बेनाराम गहलौत
१६०३	३	जो कि क्रम संख्या	जो कि कम संख्या
१६०५	अन्तिमसे ३री	को सुपसेशन	को सुपरसेशन
१६१५	१२-१३	qualfied teachlers	qualified teachers
१६१६	१८	इन वर्ड्स की कोई	इन वर्ड्स की कोई
१६१८	२१	वह एक इन्डिपेन्डन्ट व्यक्ति	वह एक इन्डिपेन्डेंट व्यक्ति
१६२६	२६	and not feel,	and not feel
१६७४	६	स. ५,१०,११	स० ६, १०, ११
,,	१७	व २४-२-५६	व० १४-२-५६